वार्षिक रिपोर्ट 2016-17

www.antrix.co.in

निदेशक मंडल	श्री राकेश शशिभूषण श्री ए. विजय आनंद (11.11.2016 तक) डॉ. एम. अन्नादुरई डॉ. वाई.वी.एन. कृष्णमूर्ति श्री एस. कुमारास्वामी (23.12.2016 से) श्री सी.एम. साने डॉ.पी.जी.दिवाकर श्री सुधीर कुमार जैन (21.09.2016 से) श्री एस. पांडियन (02.03.2017 से)
प्रबंधन दल:	
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	श्री राकेश शशिभूषण
कार्यकारी निदेशक (प्रचालन) एवं निदेशक (टी एवं एस)	श्रीमती टी.एस. शोभा (12.07.2017 तक)
निदेशक (प्रमोचन सेवाएँ एवं मिशन)	श्री डी. राधाकृष्णन
निदेशक, व्यापार विकास (अंतरिक्षयान उपप्रणाली)	श्री समीर पाल (03.07.2017 तक)
निदेशक (सुदूर संवेदी एवं आँकड़ा सेवाएँ)	श्री ए. अरूणाचलम
निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी)	श्री के. पार्थसारथी (30.09.2016 से)
महाप्रबंधक (वित्त)	श्री जी. अलगेसन
सांविधिक लेखा परीक्षक	मेसर्स बी.वी. राव एवं कंपनी एल.एल.पी. चार्टरित लेखाकार 49-28-12, सत्यलक्ष्मी विनायक टावर मथुरानगर विशाखापट्टनम 530 016
बैंकर	केनरा बैंक आर.एम.वी. एक्सटेंशन शाखा बेंगलूरु 560 080 भारतीय स्टेट बैंक डॉलर कॉलोनी शाखा बेंगलूरु 560 054
पंजीकृत कार्यालय	कॉर्पोरेट कार्यालय अंतरिक्ष भवन न्यू बी.ई.एल. रोड के निकट बेंगलूरु 560 094

विषयसूची

निदेशकगण की रिपोर्ट	1
आरक्षण	4
राजभाषा कार्यान्वयन	4
वार्षिक विवरणी सार	9
सी.एस.आर. क्रियाकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट	15
लेखापरीक्षकों की स्वतंत्र रिपोर्ट	19
लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट से संबंधित अनुलग्नक	21
भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ	26
तुलनपत्र	28
लाभ तथा हानि लेखा	29
नकद प्रवाह विवरणी	30
इक्विटी में परिवर्तन की विवरणी	32
वित्तीय विवरणी के नोट	34
वित्तीय विवरणी के भाग के रूप में अन्य नोट	70

निदेशकगण की रिपोर्ट

आपके निदेशकगण को 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा के लेखा परीक्षित विवरण, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) की टिप्पणी सहित पच्चीसवीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अतीव प्रसन्नता हो रही है।

कार्य निष्पादन संबंधी प्रमुख विशेषताएँ

वर्ष के दौरान, कंपनी का व्यापार ₹1925.56 करोड़ से बढ़कर ₹1991.13 करोड़ हो गया । पिछले वर्ष के ₹205.37 करोड़ की तुलना में कर के पश्चात् लाभ ₹217.98 करोड़ है । वर्ष के दौरान, कंपनी का राजस्व लगभग 3.41% और पी.ए.टी 6.14% बढ़ा । भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के वाणिज्यिक अंग के रूप में आपकी कंपनी इसरो की अंतरिक्ष क्षमताओं को अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के साथ विपणन के अलावा अंतरिक्ष तकनीक को वाणिज्यिक उपयोग में लाकर भारतीय ग्राहकों को नवोन्नत मनोरंजन, प्रौद्योगिकी तथा अन्य उपयोगों के लिए सक्षम बनाने में शामिल रही है ।

उपग्रह संचार प्रेषानुकर सेवाएँ

वर्ष के दौरान, भारतीय सैटकॉम बाज़ार ने एक स्वस्थ और सशक्त वृद्धि दर्ज़ करके विकास जारी रखा है । दूरदर्शन के घरेलू उपयोग में वृद्धि, उच्च स्पष्टता (एच.डी.) वाली सेवाओं की शुरुआत, अंकीकरण (डिजिटाइजेशन) मुहिम से संबंधित सरकारी हस्तक्षेप के कारण सारी अपेक्षाओं को पीछे छोड़ते हुए डी.टी.एच. बाज़ार में प्रबल वृद्धि हुई है । हालाँकि, उड़ानमध्य सेवाओं हेतु वैमानिकीय बाज़ार के भीतर क्षमता की माँग बढ़ रही है, परन्तु प्रसारण व्यवसाय के विरासत के अन्य वितरण साधनों, विशेषकर ओ.टी.टी. सेवाओं से प्रतिस्पर्द्धा में वृद्धि हुई है । देश में आँकड़ा की माँग बढ़ रही है जिस कारण नए इंटरनेट प्रयोक्ता तक पहुँचने के लिए व्यापार को अधिक आँकड़ा सबकी पहुँच वाले नेटवर्क (क्लाउड) में भेजना पड़ता है। इन नतीजों के साथ कदम मिलाने के लिए, वैश्विक संबद्धता की ज़रुरतों की जानकारी रखने के लिए, विशेषकर, उच्च गति विस्तृत बैण्ड संबद्धता (ग्राहक विस्तृत बैण्ड, उद्यम नेटवर्क एवं 4 जी, 5 जी इत्यादि) की कोष्ठीय पार्श्व मरम्मत (सेलुलर बैकहॉलिंग) और अन्य गतिमान उपयोगों (उड़ानमध्य संबद्धता, समुद्री संचार एवं तट से कुछ दूर की संबद्धता) के लिए कई उपग्रह नेटवर्क तैयार हो रहे हैं। आधुनिक उपग्रह प्रणाली नए अनुप्रयोगों के आँकड़ों की विशाल आवश्यकताओं को सँभालने के लिए पहुँच, क्षमता और गति के साथ विकसित हो रही है। के.ए/के.यू. उच्च संवेश-प्रवाह प्रेषानुकर के साथ इसरो का अपना उच्च संवेश-प्रवाह संचार उपग्रह, जीसैट 19 ने हाल ही में कामयाबी हासिल की है। आप की कंपनी विकसित हो रहे व्यापारिक खण्डों में एक उल्लेखनीय बाजार-शेयर प्राप्त करने के लिए उत्सुक है। अक्तूबर 2017 के दौरान, जीसैट 18 संचार उपग्रह के प्रमोचन ने सी. बैण्ड, विस्तारित सी. बैण्ड एवं के.यू. बैण्ड के अतिरिक्त 48 प्रेषानुकरों द्वारा अंतर्कक्षीय क्षमता को बढ़ाया है। वर्ष 2016-17 के दौरान, आपकी कंपनी ने विभिन्न भारतीय प्रयोक्ताओं के लिए अतिरिक्त 24 प्रेषानुकरों का प्रावधान किया है। इन आबंटनों के साथ, संचयी तौर पर, भारतीय प्रयोक्ताओं को विभिन्न सेवाओं के लिए इन्सैट/जीसैट प्रणाली में 168 प्रेषानुकरों से अधिक और विदेशी उपग्रह प्रचालकों से पट्टे पर लिए गए 101 प्रेषानुकर प्रदान किए गए हैं।

उपग्रह मिशन सहायक सेवाएँ

आपकी कम्पनी विश्व भर में प्रतिष्ठित ग्राहकों को उपग्रह प्रचालन के लिए दूरमिति, अनुवर्तन तथा आदेश (टी.टी.सी.) एवं अन्य संबंधित सेवाएँ प्रदान करती रही है। मेसर्स इंटेलसैट के साथ अन्तरण कक्षीय सहायक सेवाएँ (टी.ओ.एस.एस.) प्रदान करने के करार के साथ आपकी कंपनी ने मुख्य नियंत्रण सुविधा (एम.सी.एफ.) के भू-स्टेशन के उपयोग से इकोस्टार-23, इकोस्टार-19 एवं एन.बी.एन. को.-1 बी उपग्रहों के लिए टी.ओ.एस.एस. सहायता प्रदान की है। इस्ट्रैक के भू-स्टेशन का उपयोग मेसर्स स्वीडिश स्पेस कॉर्पोरेशन के लिए प्रतिष्ठित एवं तकनीकी तौर पर जटिल आर्टेमिस उपग्रह के कक्षीय पुनर्स्थानन के लिए किया गया था। आपकी कंपनी ने सी.एन.ई.एस. तथा केसैट मिशन के लिए भी टी.टी.सी. सेवा प्रदान किया।

प्रमोचन सेवाएँ

अवधि के दौरान, कुल मिलाकर 123 अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक उपग्रह, तीन पी.एस.एल.वी. मिशन यथा- (i) जून 2016 में, पी.एस.एल.वी.-सी.34/कार्टोसैट-2 मिशन, 17 अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक उपग्रह (13 नैनो एवं 4 माइक्रो उपग्रह); (ii) सितम्बर 2016 में, पी.एस.एल.वी.-सी.35/स्कैटसैट-1 मिशन, इस मिशन में 05 ग्राहक उपग्रह (2 नैनो एवं 3 माइक्रो); और (iii) फरवरी 2017 में, पी.एस.एल.वी.-सी.37 कार्टोसैट-2 मिशन, एकल मिशन में 101 अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक नैनो उपग्रह, सहयात्री के रूप में प्रमोचित किए गए ।

आई.आर.एस. से संबंधित कार्यक्रम

अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के भू-प्रेक्षण आँकड़ों की आवश्यकताओं की परिपूर्ति को ध्यान में रखते हुए आपकी कम्पनी भारतीय सुदूर संवेदन (आई.आर.एस.) उपग्रह समूह से प्राप्त आँकड़े तथा डाउनलिंक सेवाओं का विपणन कर रही है। वर्ष के दौरान, (क) 18 दिसम्बर 2016 तक जी.ए.एफ., ए.जी, जर्मनी, सी.आर.आई.ई.एस.,

अल्जीरिया तथा एन.जी.ओ. ईरान, में, आई.आर.एस. कार्टोसैट-1 (ख) 30 सितम्बर, 2016 तक के सैट, नॉर्वे के लिए आई.आर.एस. रिसैट-1 (ग) जी.ए.एफ., ए.जी., जर्मनी के लिए आई.आर.एस. रिसोर्ससैट-2 (घ) जी.ए.एफ., ए.जी, जर्मनी, एवं डुण्डी विश्वविद्यालय के लिए आई.आर.एस. ओशनसैट-2 के लिए सीधा प्रापण एवं संसाधन प्रचालन जारी रखा गया। कंपनी, सी.आर.आई.ई.एस., अल्जीरिया के भू-स्टेशन के आधुनिकीकरण की निविदा प्राप्त करने की पुरज़ोर कोशिश कर रही है।

दौरों का विनिमय

पिछले वर्ष एन्ट्रिक्स को अपना अंतर्राष्ट्रीय विपणन प्रयास बढ़ाते हुए देखा गया। कई अंतरिक्ष दिग्गज जैसे-बोइंग और एयरबस ने एन्ट्रिक्स का दौरा किया और परस्पर सहयोग की विभिन्न संभावनाओं पर चर्चा की । तकनीकी चर्चा तथा प्रस्तावों को अंतिम रूप देने के लिए इसरो के विषय-विशेषज्ञों को शामिल कर एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया गया है । अन्य प्रगति, एन्ट्रिक्स और इसरो के साथ व्यावहारिक अंतरिक्ष सहयोग हेतु पुर्तगाल से मिला प्रस्ताव है। कई अन्य अमेरिकी और यूरोपीयन कंपनियों ने भी एन्ट्रिक्स का दौरा किया और वैश्विक सैटकॉम ब्रॉडबैण्ड एवं उड़ानमध्य सेवाएँ में निवेश सहित सहयोग के अवसरों के बारे में चर्चा की। इन दौरों से वर्तमान संबंधों को मजबूती मिली है और विपणन के नए अवसर भी मिले हैं। आपकी कंपनी आशान्वित है कि आने वाले वर्षों में इन दौरों और विचार-विनिमय से व्यापारिक अवसरों को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

न्यूजलेटर

एन्ट्रिक्स के क्रियाकलापों और योजनाओं को प्रमुखता से प्रसारित करने के उद्देश्य से आपकी कंपनी जनवरी 2017 से **"इन्साइट"** नामक त्रैमासिक न्यूजलेटर प्रकाशित कर रही है। पाठकों को कंपनी के क्रियाकलापों के बारे में उपयोगी तथा अनमोल जानकारी देना ही इस न्यूजलेटर का उद्देश्य है। ऐसी आशा की जाती है कि ऐसे प्रयास से ग्राहकों को साधे रखने और ग्राहक-आधार को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

वित्तीय परिणाम

वित्तीय परिणाम	**31.03.17 को समाप्त वर्ष के लिए (₹ लाख में)**	**31.03.16 को समाप्त वर्ष के लिए (₹ लाख में)**
कुल आय	1,99,112.73	1,92,555.63
कुल व्यय	1,65,595.77	1,61,511.87
मूल्य ह्रास तथा कराधान से पहले लाभ	**33,516.96**	**31,043.76**
असामान्य मद	-	-
जोड़िए : पिछली अवधि के मद - आय/(व्यय)		-
घटाइए : मूल्य ह्रास व परिशोधन व्यय	(122.55)	(115.35)
घटाइए : कराधन के लिए प्रावधान	(11,047.37)	(10,935.19)
घटाइए / जोडिए : आस्थगित कर	(545.68)	546.88
वर्ष के लिए कर पश्चात् लाभ	**21,801.36**	**20,540.10**
अन्य व्यापक आय	(3.51)	(2.74)
कुल व्यापक आय	**21,797.85**	**20,537.36**
जोड़िए : पिछले वर्ष का अधिशेष	-	-
पुनर्विनियोजन हेतु उपलब्ध लाभ	**21,797.85**	**20,537.36**
सामान्य रिजर्व को स्थानांतरित	-	12,511.66
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं दीर्घकालीन क्रियाकलाप रिजर्व में स्थानांतरित	626.40	584.00
घटाइए : वर्ष के दौरान सी.एस.आर. पर व्यय	(493.77)	(170.18)
प्रस्तावित लाभांश	18,000.00	6,300.00
कार्पोरेट लाभांश कर	3,664.38	1244.27
तुलन पत्र को स्थानांतरित लाभ एवं हानि लेखा का अधिशेष	0.84	67.61
पुनर्विनियोजन का कुल	**21,797.85**	**20,537.36**

लाभांश

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 27.05.2016 के कार्यालय ज्ञापन सं.एफ/5/2/2016-नीति द्वारा जारी किए गए भारत सरकार के अनुदेशों के अनुपालन में आपके निदेशकगण ₹400 लाख की प्रदत्त एक्विटी शेयर पूँजी पर 4500% (पिछले वर्ष 1075%) के लाभांश की सिफारिश करते हैं| यह लाभांश वितरण कर की कटौती एवं सी.एस.आर. तथा एस.डी. निधि के आबंटन के बाद 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए करोत्तर लाभ के 100% को दर्शाता है।

रिज़र्व में हस्तांतरित

वर्ष के दौरान, कंपनी, सामान्य रिज़र्व में कोई भी धनराशि रखने का प्रस्ताव नहीं रखती है।

आगामी दृष्टिकोण

आपकी कंपनी अपने प्रचालन की अभिवृद्धि के लिए कई अवसरों को तलाश रही है। इसरो की प्रौद्योगिकीय क्षमता का सहारा लेने के लिए कंपनी इसरो के साथ मिलकर वैसे उत्पादों/तकनीकों को चिह्नित कर रही है जिन्हें भारतीय उद्योगों के साथ मिलकर व्यापारिक बनाया जा सकता है। साथ ही, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी इत्यादि जैसी परियोजनाओं के क्रियान्वयन के कारण ब्रॉडबैण्ड में अपार अवसरों पर विचार कर रही है। कंपनी, भारत में उच्च संवेश-प्रवाह उपग्रह ब्रॉडबैण्ड सेवाएँ लाने के लिए वैश्विक सेवा प्रदाता के साथ विचार-विमर्श कर रही है।

'नाविक' उपग्रह-समूह के क्रियान्वयन ने **नाविक** अभिग्राही एवं सेवाओं के नए व्यापारिक अवलंब को एक नया अवरार प्रदान किया है। **नाविक** चिपसेट बनाने के लिए प्रारंभिक निवेश पहले से ही किया जा चुका है। इस बाज़ार में जी.पी.एस. प्रणाली का वर्चस्व है और देशी प्रौद्योगिकी के लाभ पर विचार करते हुए कंपनी ने अनुकूल नीतियाँ बनाने के लिए भारत सरकार से अपनी बात रखने हेतु कार्रवाई शुरु कर दी है। बड़े बेड़े प्रचालकों एवं अनुवर्तन सेवा प्रदाताओं के साथ विचार-विमर्श प्रगति पर है।

भारतीय वाणिज्यिक सैटकॉम ग्राहकों की बैण्डपट्टी की आवश्यकताओं और सेवा निरंतरता को ध्यान में रखते हुए आपकी कंपनी इसरो के साझेदार भारतीय उद्योगों के माध्यम से वाणिज्यिक उपग्रहों के निर्माण के व्यय-वहन प्रस्तावों पर विचार कर रही है।

आपकी कंपनी, भारत में एक मज़बूत अंतरिक्ष पर्यावरण निर्माण करने के लिए उत्सुक है जिसके द्वारा अंतरिक्ष व्यापार को गति प्रदान की जा सकती है।

निदेशकगण

दिनांक 21.09.2016 से श्री एस.के.जैन, निदेशक, आई.आई.टी, गाँधीनगर स्वतंत्र निदेशक के तौर पर नियुक्त किए गए। दिनांक 23.12.2016 से श्री एस. कुमारास्वामी, संयुक्त सचिव, अंतरिक्ष विभाग, निदेशक के तौर पर नियुक्त किए गए। दिनांक 02.03.2017 से श्री एस.पाण्डियन, निदेशक आई.पी.आर.सी., महेंद्रगिरि, निदेशक के तौर पर नियुक्त किए गए। दिनांक 11.11.2016 से श्री ए.विजय आनंद कंपनी के निदेशक के पद से मुक्त हो गए।

बोर्ड, श्री ए.विजय आनंद द्वारा कंपनी के निदेशक के तौर पर अमूल्य सेवा प्रदान करने के लिए इनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करता है।

बोर्ड की बैठकों की संख्या

वर्ष के दौरान बोर्ड की पाँच बैठकें आयोजित की गई।

निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण

निदेशकों के उत्तरदायित्व के विवरण के संदर्भ में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(सी) के अंतर्गत आवश्यकता के अनुसरण में यह पुष्टि की जाती है कि:

i 31.03.2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखे की तैयारी में तात्विक विचलन के संबंध में समुचित स्पष्टीकरण सहित लागू लेखा मानकों का अनुपालन किया गया है;

ii निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया है तथा उनको एकरूपता से लागू किया है और वित्तीय वर्ष के अंत में तथा समीक्षाधीन वर्ष के लिए कंपनी के लाभ के बारे में कंपनी की सच्ची और सही स्थिति दर्शाने हेतु विवेकपूर्ण और बुद्धिमानी से निर्णय लिए हैं एवं आकलन किए हैं;

iii निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और बेईमानी का पता लगाने हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार लेखा संबंधी अभिलेखों के पर्याप्त अनुरक्षण हेतु समुचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती है;

iv निदेशकों ने "जारी व्यापार" के आधार पर 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखे तैयार किए हैं;

v निदेशकों ने लागू होने वाले सभी कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली की संरचना की है;

कॉर्पोरेट शासन

आपकी कंपनी, भारत सरकार और अन्य सांविधिक विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित कॉर्पोरेट शासन व्यवहारों के क्रियान्वयन की दिशा में पूर्ण प्रयास कर रही है।

बेहतर कॉर्पोरेट शासन व्यवहारों के क्रियान्वयन की दिशा में कंपनी द्वारा किए गए प्रयासों को मान्यता प्रदान करते हुए, सार्वजनिक उद्यम विभाग ने पी.एस.यू. की श्रेणी में आपकी कंपनी को वर्ष 2015-16 के लिए **"उत्कृष्ट"** की संज्ञा दी है।

वार्षिक विवरणी सार

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) तथा 134(3)(ए) के अनुरूप एम.जी.टी.-9 फॉर्म में वार्षिक विवरणी सार संलग्न है जो इस रिपोर्ट का हिस्सा है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं दीर्घकालीन विकास (सी.एस.आर. एवं एस.डी.)

कंपनी, सी.एस.आर. नीति के अंग के रूप में, सी.एस.आर. पहल को सुचारु रूप से जारी रखे हुए है जिसे विधिवत् निर्मित बोर्ड-स्तरीय सी.एस.आर. समिति द्वारा निरीक्षित किया जाता है। सी.एस.आर. क्रियाकलापों से संबंधित रिपोर्ट में इस क्षेत्र में आरंभ की गई पहल के विवरण अनुसूची-1 में वर्णित हैं।

लेखा परीक्षकगण

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) ने दिनांक 07 जुलाई, 2015 के पत्र सं. सीए.5/सीओवाई/केंद्र सरकार. एन्ट्रिक्स (1)/127 दिनांक 11 जुलाई, 2016 के माध्यम से 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की वार्षिक लेखाओं की लेखा परीक्षा करने हेतु मेसर्स बी.वी. राव एवं कंपनी, चार्टरित लेखाकार, बेंगलूरु को सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया। वार्षिक लेखा पर, उनकी रिपोर्ट के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की गई **"शून्य"** टिप्पणी इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

सावधिक जमा

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कम्पनी ने जनता से किसी प्रकार की जमा को न तो आमंत्रित किया है और न ही स्वीकार किया है।

कर्मचारियों का विवरण:

वर्ष के दौरान या उस वर्ष के किसी भाग में किसी भी कर्मचारी को, समय-समय पर यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 में निर्दिष्ट सीमाओं से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त नहीं हुआ है।

आरक्षण

कार्य प्रबंधन हेतु इसरो/ अं.वि. के कार्मिकों के अलावा, एन्ट्रिक्स में कार्मिक के तौर पर कुल आठ (8) स्थायी कार्मिक [वर्ग क (तकनीकी)-2, वर्ग क (प्रशासन)-2, वर्ग ख (प्रशासन)-3, वर्ग ग (प्रशासन)-1] कार्यरत हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों एवं भूतपूर्व सैनिकों के प्रतिनिधित्व की स्थिति तीन थी।

हानिभय (जोखिम) प्रबंधन नीति

यद्यपि, वर्तमान में कंपनी किसी भयावह हानिभय से आशंकित नहीं है, तथापि भविष्य में आनेवाली ऐसी किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। एक विशद हानिभय (जोखिम) प्रबंधन नीति व्यवहार में लाने की पहल की कार्रवाई की गई है।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी सामंजस्य और विदेशी मुद्रा का अर्जन और निर्गम

ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी सामंजस्य संबंधी दी जानेवाली सूचना शून्य है, क्योंकि कम्पनी ने प्रत्यक्ष रूप से न तो किसी ऊर्जा का उपयोग किया है और न ही किसी विदेशी प्रौद्योगिकी का आयात किया है।

राजभाषा कार्यान्वयन

भारत सरकार के नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार कंपनी सभी स्तरों पर राजभाषा का प्रयोग क्रियान्वित करती रही है।

वर्ष के दौरान, राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओ.एल.आई.सी.) की, वर्ष की नीति निर्धारण के लिए बैठक हुई और कालदर्शिका का निर्माण किया गया। सक्षम प्राधिकारियों ने कंपनी में हिंदी के कार्यान्वयन की प्रगति का निरीक्षण किया। कंपनी ने तीन कार्यशालाओं तथा प्रशिक्षण सत्रों में भाग लिया जिससे कार्मिकों ने आवश्यक कुशलता प्राप्त की और इससे राजभाषा के प्रयोग को बढ़ाने में मदद मिली। कंपनी ने 28 मार्च, 2017 को एक कार्यशाला का संचालन किया जिससे लगभग 50 भागीदार लाभान्वित हुए।

"इन्साइट" नामक घरेलू पत्रिका प्रकाशित करने के लिए प्रथम प्रयास किया गया जिसके शीर्षक द्विभाषी हैं।

संसदीय प्रतिनिधियों द्वारा शैक्षणिक भ्रमण के दौरान, प्रतिनिधियों के समक्ष अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक द्वारा द्विभाषी रूप में तैयार प्रस्तुति दी गई।

सभी पदाधिकारियों की गहन अभिरुचि एवं गंभीर प्रतिबद्धता के फलस्वरूप हिन्दी का क्रियान्वयन प्रशंसनीय तरीके से किया गया है।

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए विदेशी मुद्रा अर्जन और निर्गम (वास्तविक) निम्नानुसार है :

विदेशी मुद्रा अर्जन	राशि ₹ लाख में	राशि विदेशी मुद्रा में
निर्यात	109.94	यू.एस.डी. 1,66,136.00
तकनीकी परामर्शिता	1,704.95	यू.एस.डी. 25,65,849.67
प्रमोचन सेवाएँ	15,992.51	यू.एस.डी. 14,03,171.00
		यूरो 2,08,12,789.66
अन्य सेवाएँ	-	-
कुल	**17,807.40**	यू.एस.डी. **41,35,156.67** यूरो **2,08,12,789.66**
विदेशी मुद्रा निर्गम		
यात्रा के लिए	2.76	यू.एस.डी. 4,122.95
आयात लागत के लिए	1,050.13	यू.एस.डी. 15,52,344.79
तकनीकी सेवाएँ लागत के लिए	71,208.64	यू.एस.डी. 10,50,51,788.49
अन्य भुगतान के लिए	320.29	यू.एस.डी. 4,72,578.20
		यूरो 2,100.62
कुल	**72,581.82**	**यू.एस.डी. 10,70,80,834.43** **यूरो 2,100.62**

आभारोक्ति

आपके निदेशकगण, ग्राहकों तथा अपने उत्पादों एवं सेवाओं के अन्य प्रयोक्ताओं से प्राप्त सहायता के लिए आभार प्रकट करने में अतीव प्रसन्नता महसूस करते हैं और आगामी वर्षों में भी उनसे सहायता की आशा करते हैं। आपके निदेशकगण, अन्य सरकारी विभागों तथा एजेन्सियों, बैंकरों एवं उद्योगों से प्राप्त सहयोग और सहायता के लिए उनका भी विशेष आभार प्रकट करते हैं।

आपके निदेशकगण, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कम्पनी के सफलतापूर्वक प्रचालन के लिए अंतरिक्ष विभाग, विविध इसरो केन्द्रों एवं आपकी कंपनी के अधिकारियों एवं कार्मिकों के सहयोग और योगदान लिए उनकी सराहना करते हैं।

निदेशक-मंडल के लिए एवं
उनकी ओर से

हस्ता/-

स्थान : बेंगलूरु
तिथि : 24 जुलाई 2017

(राकेश एस.)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्त वर्ष से संबंधित निदेशकों की रिपोर्ट की परिशिष्ट

सांविधिक लेखा परीक्षकों की अर्हता	प्रबंधन का उत्तर
(क) वित्त वर्ष के दौरान, अंतरिक्ष खण्ड प्रभारों से (सेवाओं की बिक्री के अंतर्गत वर्गीकृत) कंपनी को प्राप्त ₹ 1,49,510.74 लाख के राजस्व में वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान, 21.05.2013 से 31.03.2016 तक की अवधि हेतु भारतीय वायु सेना द्वारा ₹ 3,400 लाख का भुगतान भी शामिल है। कंपनी के ₹ 1,32,733.76 लाख के अंतरिक्ष खण्ड क्षमता प्रभारों की लागत में अं.वि. को 21.05.2013 से 31.03.2016 तक की अवधि हेतु देय ₹ 2,890 लाख की समनुरूप लागत राशि भी शामिल है।	(क) एन्ट्रिक्स ने जीसैट-7 ए उपग्रह जिसमें सी. बैण्ड (3 x 36 मेगा हट्ज़) प्रेषानुकर का आबंटन शामिल है, की आपूर्ति के लिए भारतीय वायु सेना, रक्षा मंत्रालय(एम.ओ.डी) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। चूँकि, जीसैट-7 ए उपग्रह परियोजना तकनीकी कारणों से विलंबित हुई, इसलिए आपूर्ति समय-सारणी में सुधार के साथ समझौता ज्ञापन में संशोधन प्रस्तावित है। भारतीय वायु सेना की तत्काल माँग को पूर्ण करने के लिए, कक्षा में पहले से विद्यमान जीसैट-10 उपग्रह से 3 सी. बैण्ड प्रेषानुकर आबंटित किया गया। दिनांक 21.05.2013 से भारतीय वायु सेना को आबंटित सी. बैण्ड (3 x 36 मेगा हट्ज़) क्षमता को अंतरिक्ष विभाग के अनुमोदन से वर्तमान वर्ष में संविदा के तहत आपूर्ति की श्रेणी में रखा गया है। चूँकि, वर्ष के दौरान, आबंटन रक्षा मंत्रालय(एम.ओ.डी) के साथ एक समझौता ज्ञापन में संशोधन का हिस्सा है, इसलिए 2013 से 2016 की अवधि के लिए जीसैट-10 पर सी. बैण्ड क्षमता के पट्टे से संबंधित राजस्व प्राप्ति एवं संबंधित लागत के लिए वर्ष के दौरान तैयार बिल को भी वर्ष के दौरान शामिल किया गया है जो भूल-चूक के तहत नहीं आता है। अतएव, प्रबंधन के मतानुसार, उक्त राजस्व प्राप्ति एवं संबंधित लागत वर्तमान वर्ष के राजस्व और व्यय के सही क्रम में है।
(ख) वित्त वर्ष के दौरान, अंतर्देशीय परामर्शिता सेवा प्राप्तियों (सेवाओं की बिक्री के अंतर्गत वर्गीकृत) से कंपनी को प्राप्त ₹ 5,788.18 लाख के राजस्व में वित्त वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान, रक्षा मंत्रालय, भारतीय मुख्यालय को प्रदत्त परियोजना प्रबंधन सेवाओं से प्राप्त ₹ 4,897 लाख का राजस्व भी शामिल है।	(ख) कार्यक्रम तत्वों/प्रबंधन से संबंधित राजस्व की स्वीकृति इसरो मुख्यालय से प्राप्त प्रमाणपत्र के आधार पर की जाती है। इसरो मुख्यालय ने वर्तमान वर्ष के दौरान सेवा पूर्ण होने की बात कबूली है। चूँकि, प्रबंधन के मतानुसार, कोई भूल-चूक नहीं है अतएव उक्त प्राप्तियों की वर्तमान वर्ष के राजस्व के रूप में गणना सही क्रम में है।
कंपनी के अभिलेख यह सूचित करते हैं कि यदि प्रबंधन ने पिछले वित्त वर्ष के रिज़र्व को इण्ड ए.एस. की शर्तों के अनुरूप उपर्युक्त राशि पुन: उल्लिखित किया होता तो प्रचालनों से प्राप्त राजस्व ₹ 8297 लाख से कम हो गया होता, प्रचालन लागत ₹ 2890 लाख से कम हो गई होती, उक्त अवधि के लिए जारी प्रचालनों से कर पश्चात् लाभ ₹ 3535.64 लाख से कम हो गया होता और तदनुसार पिछले वित्त वर्ष के रिज़र्व में ₹ 3535.64 लाख की अभिवृद्धि हो गई होती।	उपर्युक्त के आलोक में, वर्तमान वर्ष के राजस्व, लागत या लाभ की अतिशयोक्ति नहीं हुई है और वर्तमान वर्ष के लिए प्रचालनीय परिणाम सही क्रम में है।

कुल आय (करोड़ ₹ में)

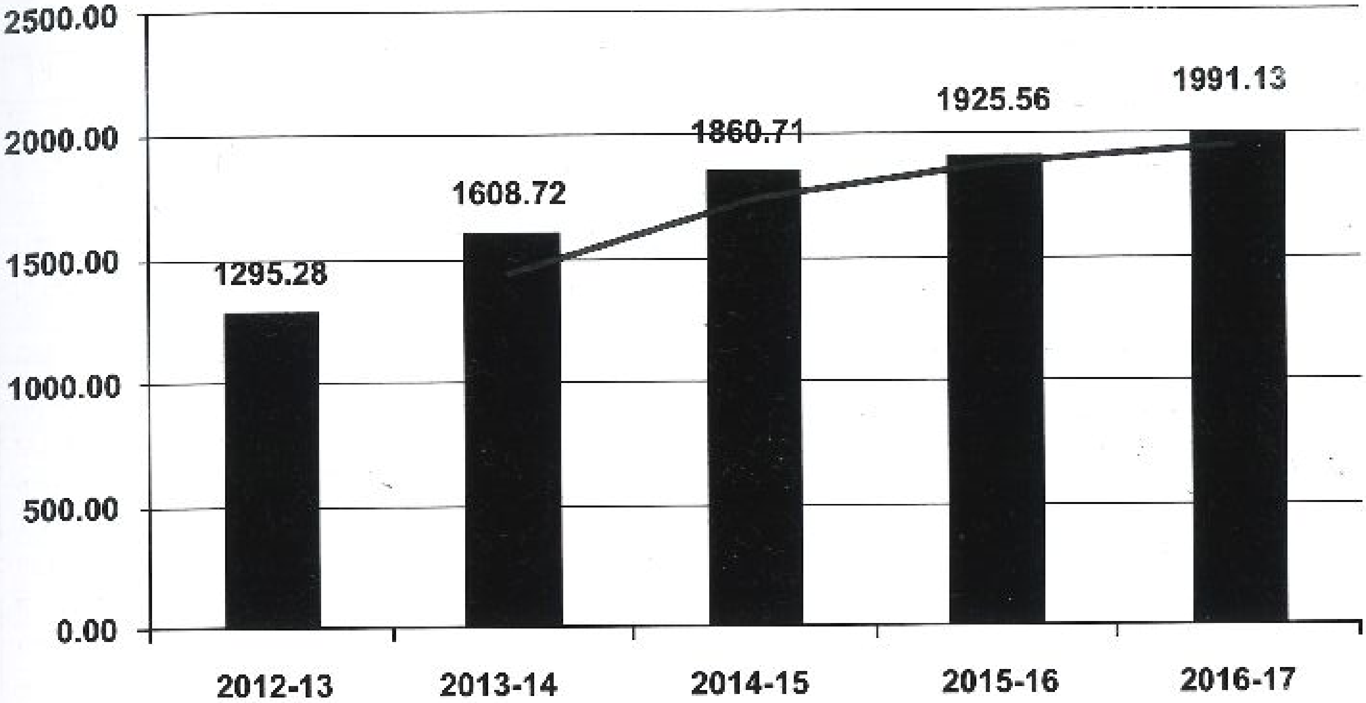

कर पश्चात् लाभ (करोड़ ₹ में)

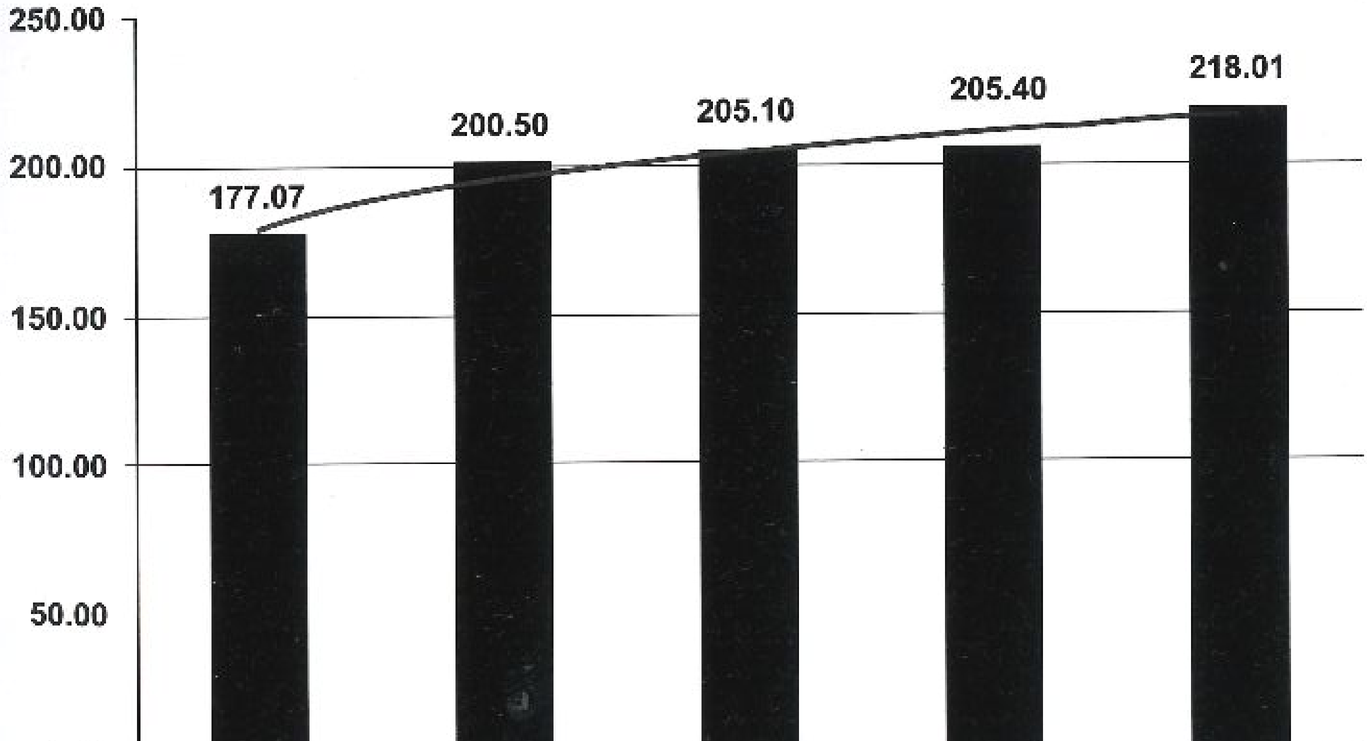

लाभांश (करोड़ ₹ में)

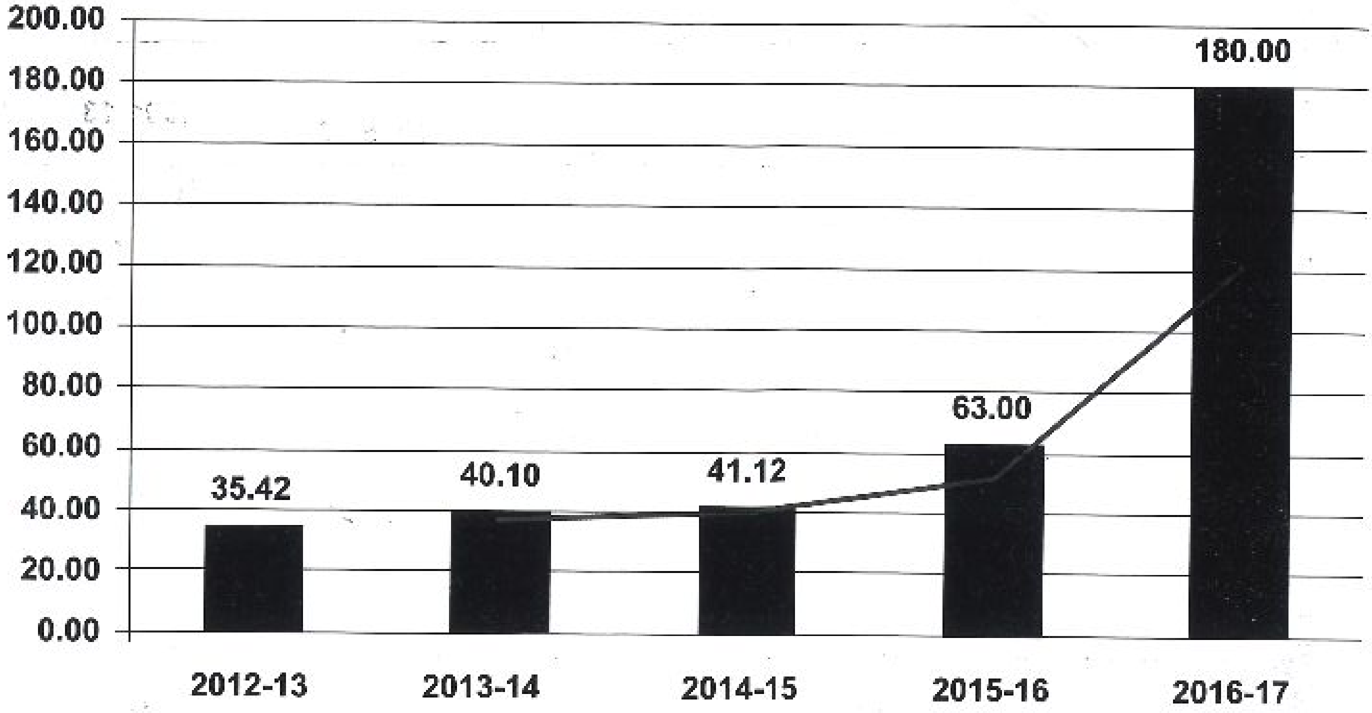

200.00
180.00
160.00
140.00
120.00
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
35.42
40.10
41.12
63.00
180.00
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17

फॉर्म नं. एम.जी.टी.-9

वार्षिक विवरणी सार

31.03.2017 को समाप्त वित्त वर्ष तक

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) एवं कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के + अनुसार]

I. पंजीकरण एवं अन्य विवरणः

i) सी.आई.एन.:- U85110KA1992GOI013570

ii) पंजीकरण तिथिः 28 सितंबर, 1992

iii) कंपनी का नामः एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

iv) कंपनी का संवर्ग/उप संवर्गः शेयर आधारित लिमिटेड कंपनी/केंद्र सरकार की कंपनी

v) पंजीकृत कार्यालय का पता एवं संपर्क विवरणः

एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
कॉर्पोरेट कार्यालय
अंतरिक्ष भवन
न्यू बी.ई.एल. रोड
बेंगलूरु - 560094

vi) क्या कंपनी सूचीबद्ध हैः नहीं

vii) निबंधक एवं हस्तानांतरण, एजेंट का नाम, पता एवं संपर्क विवरण, यदि कोई हो - लागू नहीं

II. कंपनी के प्रमुख व्यापारिक क्रियाकलाप

कंपनी के कुल व्यवसाय (टर्नओवर) के 10% या उससे अधिक योगदान देने वाले व्यापारिक क्रियाकलाप का उल्लेख किया जाएगा-

क्रम सं.	प्रमुख उत्पाद/सेवाओं के नाम तथा विवरणी	उत्पाद/सेवाओं के एन.आई.सी. कोड	कंपनी के कुल टर्नओवर का प्रतिशत
1	दूर-संचार एवं प्रसारण परियोजनाओं के लिए अभियांत्रिकी सेवाएँ	99833254	79.83 %
	भौगोलिक सूचना प्रणाली सेवाएँ	99831414	7.14 %
	अंतरिक्ष आधारित सेवाएँ	99653200	13.03 %

III. नियंत्रक, सहायक एवं संबद्ध कंपनियों के विवरण -

शून्य

IV. शेयर धारिता प्रतिरूप (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूँजी विवरणी)

i) वर्गानुरूप शेयर धारिता *(लाख में)*

शेयर धारक के वर्ग	वर्ष के आरंभ में धारित शेयर की संख्या				वर्ष के अंत में धारित शेयर की संख्या				वर्ष के दौरान प्रतिशत परिवर्तन
	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयर का प्रतिशत	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयर का प्रतिशत	
ए. प्रवर्तक									
(1) भारतीय									
(क) वैयक्तिक/एच.यू.एफ.									
(ख) केंद्र सरकार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(ग) निगमित निकाय	0	4.00	4.00	100	0	4.00	4.00	100	0
(घ) वित्तीय संस्थान	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(ङ) अन्य कोई	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उप-जोड़ (ए) (1):-	0	4.00	4.00	100	0	4.00	4.00	100	0

(2) विदेशी									
(क) अप्रवासी भारतीय - वैयक्तिक	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(ख) अन्य-वैयक्तिक	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(ग) निगमित निकाय	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(घ) बैंक/ वि.सं.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(ङ) अन्य कोई	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उप-जोड़ (A)(2):-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
प्रवर्तक की कुल शेयर धारिता (ए) = (ए)(1) + (ए)(2)	0	4.00	4.00	100	0	4.00	4.00	100	0
बी. सार्वजनिक शेयर धारिता									
1. **संस्थान**									
क) म्युचुअल फंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ख) बैंक/वि.सं.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ग) केंद्र सरकार/ राज्य सरकार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
घ) उपक्रम पूँजी निधि	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ङ) बीमा कंपनी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
च) एफआई.आई	0	0	0	0	0	0	0	0	0
छ) विदेशी उपक्रम पूँजी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ज) अन्य (उल्लेख करें)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उप-जोड़ (बी)(1):-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. **गैर संस्थागत**									
क) निगमित	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ख) वैयक्तिक	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i) एक लाख रुपये तक की नाममात्र शेयर पूँजी धारण करने वाले वैयक्तिक शेयर धारक	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ii) एक लाख रुपये से अधिक की नाममात्र शेयर पूँजी धारण करने वाले वैयक्तिक शेयर धारक	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ग) अन्य (उल्लेख करें)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उप-जोड़ (बी)(2):-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल सार्वजनिक शेयर धारिता (बी)= (बी)(1) + (बी)(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
सी. जी.डी.आर. एवं ए.डी.आर. के लिए अभिरक्षक द्वारा धारित शेयर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल योग (ए +बी +सी)	**0**	**4.00**	**4.00**	**100**	**0**	**4.00**	**4.00**	**100**	**0**

(ii) प्रवर्तकों की शेयर धारिता (लाख में)

क्रम सं.	शेयर धारक का नाम	वर्ष के आरंभ में शेयर धारिता			वर्ष के अंत में शेयर धारिता			
		शेयर की सं.	कंपनी के कुल शेयर का प्रतिशत	कुल शेयर से प्रतिभूत/ ऋणग्रस्त शेयर का प्रतिशत	शेयर की सं.	कंपनी के कुल शेयर का प्रतिशत	कुल शेयर से प्रतिभूत/ ऋणग्रस्त शेयर का प्रतिशत	वर्ष के दौरान शेयर धारिता के प्रतिशत में परिवर्तन
1	अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार	4.00	100%	शून्य	4.00	100%	शून्य	शून्य
	कुल	4.00	100%	शून्य	4.00	100%	शून्य	शून्य

(iii) प्रवर्तकों की शेयर धारिता में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन नहीं है तो कृपया उल्लेख करें)

क्रम सं.		वर्ष के आरंभ में शेयर धारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयर धारिता	
		शेयर की सं.	कंपनी के कुल शेयर का प्रतिशत	शेयर की सं.	कंपनी के कुल शेयर का प्रतिशत
1	वर्ष के आरंभ में	4.00	100%	4.00	100%
2	वर्ष के दौरान वृद्धि/कमी के कारणों (उदाहरणार्थ, आबंटन/अंतरण/अधिलाभ/ स्वेट इक्विटी इत्यादि) उल्लेख करते हुए प्रवर्तकों की शेयर धारिता में तिथिवार वृद्धि /कमी:	शून्य			
3	वर्ष के अंत में	4.00	100%	4.00	100%

(iv) पहले दस शेयर धारकों की शेयर धारिता के प्रतिरूप (जी.डी.आर. एवं ए.डी.आर. के निदेशकों, प्रवर्तकों एवं धारकों के अलावा):

क्रम सं.		वर्ष के आरंभ में शेयर धारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयर धारिता	
	पहले दस प्रत्येक शेयर धारकों के लिए	शेयर की सं.	कंपनी के कुल शेयर का प्रतिशत	शेयर की सं.	कंपनी के कुल शेयर का प्रतिशत
	वर्ष के आरंभ म	शून्य			
	वर्ष के दौरान वृद्धि/कमी के कारणों (उदाहरणार्थ, आबंटन/अंतरण/अधिलाभ/ स्वेट इक्विटी इत्यादि) का उल्लेख करते हुए प्रवर्तकों की शेयर धारिता में तिथिवार वृद्धि / कमी:				
	वर्ष के अंत में (या अलगाव की तिथि में, यदि वर्ष के दौरान अलगाव हुआ हो)				

(v) निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों की शेयर धारिता:

क्रम सं.	प्रत्येक निदेशक एवं के.एम.पी. के लिए	शेयर की सं.	कंपनी के कुल शेयर का प्रतिशत	कुल शेयर	कंपनी के कुल शेयर का प्रतिशत
	वर्ष के आरंभ में	शून्य			
	वर्ष के दौरान वृद्धि/कमी के कारणों (उदाहरणार्थ - आबंटन/अंतरण/अधिलाभ/स्वेट इक्विटी इत्यादि) का उल्लेख करते हुए शेयरधारिता में तिथिवार वृद्धि /कमी:				
	वर्ष के अंत म	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

V. ऋणग्रस्तता

बकाया ब्याज /प्रोद्भूत परन्तु भुगतान के लिए बाकी नहीं सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता

	जमा के अलावा सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
वित्त वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता i) मूलधन राशि ii) बकाया ब्याज लेकिन अप्रदत्त iii) प्रोद्भूत ब्याज परन्तु बाकी नहीं	शून्य			
कुल (i+ii+iii)				
वित्त वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन • वृद्धि • कमी				
निवल परिवर्तन				
वित्त वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता i) मूलधन राशि ii) बकाया ब्याज लेकिन अप्रदत्त iii) प्रोद्भूत ब्याज परन्तु बाकी नहीं				
कुल (i+ii+iii)				

VI. **निदेशको एवं प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों का पारिश्रमिक**

ए. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक और/या प्रबंधक का पारिश्रमिक:

क्रम सं.	पारिश्रमिक का विवरण	एम.डी./डब्ल्यू.टी.डी./प्रबंधक का नाम				कुल राशि
		(i) सी.एम.डी.. - डॉ. वि.एस.हेगड़े (31.05.2016 तक) (ii) सी.एम.डी. - श्री राकेश एस (01.06.2016 से) (iii) ई.डी.(ओ) श्री रघु वेंकटरामन (12.09.2016 तक)				
		सी.एम.डी.	ई.डी.	ई.डी. (ओ)	----	
1.	सकल वेतन					
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) में शामिल प्रावधान के तहत वेतन	35,74,846	शून्य	17,66,178		53,41,024
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (2) में शामिल प्रावधान के तहत अनुलब्धियों के मान	-	-	-		-
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के तहत वेतन के एवज में लाभ	-	-	-		-
2.	स्टॉक विकल्प					

3.	स्वेट इक्विटी					
4.	कमीशन - लाभ के % के रूप में - अन्य, उल्लेख करें ।			शून्य		
5.	अन्य, कृपया उल्लेख करें					
	कुल (ए)	**35,74,846**	**-**	**17,66,178**		**53,41,024**
	अधिनियम के अनुसार परिसीमन					

बी. अन्य निदेशकों हेतु पारिश्रमिक

क्रम सं.	**पारिश्रमिक का विवरण**	**निदेशकों के नाम**		**कुल राशि**
		श्री अरुण बालाकृष्णन	प्रोफे. देवांग खख्खर	
	1. स्वतंत्र निदेशकगण • बोर्ड/समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिए शुल्क • कमीशन • अन्य, कृपया उल्लेख करें	45,000	30,000	75,000
	कुल (1)			
	2. अन्य गैर-कार्यकारी निदेशकगण • बोर्ड/समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिए शुल्क • कमीशन • अन्य, कृपया उल्लेख करें	शून्य		
	कुल (2)	-	-	-
	कुल (बी)=(1+2)	45,000	30,000	75,000
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक (ए+बी)	36,19,846	17,96,178	54,16,024
	अधिनियम के अनुसार समग्र परिसीमन			

सी. एम.डी./प्रबंधक/डब्ल्यू.टी.डी. के अलावा प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों हेतु पारिश्रमिक

क्रम सं.	**पारिश्रमिक का विवरण**	**प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति**			
		सी.ई.ओ.	कंपनी सचिव	सी.एफ.ओ.	कुल
1	1. सकल वेतन (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) में शामिल प्रावधान के तहत वेतन (ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (2) में शामिल प्रावधान के तहत अनुलब्धियों के मान (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के तहत वेतन के एवज में लाभ		शून्य		
2	स्टॉक विकल्प				
3	स्वेट इक्विटी				
4	कमीशन - लाभ के % के रूप में - अन्य, उल्लेख करें ।				
5	अन्य, कृपया उल्लेख करें				
	कुल				

VII. शास्ति/दंड/संयोजित अपराध:

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	अधिरोपित शास्ति/दंड/संयोजित शुल्क का विवरण	प्राधिकार (आर.डी./ एन. सी.एल.टी./ न्यायालय)	की गई अपील, यदि कोई हो (विवरण दें)
ए. कंपनी					
शास्ति					
दंड			——— शून्य ———		
संयोजित					
बी. निदेशकगण					
शास्ति					
दंड			——— शून्य ———		
संयोजित					
सी. भुगतान नहीं करने वाले अन्य अधिकारी					
शास्ति					
दंड			——— शून्य ———		
संयोजित					

सी.एस.आर. क्रियाकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार)

1. **कंपनी की सी.एस.आर. नीति की संक्षिप्त रूपरेखा**

एन्ट्रिक्स, विभिन्न ग़ैर-सरकारी संस्थाओं एवं न्यासों द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए एवं आर्थिक संपन्नता में अभिवृद्धि के लिए कालावधि विशेष में सामुदायिक लाभ के कार्यक्रम संचालित करती है। मुख्य कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सी.एस.आर.) दीर्घकालिक क्रियाकलाप, पेयजल, सुविधाओं से वंचित लोगों में शिक्षा का प्रसार, स्वच्छता, स्वास्थ्य-रक्षा, पर्यावरण संबंधी दीर्घकालिकता, ग्राम विकास एवं विशेषकर ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कौशल-निर्माण को सुनिश्चित करने से संबंधित है। सी.एस.आर. नीति संबंधी विस्तृत विवरण हमारी वेबसाइट www.antrix.co.in पर उपलब्ध है।

2. **सी.एस.आर. समिति**

बोर्ड की सी.एस.आर. समिति कंपनी की सी.एस.आर. नीति के क्रियान्वयन के निरीक्षण के लिए उत्तरदायी है। सी.एस.आर. समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

प्रो. एस.के.जैन, स्वतंत्र निदेशक/अध्यक्ष सी.एस.आर. समिति

डॉ.वाई.वी.एन. कृष्णमूर्ति, निदेशक

डॉ.पी.जी.दिवाकर, निदेशक

3. **वित्तीय विवरण:**

(क) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 एवं इसके अंतर्गत बनाए गए नियम निर्धारित करते हैं कि किसी भी वित्त वर्ष के दौरान वैसी प्रत्येक कंपनी जिसका वास्तविक मूल्य ₹ 500 करोड़ या उससे अधिक है या व्यवसाय ₹ 1000 करोड़ या उससे अधिक है या शुद्ध लाभ ₹ 5 करोड़ या उससे अधिक है, को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह विगत तीन वर्षों के अपने औसत शुद्ध लाभ का 2% अपनी सी.एस.आर. नीति के अनुरूप व्यय करती है। कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सी.एस.आर.से संबंधित ये प्रावधान एन्ट्रिक्स के लिए भी लागू हैं।

(ख) वित्तीय वर्ष 2017 के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा अपेक्षित वित्तीय विवरण इस प्रकार हैं:

विवरण	राशि (₹ लाख में)
पिछले तीन वित्त वर्षों के लिए कंपनी के औसत निवल लाभ	31,319.17
निर्धारित सी.एस.आर. व्यय (यथोक्त परिगणित औसत शुद्ध लाभ का 2%)	626.40
वित्त वर्ष के लिए व्यय की जाने वाली कुल राशि	626.40
व्यय की गई राशि	493.77
बची हुई राशि	132.63

(ग) सार्वजनिक उद्यम विभाग (डी.पी.ई.) के दिशानिर्देश के अनुसार, एन्ट्रिक्स, बची हुई धनराशि को अगले वित्तीय वर्ष के लिए अग्रेनीत करती है। इसके लिए एन्ट्रिक्स ने एक अलग बैंक खाता खोल रखा है और बचे हुए सी.एस.आर. आबंटन को सी.एस.आर. के मद में होने वाले भविष्य के भुगतान के लिए अग्रेनीत किया जाता है।

(घ) कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान के अनुसार, यदि कंपनी विगत तीन वर्षों के अपने औसत शुद्ध लाभ का 2% या उसका कुछ भाग व्यय नहीं कर पाती है तो कंपनी अपने बोर्ड की रिपोर्ट में इसके कारण का उल्लेख करेगी।

2017 के वित्तीय वर्ष के दौरान सी.एस.आर. आबंटन के कम व्यय होने के कारण :

(i) 2016-17 के दौरान, एन्ट्रिक्स ने ₹ 1362 लाख तक के व्यय हेतु सी.एस.आर. क्रियाकलापों की पहचान पहले से ही कर रखी है जिनका क्रियान्वयन विभिन्न चरणों में हो रहा है। वर्ष के दौरान सी.एस.आर. मद में किया गया व्यय ₹ 493.77 लाख है एवं बची हुई धनराशि को 2017-78 के दौरान और उसके बाद व्यय किया जाएगा।

(ii) इसके अलावा, क्रियान्वयन एजेंसियों/लाभार्थियों के साथ मिलकर नई सी.एस.आर. परियोजना/कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत स्वच्छता सुविधा का उद्घाटन

दिव्यांग जनों के लिए उपकरण एवं सामग्री का वितरण

वित्तीय वर्ष 2017 के दौरान जिन परियोजनाओं एवं शीर्षों के अंतर्गत लागत राशि व्यय की गई, वे निम्नलिखित हैं:

(₹ लाख में)

क्र सं.	चिह्नित सी.एस.आर.परियोजना या क्रियाकलाप	परियोजना में शामिल किए गए क्षेत्र	परियोजना/कार्यक्रम का स्थान: (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) राज्य और ज़िला	लागत राशि (बजट)	परियोजनाओं/कार्यक्मों पर व्यय राशि उपशीर्ष- (1) प्रत्यक्ष व्यय; (2) उपरिव्यय		रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय	व्यय राशि : प्रत्यक्ष या एजेंसी द्वारा
					प्रत्यक्ष व्यय	उपरिव्यय		
1.	(i) सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में मौजूद शौचालय का जीर्णोद्धार	निरोधी स्वास्थ्य रक्षा एवं स्वच्छता सहित स्वास्थ्य रक्षा और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना	तिरुनेल्वेली ज़िला, तमिलनाडु	6.90	3.45		3.45	**क्रियान्वयन एजेंसी** इसरो नोदन कॉम्प्लेक्स, भारत सरकार
	(ii) पेयजल हेतु शिरोपरि जल-मंडारक का निर्माण		नेल्लोर ज़िला, आंध्रप्रदेश	47.63	20.00		20.00	**क्रियान्वयन एजेंसी** सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, भारत सरकार
	(iii) सरकारी अस्पताल, ए.पी.एम. सी. यार्ड एवं ताल्लुक कार्यालय में सामुदायिक शौचालय		चिकबल्लापुर ज़िला, कर्नाटक	151.37	136.23		136.23	**क्रियान्वयन एजेंसी** सुलभ अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवा संगठन
	(iv) इंदिरा गाँधी बाल स्वास्थ्य अस्पताल संस्थान में सामुदायिक शौचालय		बेंगलूरु ज़िला, कर्नाटक	20.61	18.55		18.55	**क्रियान्वयन एजेंसी** सुलभ अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवा संगठन
	(v) विद्यालय में 33 शौचालय इकाई का निर्माण		चिकबल्लापुर ज़िला, कर्नाटक	109.90	109.90		109.90	**क्रियान्वयन एजेंसी** सुलभ अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवा संगठन
	(vi) मल-जल परिशोधन संयंत्र का निर्माण		बीदर ज़िला, कर्नाटक	32.00	30.00		30.00	**क्रियान्वयन एजेंसी** राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र, भारत सरकार
2.	(i) सरकारी उच्च विद्यालयों में कम्प्यूटर एवं पुस्तकालय कक्ष, साइकिल शेड तथा चहारदीवारी का निर्माण	शिक्षा को प्रोत्साहन एवं दिव्यांग जनों का सशक्तिकरण	तिरुनेल्वेली ज़िला, तमिलनाडु	50.02	25.01		25.01	**क्रियान्वयन एजेंसी** इसरो नोदन कॉम्प्लेक्स, भारत सरकार
	(ii) सरकारी विद्यालयों में अंतरिक्ष शैक्षणिक सामान प्रदान करना		चिकबल्लापुर ज़िला, कर्नाटक	1.40	1.40		1.40	**एन्ट्रिक्स द्वारा सीधे तौर पर**
	(iii) 25 लड़कियों की शिक्षा के लिए सहायता		एलप्पी ज़िला, केरल	6.57	6.57		6.56	**क्रियान्वयन एजेंसी** दीर्घकालिक विकास के लिए केयर इंडिया समाधान

वित्तीय वर्ष 2017 के दौरान जिन परियोजनाओं एवं शीर्षों के अंतर्गत लागत राशि व्यय की गई, वे निम्नलिखित हैं:

(₹ लाख में)

क्र सं.	चिह्नित सी.एस.आर.परियोजना या क्रियाकलाप	परियोजना में शामिल किए गए क्षेत्र	परियोजना/कार्यक्रम का स्थान: (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) राज्य और ज़िला	लागत राशि (बजट)	परियोजनाओं/कार्यक्मों पर व्यय राशि उपशीर्ष- (1) प्रत्यक्ष व्यय; (2) उपरिव्यय		रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय	व्यय राशि : प्रत्यक्ष या एजेंसी द्वारा
					प्रत्यक्ष व्यय	उपरिव्यय		
	(iv) दिव्यांग जनों के लिए कृत्रिम सहायता सामग्री		हासन ज़िला, कर्नाटक एवं नेल्लोर ज़िला, आंध्रप्रदेश	132.61	75.49	0.76	104.53	**क्रियान्वयन एजेंसी** भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिमको)
3.	राष्ट्रीय खेल विकास निधि के लिए योगदान	खेलों को प्रोत्साहन	समस्त भारत	5.00	5.00		5.00	**क्रियान्वयन एजेंसी** युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार
4.	आदर्श ग्राम विकासग्राम विकास परियोजना	ग्राम विकास परियोजना	ब्रह्मासांद्रा गाँव, तुमकुरु ज़िला, कर्नाटक	381.13	61.41		61.41	**क्रियान्वयन एजेंसी** बी.आई.ए.एफ विकास अनुसंधान संस्थान
			कुल	**945.14**	**493.01**	**0.76**	**522.04**	

हमारा सी.एस.आर. उत्तरदायित्व

एतद् द्वारा हम प्रमाणित करते हैं कि बोर्ड द्वारा स्वीकृत सी.एस.आर. नीति कार्यान्वित की गई है और सी.एस.आर. समिति सी.एस.आर के लक्ष्यों का अनुपालन करते हुए परियोजनाओं एवं क्रियाकलापों की निगरानी करती है।

हस्ता/-
(एस.के.जैन)
अध्यक्ष, सी.एस.आर. समिति

हस्ता/-
(राकेश एस)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में, एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यगण

वित्तीय विवरणी पर रिपोर्ट

हमने मेसर्स एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की संलग्न इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी का लेखा परीक्षण किया है जिसके साथ दिनांक 31 मार्च, 2017 तक का तुलनपत्र, अन्य व्यापक आय सहित लाभ तथा हानि का विवरण, नकद प्रवाह विवरणी एवं तब समाप्त हुए इक्विटी में परिवर्तन की विवरणी प्रमुख लेखा-नीतियों का सारांश और तब समाप्त हुए वर्ष के लिए व्याख्यात्मक सूचना शामिल है।

इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरण हेतु प्रबंधन की जिम्मेदारी:

कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") की धारा 134 (5) में उल्लिखित बातों के अनुरूप इन इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी हेतु प्रबंधन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है, जो सामान्यतया भारत में स्वीकृत लेखा-विधि सिद्धांत के साथ-साथ अधिनियम की धारा 133, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के पठ्य नियम 7 में संदर्भित लेखा मानकों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन की सच्ची एवं सही स्थिति दर्शाती है। इस जिम्मेदारी में, कंपनी की परिसम्पत्ति की रक्षा एवं धोखाधड़ी तथा अनियमितताओं को पता लगाने एवं रोकने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखा-विधि, रिकार्डों का रख-रखाव; उचित लेखा-विधि नीतियों का चयन एवं अनुप्रयोग; तार्किक एवं बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय एवं आकलन करना; और पर्याप्त वित्तीय नियंत्रण का आरेखन, कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण, जो लेखा-विधि रिकॉर्डों की सत्यता एवं पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावकारी ढंग से कार्य कर रहे थे, वित्तीय विवरण से संबंधित तैयारी एवं प्रस्तुति, जो धोखाधड़ी या भूल से उत्पन्न तथ्यात्मक गलत विवरण से मुक्त, सच्ची एवं सही स्थिति दर्शाते हों जिन्हें उपर्युक्त इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी की तैयारी के उद्देश्य से उपयोग में लाया गया है।

लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी:

अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी पर विचार व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है। लेखा-परीक्षण करते समय हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखा-विधि एवं लेखा परीक्षा तथा उन बातों का ख्याल रखा है जिसे विहित अधिनियम एवं नियमों में उल्लिखित प्रावधानों के तहत शामिल करना जरूरी था।

हमने अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत उल्लिखित लेखा परीक्षा मानकों के अनुरूप इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी लेखा परीक्षा की। उन मानकों के अनुसार हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम नैतिक आवश्यकताओं को पूरा करें और अपेक्षित आश्वासन पाने के लिए लेखा परीक्षा को इस प्रकार नियोजित और निष्पादित करें ताकि इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरण तथ्यात्मक गलत विवरण से मुक्त हों।

किसी भी लेखा परीक्षा में, राशियों के बारे में लेखा परीक्षा प्रमाण जुटाने तथा इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण के लिए निष्पादन-प्रक्रियाओं की आवश्यकता पड़ती है। प्रक्रियाओं का चयन लेखा परीक्षण के निर्णय पर निर्भर करता है जिसमें इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी से या भूलवश दी गई तथ्यात्मक गलत विवरण के जोखिम का आकलन शामिल है। वैसे भी, जोखिम का आकलन करने में लेखा परीक्षक कंपनी की तैयारी से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एवं इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणों की स्पष्ट प्रस्तुति के लिए परिस्थितियों के अनुरूप लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आरेखन पर विचार करते हैं न कि यह विचार रखने के लिए कंपनी के पास वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली तथा ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनात्मक प्रभावोत्पादकता है या नहीं। लेखा परीक्षा में उपयोग में लाई गई लेखा-विधि नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन तथा निदेशकमंडल द्वारा किए गए लेखा-विधि आकलनों की तर्कसंगतता, साथ ही, वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन शामिल है।

हमें विश्वास है कि जो लेखा-विधि प्रमाण हमने प्राप्त किया है, वह इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी पर अपने लेखा परीक्षा संबंधी विचार व्यक्त करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त है।

विशिष्ट मंतव्य :

हमारे विचार से तथा हमें प्राप्त सूचना एवं दिए गए विवरण के आधार पर, हमारी रिपोर्ट के भाग, विशिष्ट मंतव्य के आधार के रूप में वर्णित बातों को छोड़कर 31 मार्च, 2017 तक कंपनी की वित्तीय स्थिति के इण्ड ए.एस. सहित एवं इसकी वित्तीय आय,नकद प्रवाह एवं समाप्त हुए वर्ष की इक्विटी में परिवर्तन सहित उपर्युक्त विवरणी भारत में सर्वमान्य लेखा-विधि सिद्धान्तों की आवश्यकताओं के अनुरूप सत्य एवं स्पष्ट दृष्टिकोण परिलक्षित करती है।

विशिष्ट मंतव्य का आधार:

वित्त वर्ष के दैरान, अंतरिक्ष खण्ड प्रभार से प्राप्त कंपनी के ₹ 149510.74 लाख के राजस्व (सेवा-विक्रय के अंतर्गत वर्गीकृत) में वर्ष 2016-17 के दैरान, 21.05.2013 से 31.03.2016 की अवधि हेतु मेसर्स भारतीय वायु सेना द्वारा प्रदत्त ₹ 3400.00 लाख का बिल भी शामिल है। कंपनी के ₹ 132733.76 लाख के अंतरिक्ष खण्ड क्षमता प्रभार की लागत में 21.05.2013 से 31.03.2016 की अवधि हेतु अंतरिक्ष विभाग को देय ₹ 2890.00 लाख की समनुरूप लागत शामिल है।

वित्त वर्ष के दौरान, अंतर्देशीय परामर्शिता सेवा से प्राप्त कंपनी के ₹ 5788.18 लाख के राजस्व (सेवा-विक्रय के अंतर्गत वर्गीकृत) में वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के वित्त वर्षों के दौरान, रक्षा मंत्रालय, भारतीय मुख्यालय को प्रदत्त परियोजना प्रबंधन सेवाओं से प्राप्त ₹ 4897.00 लाख का राजस्व भी शामिल है।

कंपनी के अभिलेख यह सूचित करते हैं कि यदि प्रबंधन ने पिछले वित्त वर्ष के रिज़र्व को इण्ड ए.एस. की शर्तों के अनुरूप उपर्युक्त राशि पुन: उल्लिखित किया होता तो प्रचालनों से प्राप्त राजस्व ₹ 8297 लाख से कम हो गया होता, प्रचालन लागत ₹ 2890 लाख से कम हो गई होती, उक्त अवधि के लिए जारी प्रचालनों से कर पश्चात् लाभ ₹ 3535.64 लाख से कम हो गया होता और तदनुसार

पिछले वित्त वर्ष के रिज़र्व में ₹ 3535.64 लाख की अभिवृद्धि हो गई होती।

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत उल्लिखित लेखापरीक्षण के मानक (एस.ए.) के अनुरूप अपना लेखापरीक्षण किया है। उन मानकों के अंतर्गत वितीय विवरणी के लेखापरीक्षण के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व खण्ड के अंतर्गत अपने उत्तरदायित्व का वर्णन आगे प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में किया गया है। भारत के चार्टरित लेखाकारों की संस्था द्वारा जारी नैतिक-संहिता के साथ-साथ नैतिक आवश्यकताएँ जो कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत वित्तीय विवरणी के लेखापरीक्षण से संबंधित हैं, के अनुरूप हम कंपनी से स्वतंत्र हैं और इन आवश्यकताओं तथा आई.सी.ए.आई. की नैतिक-संहिता के अनुरूप हमने अपना नैतिक उत्तरदायित्व निभाया है। हमें विश्वास है कि हमने जो लेखापरीक्षण साक्ष्य एकत्रित किया है वह अपने सापेक्ष मंतव्य को आधारभूत बनाने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त है।

तथ्यात्मक महत्ता:

हम निम्नलिखित बातों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं:-

(क) नोट सं. 40 आकस्मिक देयता के बारे में जो मेसर्स देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कंपनी के विरूद्ध दायर किए गए दावे से संबंधित विधिक कार्यवाही के परिमाण से संबंधित अनिश्चितता का वर्णन करता है।

(ख) नोट सं. 51 - ग्राहकों से जमा सुनिश्चितता की अनुपलब्धता, सुनिश्चितता प्राप्त ग्राहक खातों के लंबित सामंजस्य के संबंध में।

(ग) नोट सं. 54 - अप्रदत्त विवादित के.ए.वी.टी. देयता से संबंधित आगे दिए जाने वाले ब्याज का अप्रकटीकरण जिस कारण आकस्मिक देयता की न्यूनोक्ति के बारे में।

(घ) नोट सं. 55 - सरकारी विभागों / संगठनों से दीर्घ लंबित बकाया जिससे प्रावधान की अनिश्चितता परिलक्षित होती है, यदि कोई आवश्यक हो, के बारे में।

उपर्युक्त मामलों में हमारा मंतव्य विशिष्ट नहीं है।

अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट:

1. भारत सरकार द्वारा जारी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा 11 से संबंधित कंपनी आदेश, 2016 ("आदेश") द्वारा यथा अपेक्षित, कंपनी संशोधन आदेश, 2016 (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) द्वारा यथा संशोधित (दोनों मिलाकर एक 'आदेश'), के अनुच्छेद 3 एवं 4 में उल्लिखित विषय वस्तुओं पर अधोलिखित अनुलग्नक-क में विवरण प्रस्तुत है।
2. अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा यथा अपेक्षित, हम रिपोर्ट करते हैं कि:
   - क) हमने अपने ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर अपनी उपर्युक्त इण्ड ए.एस. लेखा परीक्षा के लिए सभी सूचनाओं की माँग की एवं प्राप्त किया है;
   - ख) हमारे विचार से, उपर्युक्त इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी की तैयारी से संबंधित कंपनी के पास विधिसम्मत उपयुक्त लेखा-बही है, जैसा कि इनकी परीक्षाओं से परिलक्षित होता है।
   - ग) इस रिपोर्ट द्वारा व्यवहृत, तुलनपत्र, लाभ तथा हानि लेखा, नकद प्रवाह विवरणी, इक्विटी में परिवर्तन की विवरणी इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी की तैयारी के उद्देश्य से अनुरक्षित खाता-बही के अनुरूप है।
   - घ) हमारे विचार से, उपर्युक्त इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी अधिनियम की धारा 133, में जारी संबंधित पठ्य अधिनियम के अनुरूप है।
   - ङ) कॉर्पोरेट मामले के मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा दिनांक 5 जून, 2015 को जारी अधिसूचना सं.जी.एस.आर.463 (ई.) के अनुसार, धारा 164 (2) कंपनी के लिए लागू नहीं है।
   - च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता से संबंधित एवं ऐसे नियंत्रण के परिचालन प्रभावोत्पादकता के लिए "अनुसूची-ख" में हमारे अलग से प्रस्तुत रिपोर्ट का संदर्भ लें। एवं
   - छ) कंपनी (लेखापरीक्षण एवं लेखापरीक्षक) नियम 2014 के नियम 11 के अनुरूप लेखापरीक्षक रिपोर्ट में शामिल अन्य बातें, मेरे मतानुसार एवं हमारी सूचनाओं के आधार पर तथा हमें दी गई व्याख्या के अनुसार, के संदर्भ में:-
     - i. कंपनी ने अपनी इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मामलों से पड़ने वाले प्रभाव का उल्लेख किया है। - इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी के नोट 44 का संदर्भ लें।
     - ii. व्युत्पन्न संविदा जिसके लिए भविष्य में कोई भौतिक हानि सहित कोई दीर्घावधि संविदा कंपनी के पास नहीं है, और
     - iii. कंपनी के पास कोई राशि नहीं है जिसे निदेशक शिक्षा एवं बचाव निधि में हस्तांतरित किया जाए।
     - iv. कंपनी ने, 08 नवम्बर, 2016 से 30 दिसम्बर, 2016 तक की अवधि के दौरान विशिष्ट बैंक नोट में होल्डिंग के साथ-साथ लेन-देन से जुड़े आवश्यक प्रकटीकरण अपनी इण्ड ए. एस. वित्तीय विवरणी में प्रदान किया है और यह कंपनी द्वारा अनुरक्षित खाता-बही के अनुरूप है - इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी की नोट 39 का संदर्भ लें;
3. अधिनियम की धारा 143 (5) द्वारा यथापेक्षित, हम अनुसूची-ग भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा विशिष्ट मामलों की विवरणी, प्रस्तुत करते हैं।

कृते मेसर्स बी.वी.राव एवं कं.एल.एल.पी.,
चार्टरित लेखाकार
प्रतिष्ठान पंजीकरण सं.: 003118एस./एस.200049

स्थान: बेंगलूरु
दिनांक: 24 जुलाई, 2017

हस्ता/-
(बी. विनय कुमार)
भागीदार
स.सं. 223723

लेखापरीक्षक रिपोर्ट की परिशिष्ट - 'क'

(अन्य विधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट के अनुच्छेद -I से संदर्भित)

(i) स्थाई परिसंपत्ति के संबंध में:

क) कंपनी ने, अधिकांश मामलों में अपनी स्थाई परिसंपत्ति के परिमाणात्मक विवरण तथा स्थिति सहित पूर्ण विवरण देते हुए उचित अभिलेख अनुरक्षित कर रहा है।

ख) उचित अंतराल पर कंपनी प्रबंधन द्वारा कंपनी की स्थाई परिसंपत्ति की भौतिक जाँच हो चुकी है। हमें जानकारी दी गई है कि जाँच के दौरान सूची से मिलान करते समय कोई कमी नहीं पाई गई है।

ग) हमें जो सूचना और स्पष्टीकरण मिले हैं तथा हमारे द्वारा कंपनी के अभिलेखों की जाँच के आधार पर, अं.वि., भारत सरकार के साथ पट्टे पर जमीन का करार अपंजीकृत है।

(ii) वस्तुसूची के संदर्भ में, चूँकि कंपनी एक सेवा उन्मुख उपक्रम है अत: कंपनी के पास कोई वस्तुसूची नहीं है।

(iii) हमारे मत से एवं हमें प्राप्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत भागीदारों या अन्य दलों को कोई सुरक्षित या असुरक्षित ऋण प्रदान नहीं किया है। अतएव, आदेश के अनुच्छेद 3 के उपबंध (i) (क), (ii) (ख), तथा (iii) (ग), कंपनी के लिए लागू नहीं है।

(iv) हमारे मत से एवं हमें प्राप्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 तथा 186 के तहत ऋण नहीं दिया है या निवेश नहीं किया है या कोई गारंटी प्रतिभूति नहीं दिया है।

(v) कंपनी ने, वर्ष के दौरान कोई सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं की है। हमें प्राप्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 की धाराओं 73 से 76 तक के प्रावधानों या किसी अन्य संबंधित प्रावधानों एवं स्वीकार की जाने वाली जमा से संबंधित, यथा संशोधित, कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 कंपनी के लिए लागू नहीं है।

(vi) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा वर्णित लागत अभिलेख के अनुरक्षण के संबंध में, कंपनी एक सेवा उन्मुख कंपनी है और इस प्रकार का आदेश के अनुच्छेद 3 के खण्ड (vi) लागत अभिलेख लागू नहीं है।

(vii) सांविधिक बकायों से संबंधित प्राप्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार,

(क) कंपनी, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, केंद्रीय बिक्रीकर, सेवाकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य संवर्द्धित कर, उपकर तथा उचित प्राधिकरणों के साथ कोई अन्य सांविधिक बकाया सहित गैर-विवादित सांविधिक बकाया को जमा करने में सामान्यतया नियमित रही है। हमें प्राप्त सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, 31 मार्च, 2016 तक के लेखाओं के अनुसार, जब से देय है, तब से 6 महीने की अवधि से अधिक कोई गैर-विवादित सांविधिक बकाया बाकी नहीं है।

(ख) हमें प्राप्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, विवाद के कारण, आयकर, बिक्री कर, सेवाकर, सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क एवं मूल्य संवर्द्धित कर जैसे अधोलिखित बकाये कंपनी द्वारा जमा नहीं कराए गए हैं:-

क्रम सं.	परिनियम के नाम	बकाया के प्रकार	राशि (₹ लाख में)	अवधि जिसके लिए यह बाकी है	न्यायालय जहाँ मामला लंबित है
1	वित्त अधिनियम, 1994 का अध्याय V	सेवा कर	4,798.95	01-07-2012 से 30-09-2014 तक	केंद्रीय उत्पाद एवं सेवाकर अपीलीय न्यायालय (सी.ई.एस.टी.ए.टी.), बेंगलूरु
2	कर्नाटक वैट अधिनियम, 2005 एवं केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	के-वैट एवं केंद्रीय बिक्री कर	20,595.56	01-04-2005 से 31-07-2008 तक	माननीय भारत के सर्वोच्च न्यायालय
3	कर्नाटक वैट अधिनियम, 2005 एवं केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	के-वैट एवं केंद्रीय बिक्री कर	7,109.80	01-08-2008 से 31-03-2010 तक	माननीय भारत के सर्वोच्च न्यायालय
4	कर्नाटक वैट अधिनियम, 2005	के.वी.ए.टी.	116,735.08	01.04.2010 से 31.03.2014 तक	माननीय भारत के सर्वोच्च न्यायालय

(viii) हमारे मत से तथा हमारे पास उपलब्ध सूचना के आधार पर, वर्ष के दौरान, कंपनी ने न तो बैंक/ वित्तीय संस्थानों से कोई राशि उधार ली है और न ही, कोई डिबेंचर जारी किया है। अतएव, आदेश के अनुच्छेद 3 के खण्ड (viii) लागू नहीं है।

(ix) हमें प्राप्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के आधार पर, कंपनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या अगले सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण पत्रक सहित) द्वारा कोई उगाही नहीं की है और बैंको तथा वित्तीय संस्थानों से आवधि ऋण नहीं लिया है।

(x) हमारी पुष्ट जानकारी एवं विश्वास तथा हमें प्राप्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान धोखाधड़ी की कोई घटना या तो कंपनी द्वारा या इसके अधिकारियों द्वारा या कर्मचारियों द्वारा नहीं घटित हुई है।

(xi) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 463 (ई.) दिनांक 05 जून, 2015 के अनुसार, धारा 197 लागू नहीं है। अतएव, आदेश के अनुच्छेद 3 के खण्ड (xi) लागू नहीं है।

(xii) हमारे मत से तथा हमें प्राप्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी, कोई निधि कंपनी नहीं है। अतएव, आदेश का अनुच्छेद 3 के खण्ड (xii) लागू नहीं है।

(xiii) हमें प्राप्त सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की जाँच के आधार पर, संबंधित पक्षों के साथ अंतरण कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 एवं 188 का अनुपालन करते हैं। जहाँ, लागू होने वाले लेखा विधि मानकों द्वारा, यथापेक्षित वित्तीय विवरणी इत्यादि में ऐसे अंतरण उल्लिखित किए गए हैं।

(xiv) कंपनी ने, वर्ष के दौरान, कोई अधिमान्य आबंटन या शेयरों का निजी स्थानन या पूर्णतः या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर जारी नहीं किया है। अतएव, आदेश के अनुच्छेद 3 के खण्ड (xiv) लागू नहीं है।

(xv) हमें प्राप्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के तहत आने वाले निदेशकों या उनके साथ काम करने वाले व्यक्तियों से कंपनी ने नकद के अलावा कोई अंतरण नहीं किया है। अतएव, आदेश के अनुच्छेद 3 के खण्ड (xv) लागू नहीं है।

(xvi) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-I 'क' कि तहत पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं है।

कृते मेसर्स बी.वी.राव एवं कं.एल.एल.पी.,
चार्टरित लेखाकार
प्रतिष्ठान पंजीकरण सं.: 003118एस./एस.200049

स्थान: बेंगलूरु
दिनांक: 24 जुलाई, 2017

हस्ता/-
(बी. विनय कुमार)
भागीदार
स.सं. 223723

लेखापरीक्षक रिपोर्ट की परिशिष्ट-ख

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 143 की उपधारा 3 के अनुच्छेद (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने मेसर्स एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की 31 मार्च, 2017 तक की वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का लेखा परीक्षण किया है जो उस तिथि तक समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी की वित्तीय लेखा के लेखापरीक्षण से संयोजित है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का दायित्व

भारत के चार्टरित लेखाकार संस्थान (आई.सी.ए.आई.) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षण पर दिशानिर्देश नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए वित्तीय नियंत्रण की स्थापना एवं अनुरक्षण हेतु कंपनी के निदेशक-मंडल उत्तरदायी हैं। इन उत्तरदायित्यों में व्यापार का सुचारू और सक्षम संचालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का डिजाइन, क्रियान्वयन और अनुरक्षण शामिल है और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत यथापेक्षित कंपनी की नीतियाँ, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, लेखा-विधि अभिलेखों की सत्यता एवं पूर्णता एवं विश्वसनीय वित्तीय सूचना का समय पर तैयारी भी शामिल है।

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण से संबंधित वित्तीय रिपोर्टिंग पर अपने लेखापरीक्षण पर आधारित अपना मत प्रकट करना है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (दिशानिर्देश नोट) पर आई.सी.ए.आई - द्वारा जारी तथा कंपनी अधिनियम 2013, की धारा 140(10) के तहत विहित लेखा परीक्षण मानक के अनुसार अपना लेखापरीक्षण किया है, उस सीमा तक जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षण हेतु लागू है और दोनों भारत के चार्टरित लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किया गया है। इन मानकों तथा दिशानिर्देश नोट के लिए यह आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित करने के लिए उपयुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएँ तथा लेखा परीक्षण निष्पादित करें और यदि ये नियंत्रण भौतिक रूप से प्रभावशाली ढंग से प्रचालित किए गए।

हमारे लेखापरीक्षण में वित्तीय नियंत्रण से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखापरीक्षण प्रमाण एवं उनकी प्रभावोत्पादकता प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएँ शामिल हैं। वित्तीय नियंत्रण की समझ, जोखिम या आकलन कि एक भौतिक कमजोरी विद्यमान है, और आकलित जोखिम पर आधारित आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन तथा प्रचालन प्रभावोत्पादकता का परीक्षण एवं मूल्यांकन शामिल है। चयनित प्रक्रिया लेखापरीक्षक के निर्णय, जिसमें धोखाधड़ी या भूल के कारण इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी पर भौतिक गलतबयानी से उत्पन्न जोखिम का आकलन शामिल है, पर निर्भर करता है।

हमें विश्वास है कि लेखापरीक्षण प्रमाण जो हमने प्राप्त किया है वह कंपनी वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षण मत करने के लिए आधार के तौर पर पर्याप्त एवं उचित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

एक कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिससे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता से संबंधित उचित आश्वासन तथा सामान्यतया स्वीकृत लेखाविधि सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणी की तैयारी प्रदान होती हैं। एक कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो (1) कंपनी की परिसंपत्ति के अंतरण एवं वितरण की सटीक एवं सही, उचित विवरण सहित, अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित हैं। (2) उचित आश्वासन प्रदान करती है कि अभिलिखित अंतरण सामान्यतया स्वीकृत लेखा-विधि के अनुसार वित्तीय विवरणी तैयार करने की अनुमति हेतु आवश्यक है और कंपनी की प्राप्ति एवं व्यय कंपनी के निदेशकों एवं प्रबंधन के प्राधिकार के अनरूप तैयार किए जाते हैं। और (3) कंपनी की परिसंपत्ति की अनधिकृत प्राप्ति, उपयोग या वितरण से संबंधित समय पर पहचान या रोक थाम के लिए उचित आश्वासन प्रदान करती है जिसका वित्तीय विवरणी पर भौतिक प्रभाव पड़ता हो।

वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित परिसीमा

वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की

अंतर्निहित परिसीमन के कारण मिलीभगत की संभावनाओं या नियंत्रण के अनुचित प्रबंधन प्रत्यादेश के कारण, भूल या धोखाधड़ी के कारण भौतिक गलत बयानी हो सकती है और जिसकी पहचान नहीं की जा सकती। साथ ही, भविष्य के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी मूल्यांकन का प्रक्षेप जोखिम भरा है। इस कारण, वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है या नीतियों अथवा प्रक्रियाओं के साथ अनुपालन का स्तर घट सकता है।

विशिष्ट मंतव्य

हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के आधार पर और हमारे लेखापरीक्षण पर आधारित 31 मार्च, 2017 तक अधोलिखित भौतिक कमजोरियों की पहचान की गई है:

(क) ग्राहकों से बकाया की प्राप्तियों के मॉनीटरन पर जोर देने की आवश्यकता।

वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में, "भौतिक कमजोरी" एक कमी या कमियों का योग होती है जिसके कारण ऐसी उचित संभावना बनती है कि कंपनी के वार्षिक या अंतरिम विवरणी को भौतिक गलतबयानी से बचाया नहीं जा सकता या समय पर उसकी पहचान नहीं हो सकती।

हमारे मत से, भौतिक कमजोरियों के प्रभावों/संभावित प्रभावों पर उपरिवर्णित नियंत्रण मापदंडों के उद्देश्यों की उपलब्धि के सिवाय, कंपनी ने, सभी भौतिक अर्थों में, वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का पर्याप्त अनुरक्षण किया है और भारत के चार्टरित लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षण पर दिशानिर्देश नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड पर आधारित ऐसे वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2017 तक प्रभावी ढंग से प्रचालित हो रहे थे।

हमने, कंपनी की 31 मार्च, 2017 की वित्तीय विवरणी में हमारे लेखापरीक्षण में ऊपर चिह्नित एवं रिपोर्ट की हुई भौतिक कमजोरी की प्रकृति के निर्धारण, समय और लेखापरीक्षण में प्रयुक्त जाँच की सीमा पर विचार किया है और ये भौतिक कमजोरियाँ कंपनी की वित्तीय विवरणी के बारे में हमारे मत पर कोई प्रभाव नहीं डालती।

कृते मेसर्स बी.वी.राव एवं कं.एल.एल.पी.,
चार्टरित लेखाकार
प्रतिष्ठान पंजीकरण सं.: 003118एस./एस.200049

स्थान: बेंगलूरु
दिनांक: 24 जुलाई, 2017

हस्ता/-
(बी. विनय कुमार)
भागीदार
स.सं. 223723

स्वतंत्र लेखापरीक्षा हेतु अनुसूची - सी

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत निर्देश

	निर्देश	की गई कार्रवाई, वित्तीय विवरणी एवं लेखा पर पड़ने वाले प्रभाव
1.	क्या कंपनी के पास क्रमशः पूर्ण स्वामित्व एवं पट्टे पर जमीन के लिए स्वामित्व अधिकार/ पट्टा करार है? यदि नहीं, तो कृपया पूर्णस्वामित्व एवं पट्टे पर की जमीन के क्षेत्रफल का उल्लेख करें जिसके लिए स्वामित्व अधिकार/ पट्टा करार उपलब्ध नहीं है।	कंपनी के पास अंतरिक्ष विभाग (अं.वि.), भारत सरकार से पट्टे पर ली गई जमीन है जिस पर एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन कार्यालय निर्मित है और कंपनी के पास अं.वि. के साथ किया गया करार है।
2.	कृपया बताएँ कि ऋण/कर्ज/ब्याज इत्यादि के अधित्याग/बट्टे खाते में डालने जैसा कोई मामला है? यदि हाँ, तो उसका कारण तथा शामिल राशि का उल्लेख करें।	वर्ष के दौरान ऋण/कर्ज/ब्याज इत्यादि के अधित्याग/बट्टे खाते में डालने जैसा कोई मामला नहीं है।
3.	क्या तीसरे पक्ष के पास रखी वस्तुसूची एवं सरकार या अन्य प्राधिकृत संस्था से उपहार के रूप में प्राप्त परिसंपत्ति के उचित अभिलेख अनुरक्षित हैं?	तीसरे पक्ष के पास कोई वस्तुसूची रखी हुई नहीं है। सरकार या प्राधिकृत संस्था से कोई उपहार/अनुदान के रूप में परिसंपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

दिनांक 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लि. के वित्तीय विवरणों पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) (ख) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए **एन्ट्रिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड**, के वित्तीय विवरण, कम्पनी अधिनियम, 2013 में विनिर्दिष्ट वित्तीय रिपोर्टिंग कार्य-ढाँचे के अनुसार तैयार करना कम्पनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। इस अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी भारतीय चार्टरित लेखाकार संस्थान द्वारा विनिर्दिष्ट लेखा-परीक्षा मानक के अनुसार स्वतंत्र रूप से लेखा-परीक्षा करते हुए अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत इन वित्तीय विवरणों पर अपना विचार व्यक्त करना है। दिनांक 24 जुलाई, 2017 की उनकी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में ऐसा करने के बारे में उल्लेख है।

मैंने, अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की तरफ से 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए **एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड** के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखा-परीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्य सबंधी कागजात प्राप्त किए बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और प्राथमिक रूप से यह सांविधिक लेखापरीक्षकों और कम्पनी के कार्मिकों से पूछताछ और कुछ लेखाविधि रिकार्डों के चुनिंदा परीक्षण तक ही सीमित है। मेरी लेखा-परीक्षा के आधार पर, मेरे संज्ञान में कोई ऐसी विशिष्ट बात नहीं आई है जिस पर कोई टिप्पणी करने की जरूरत हो या सांविधिक लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट की पूरक रिपोर्ट तैयार करनी पड़ी हो।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के लिए एवं की ओर से

हस्ता./-
(रितिका भाटिया)
प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा-परीक्षा एवं
पदेन सदस्य, लेखा-परीक्षा बोर्ड-IV

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 06.09.2017

विस्तृत वित्तीय विवरणी

तुलनपत्र

(राशि ₹ लाख में)

	नोट	31 मार्च, 2017 तक	31 मार्च, 2016 तक	1 अप्रैल 2015 तक
परिसंपत्ति				
दीर्घकालीन परिसंपत्ति				
संपत्ति,संयंत्र एवं उपकरण	5	1,383.24	1,430.33	1,523.22
अन्य अमूर्त परिसंपत्ति	6	68.10	2.32	4.21
वित्तीय परिसंपत्ति				
(क) ऋण	7	0.06	0.64	0.38
(ख) अन्य वित्तीय परिसंपत्ति	8	5,018.98	5,013.99	5,013.99
अन्य दीर्घकालीन परिसंपत्ति	9	55,606.90	52,941.02	48,244.23
अन्य कर परिसंपत्ति	31	12,120.47	11,289.65	15,482.78
कुल दीर्घकालीन परिसंपत्ति		**74,197.75**	**70,677.95**	**70,268.81**
चालू परिसंपत्ति				
वित्तीय परिसंपत्ति				
(क) निवेश	10	21,252.68	-	-
(ख) व्यापार प्राप्तियाँ	11	61,673.15	49,335.07	47,302.12
(ग) नकद एवं नकद समतुल्य	12	1,20,942.28	1,51,890.35	1,34,328.94
(घ) अन्य वित्तीय परिसंपत्ति	13	5,469.72	6,911.29	7,444.95
अन्य चालू परिसंपत्ति	14	14,732.65	11,655.52	20,020.26
कुल चालू परिसंपत्ति		**2,24,070.48**	**2,19,792.23**	**2,09,096.27**
कुल परिसंपत्ति		**2,98,268.23**	**2,90,470.18**	**2,79,365.08**
इक्विटी एवं देयता				
इक्विटी शेयर पूँजी	15	400.00	400.00	400.00
अन्य इक्विटी	16 &17	1,58,881.81	1,42,259.34	1,29,078.25
		1,59,281.81	**1,42,659.34**	**1,29,478.25**
देयता				
दीर्घकालीन देयता				
वित्तीय देयता				
अन्य वित्तीय देयता	18	17,516.51	13,869.74	10,759.08
अन्य दीर्घकालीन देयता	19	36,913.23	46,643.76	63,797.70
प्रावधान	20	78.79	49.19	29.99
आस्तगित कर देयता (निवल)	31	1,411.15	867.33	1,415.66
कुल दीर्घकालीन देयता		**55,919.68**	**61,430.02**	**76,002.43**
चालू देयता				
वित्तीय देयता				
(क) व्यापार देय	21	68,774.68	70,966.33	56,313.13
(ख) अन्य वित्तीय देयता	22	13,388.94	12,236.86	15,739.09
अन्य चालू देयता	23	901.92	3,175.65	1,830.33
प्रावधान	24	1.20	1.98	1.85
कुल चालू देयता		**83,066.74**	**86,380.82**	**73,884.40**
कुल इक्विटी एवं देयता		**2,98,268.23**	**2,90,470.18**	**2,79,365.08**

संलग्न नोट सं. 1 से 57 इन वित्तीय विवरणियों के अभिन्न अंग हैं।

हमारी समतिथीय संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते बी.वी. राव एवं कं एल.एल.पी.
चार्टरित लेखाकार
प्रतिष्ठान पंजीकरण सं: 003118एस/एस200049

निदेशक-मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

हस्ता/-
(बी. विनय कुमार)
(सदस्यता सं.223723)
भागीदार

हस्ता/-
(राकेश शशिभूषण)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

हस्ता/-
(डॉ. वाई.वी.एन.कृष्णमूर्ति)
निदेशक

बेंगलूरु
जुलाई 24, 2017

बेंगलूरु
जुलाई 24, 2017

लाभ तथा हानि लेखा

राशि ₹ लाख में

	नोट	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रचालनों से राजस्व	25	1,87,293.33	1,79,492.74
अन्य आय	26	11,819.40	13,062.89
कुल राजस्व		**1,99,112.73**	**1,92,555.63**
व्यय			
प्रचालनों से राजस्व की लागत	27	1,59,842.90	1,57,882.79
कर्मचारी लाभ व्यय	28	545.06	399.76
मूल्यह्रास व संक्रामण व्यय	5&6	122.55	115.35
वित्त लागत	29	230.05	197.77
अन्य व्यय	30	4,977.76	3,031.55
कुल व्यय		**1,65,718.32**	**1,61,627.22**
आयकर पूर्व लाभ		**33,394.41**	**30,928.41**
कर व्यय			
चालू कर	31	11,047.37	10,935.19
आस्थगित कर	31	545.68	(546.88)
		11,593.05	**10,388.31**
वर्ष के लिए कर पश्चात् लाभ		**21,801.36**	**20,540.10**
अन्य व्यापक लाभ	17		
क) (i) सामग्री जिसे लाभ एवं हानि विवरण के बाद में पुनर्वगीकृत नहीं किया जाएगा।		(5.37)	(4.19)
क) (ii) सामग्री से संबंधित आयकर जिसे लाभ एवं हानि विवरण के बाद में पुनर्वगीकृत किया जाएगा।		1.86	1.45
ख) (i) सामग्री जिसे लाभ एवं हानि विवरण के बाद में पुनर्वगीकृत नहीं किया जाएगा।		-	-
ख) (ii) सामग्री से संबंधित आयकर जिसे लाभ एवं हानि विवरण के बाद में पुनर्वगीकृत किया जाएगा।		-	-
कुल अन्य व्यापक आयकर के निवल		**(3.51)**	**(2.74)**
उक्त अवधि के लिए कुल व्यापक आय		**21,797.85**	**20,537.36**
प्रति शेयर आय (ई.पी.एस.)			
मौलिक एवं अवमिश्रित ई.पी.एस. (₹ में)	32	**5,450.34**	**5,135.02**

संलग्न नोट सं. 1 से 57 इन वित्तीय विवरणियों के अभिन्न अंग हैं।

हमारी समतिथीय संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते बी.वी. राव एवं कं एल.एल.पी.
चार्टरित लेखाकार
प्रतिष्ठान पंजीकरण सं: 003118एस/एस200049

निदेशक-मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

हस्ता/-
(बी. विनय कुमार)
(सदस्यता सं.223723)
भागीदार

हस्ता/-
(राकेश शशिभूषण)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

हस्ता/-
(डॉ. वाई.वी.एन.कृष्णमूर्ति)
निदेशक

बेंगलूरु
जुलाई 24, 2017

बेंगलूरु
जुलाई 24, 2017

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह

राशि ₹ लाख में

	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
क. प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
कर पूर्व लाभ	**33,394.41**	**30,928.41**
समायोजन:		
मूल्य ह्रास	122.55	115.35
लाभांश आय	(832.67)	(635.84)
बैंक में जमा राशि से प्राप्त ब्याज आय	(9,901.67)	(11,247.86)
बट्टे खाते में डाली गई स्थाई परिसंपत्ति	-	1.50
अन्य	(5.37)	(4.19)
नकद एवं नकद समतुल्य की रूपए में अपरिवर्तित विदेशी मुद्रा	5.12	(2.18)
संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान	1,905.01	1,735.27
पुनर्लिखित संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान	-	(139.03)
कार्यरत पूँजी परिवर्तन से पहले प्रचालन लाभ	**24,687.38**	**20,751.43**
परिसंपत्ति एवं देयता में परिवर्तन		
ऋण में (वृद्धि)/कमी	0.58	(0.26)
अन्य दीर्घकालीन वित्तीय परिसंपत्ति में (वृद्धि)/कमी	(5.00)	-
व्यापार प्राप्ति में (वृद्धि)/कमी	(14,243.10)	(3,629.18)
अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्ति में (वृद्धि)/कमी	1,441.59	533.65
अन्य कर परिसंपत्ति में (वृद्धि)/कमी	(830.82)	4,193.13
अन्य चालू परिसंपत्ति में (वृद्धि)/कमी	(3,077.14)	8,364.74
अन्य दीर्घकालीन परिसंपत्ति में (वृद्धि)/कमी	(2,665.88)	(4,696.79)
देयता में (वृद्धि)/कमी	(9,368.25)	(1,527.67)
प्रचालन-जनित नकद	**(28,748.02)**	**3,237.62**
घटाएँ : भुगतान किया गया आयकर (निवल)	(11,047.34)	(10,935.19)
प्रचालन क्रियाकलापों से प्राप्त/(में प्रयुक्त) निवल नकद	**(15,107.98)**	**13,053.86**
ख. निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह		
स्थाई परिसंपत्ति की खरीद	(141.25)	(22.07)
निवेश की खरीद	(21,252.68)	-
म्यूचुअल फंड से लाभांश आय	832.67	635.84
बैंक में जमा से प्राप्त ब्याज	9,901.67	11,247.86
निवेश क्रियाकलापों से प्राप्त निवल नकद	**(10,659.59)**	**11,861.63**
ग. वित्तीय क्रियाकलापों से नकद प्रवाह		
प्रदत्त अंतरिम लाभांश सहित लाभांश	(4,300.00)	(6,112.00)
प्रदत्त लाभांश वितरण कर	(875.38)	(1,244.27)
वित्तीय क्रियाकलापों से उपयोग में लाए गए नकद निवल	**(5,175.38)**	**(7,356.27)**
नकद एवं नकद समतुल्य पर विनिमय दर का प्रभाव	(5.12)	2.18

नकद एवं नकद समतुल्य में निवल वृद्धि	**(30,948.07)**	**17,561.40**
वर्ष के आरंभ में नकद एवं नकद समतुल्य (नोट 12 का संदर्भ लें)	**1,51,890.35**	**1,34,328.95**
वर्ष के अंत में नकद एवं नकद समतुल्य (नोट 12 का संदर्भ लें)	**1,20,942.28**	**1,51,890.35**

संलग्न नोट सं. 1 से 57 इन वित्तीय विवरणियों के अभिन्न अंग हैं

हमारी समतिथीय संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते बी.वी. राव एवं कं एल.एल.पी.
चार्टरित लेखाकार
प्रतिष्ठान पंजीकरण सं: 003118एस/एस200049

हस्ता/-
(बी. विनय कुमार)
(सदस्यता सं.223723)
भागीदार

बेंगलूरु
जुलाई 24, 2017

निदेशक-मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

हस्ता/-
(राकेश शशिभूषण)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

हस्ता/-
(डॉ. वाई.वी.एन.कृष्णमूर्ति)
निदेशक

बेंगलूरु
जुलाई 24, 2017

31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन

क. इक्विटी शेयर पूँजी

राशि ₹ लाख में

1 अप्रैल 2015 तक शेष	वर्ष के दौरान एक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन	31 मार्च 2016 तक शेष
400.00	-	400.00
1 अप्रैल 2016 तक शेष	**वर्ष के दौरान एक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन**	**31 मार्च 2017 तक शेष**
400.00		400.00

बी. अन्य एक्विटी

राशि ₹ लाख में

	रिज़र्व तथा अधिशेष			ओ.सी.आई. की सामग्री	
विवरण	सामान्य रिज़र्व	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं दीर्घकालीन क्रियाकलाप निधि	प्रतिधारित आय	अन्य व्यापक आय की अन्य सामग्री (बीमांकिक लाभ/ हानि)	कुल
1 अप्रैल 2015 तक शेष	1,23,395.00	725 .10	4,961.00	(2.85)	1,29,078.25
वर्तमान वर्ष के लाभ से हस्तांतरित	12,900.00	584.00	-	-	13,484.00
वर्ष के लिए लाभ	-	-	20,540.10	-	20,540.10
वर्ष के दौरान भुगतान	-	(170.18)	170.18	-	-
अन्य रिज़र्व में हस्तांतरित	-	-	(13,484.00)	-	(13,484.00)
प्रदत्त अंतरिम लाभांश	-	-	(2,000.00)	-	(2,000.00)
प्रदत्त अंतरिम लाभांश पर कर	-	-	(407.15)	-	(407.15)
अंतिम प्रदत्त लाभांश	-	-	(4,112.00)	-	(4,112.00)
अंतिम प्रदत्त लाभांश पर कर	-	-	(837.12)	-	(837.12)
वर्ष के दौरान पुनर्माप	-	-	-	(2.74)	(2.74)
31 मार्च 2016 तक शेष	1,36,295.00	1,138.92	4,831.01	(5.59)	1,42,259.34

	रिज़र्व तथा अधिशेष			ओ.सी.आई. की सामग्री	
विवरण	सामान्य रिज़र्व	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं दीर्घकालीन क्रियाकलाप निधि	प्रतिधारित आय	अन्य व्यापक आय की अन्य सामग्री (बीमांकिक लाभ/ हानि)	कुल
1 अप्रैल 2016 तक शेष	1,36,295.00	1,138.92	4,831.01	(5.59)	1,42,259.34
वर्तमान वर्ष के लाभ से हस्तांतरित	-	626.40	-	-	626.40
वर्ष के लिए लाभ	-	-	21,801.36		21,801.36
वर्ष के दौरान भुगतान	-	(493.77)	493.77	-	-

अन्य रिज़र्व में हस्तांतरित	-	-	(626.40)	-	(626.40)
प्रदत्त अंतरिम लाभांश	-	-	-	-	-
अंतिम प्रदत्त लाभांश	-	-	(4,300.00)	-	(4,300.00)
अंतिम प्रदत्त लाभांश पर कर	-	-	(875.38)	-	(875.38)
वर्ष के दौरान पुनर्मापन	-	-	-	(3.51)	(3.51)
31 मार्च 2017 तक शेष	1,36,295.00	1,271.55	21,324.37	(9.10)	1,58,881.81

संलग्न नोट सं. 1 से 57 इन वित्तीय विवरणियों के अभिन्न अंग हैं

हमारी समतिथीय संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते बी.वी. राव एवं कं एल.एल.पी.
चार्टरित लेखाकार
प्रतिष्ठान पंजीकरण सं: 003118एस/एस200049

निदेशक-मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

हस्ता/-
(बी. विनय कुमार)
(सदस्यता सं.223723)
भागीदार

हस्ता/-
(राकेश शशिभूषण)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

हस्ता/-
(डॉ. वाई.वी.एन.कृष्णमूर्ति)
निदेशक

बेंगलूरु
जुलाई 24, 2017

बेंगलूरु
जुलाई 24, 2017

वित्तीय विवरणी के लिए नोट

1. कंपनी का विहंगमावलोकन

एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("एन्ट्रिक्स" या "कंपनी") भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम द्वारा विकसित उत्पादो तथा सेवाओं के विपणन में शामिल है। एन्ट्रिक्स, अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत भारत सरकार की एक पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। एन्ट्रिक्स, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) का वाणिज्यिक अंग है।

एन्ट्रिक्स के व्यापारिक क्रियाकलाप इस प्रकार हैं:

- संचार उपग्रह प्रेषानुकर का प्रावधान
- भारतीय सुदूर संवेदन (आई.आर.एस.) हेतु अभिगमन प्रदान करना
- ग्राहक सेवाओं हेतु उपग्रह प्रमोचन सेवाएँ प्रदान करना
- भारतीय एवं विदेशी सुदूर संवेदन उपग्रहों से प्राप्त आँकड़ों का विपणन
- उपग्रह, उपग्रह उपप्रणाली एवं प्रमोचन यान उपप्रणाली का निर्माण एवं विपणन
- अंतरिक्ष अनुप्रयोग के लिए संबद्ध भू-अवसंरचना स्थापित करना; तथा
- उपग्रह के लिए मिशन सहायता सेवाएँ।

2. तैयारी का आधार

क. अनुपालन-विवरण

ये वित्तीय विवरणी प्रोद्भवन के आधार पर ऐतिहासिक लागत के तहत भारतीय लेखा मानक (इण्ड ए.एस.) के अनुरूप तैयार किए गए हैं सिवाय कुछ वित्तीय संलेखों के जिनका मापन उचित मूल्यों, कंपनी अधिनियम, 2013('अधिनियम') की धारा 133 के तहत अधिसूचित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के प्रावधानों एवं अधिनियम के अन्य प्रावधानों के आधार पर किया गया है।

कंपनी की 31 मार्च, 2016 तक की वित्तीय विवरणी कंपनी अधिनियम की धारा 133 के तहत अधिसूचित कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2006 के प्रावधानों एवं अधिनियम के अन्य प्रावधानों के आधार पर किया गया था।

वर्गीकरण विभाजन से संबंधित वित्तीय विवरणी इण्ड ए.एस. 1, "वित्तीय विवरणी की प्रस्तुति" में समाविष्ट है। स्पष्टता के लिए, लाभ तथा हानि लेखा एवं तुलनपत्र में कई मद समेकित किए गए हैं। ये मद, वित्तीय विवरणी की नोट, जहाँ लागू हो, में अलग से रखे गए हैं।

चूँकि, भारतीय लेखा मानक, इण्ड ए.एस. 101 के अनुरूप तैयार की गई यह पहली वित्तीय विवरणी है, इसलिए प्रथम बार, भारतीय लेखा मानक को अपनाकर लागू किया गया है। इण्ड ए.एस. में अंतरण ने किसतरह कंपनी की पिछली बार सूचित वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन एवं नकद प्रवाह को प्रभावित किया है, नोट 4 में प्रदान किया गया है।

जहाँ नए जारी किए गए लेखा मानक प्रारंभ में अपनाए गए हों या उस समय उपयोग में आने वाली लेखाविधि नीतियों में बदलाव के लिए विद्यमान लेखा मानक में संशोधन जरूरी हुआ हो, को छोड़ कर लेखाविधि नीतियाँ सुसंगत ढंग से लागू की गई हैं ।

ख. प्रकार्यात्मक एवं प्रस्तुति मुद्रा

ये वित्तीय विवरणी भारतीय रुपए (₹), जो कंपनी की प्रकार्यात्मक मुद्रा है, में प्रस्तुत की गई है । सभी राशियाँ निकटतम लाख के मान में पूर्ण किए गए हैं ।

ग. आकलन एवं निर्णय के उपयोग

इण्ड ए.एस. के अनुरूप वित्तीय विवरणी की तैयारी में आकलन, निर्णय एवं पूर्वानुमान हेतु प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। ये आकलन, निर्णय एवं पूर्वानुमान लेखाविधि नीतियों को लागू करने और परिसंपत्ति तथा देयता की राशि से संबंधित सूचना, वित्तीय विवरणी की तिथि तक आकस्मिक परिसंपत्ति तथा देयता के प्रकटीकरण एवं अवधि के दौरान राजस्व तथा व्यय की राशि से संबंधित सूचना को प्रभावित करते हैं।

आकलनों तथा अधोगत पूर्वानुमान की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। वह अवधि जब आकलनों को संशोधित किया जाता है और जब कोई भविष्य की अवधि प्रभावित होती है तब लेखाविधि आकलनों को संशोधन हेतु स्वीकार किया जाता है। विशेषकर, लेखाविधि

नीतियों को लागू करने में आकलन के महत्वपूर्ण क्षेत्र, अनिश्चितता एवं समीक्षात्मक निर्णयों के बारे में सूचना जिसका वित्तीय विवरणी में स्वीकृत राशि पर अति महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, निम्नलिखित नोट में प्रकट किया गया है :

(i) **राजस्व स्वीकृति:**

कंपनी, स्थाई मूल्य संविदाओं के संबंध में प्रगति की पूर्णता के मापन हेतु संविदा में यथासहमत पूर्णता विधि की प्रतिशतता में क्रियाकलापों की पूर्णता के चरण/अंतिम लक्ष्य का उपयोग करती है। लेखाविधि में पूर्णता विधि की प्रतिशतता कुल अपेक्षित संविदा राजस्व एवं लागत के आकलन पर निर्भर करती है। इस विधि का अनुसरण तब किया जाता है जब संविदा के विभिन्न तत्वों के लिए लागू होने वाले राजस्व और लागत के पर्याप्त तौर पर भरोसेमंद आकलन तैयार किए जाते हैं। चूँकि, इन संविदाओं की वित्तीय सूचना आकलन पर निर्भर करती है जिसे इन संविदाओं की अवधि के दौरान नियमित रूप से आकलित किया जाता है, जैसे ही संविदा पूर्ण होने के कगार पर पहुँचती है वैसे ही स्वीकृत राजस्व और लाभ का संशोधन किया जाता है।

(ii) **आयकर:**

कर आकलनों में कर की स्थिति धारणीय होने की संभावना से संबंधित निर्णय सहित आयकर के लिए प्रावधानों को निश्चित करने में महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं। कर आकलन एक जटिल प्रक्रिया है जिसका हल विस्तारित समयावधि में निकाला जा सकता है।

(iii) **आस्थगित कर**

परिसंपत्ति एवं देयता तथा उनकी वाहित राशि के कर आधार में अस्थाई अंतर पर आस्थगित कर अभिलिखित किया जाता है, उस दर से जिसे रिपोर्टिंग तिथि तक क्रियान्वित या वास्तविक तौर पर क्रियान्वित किया गया है। अवधि के दौरान आस्थगित कर परिसंपत्ति का अंतिम प्रापण भविष्य के करयोग्य लाभ के सृजन पर निर्भर करता है जिसमें वे अस्थाई अंतर और अग्रेनीत कर हानि कटौती योग्य हो जाते हैं। कंपनी, इस आकलन को तैयार करने में आस्थगित कर देयता एवं भविष्य की प्रायोजित करयोग्य आय में उत्क्रमण पर विचार करती है। आस्थगित कर परिसंपत्ति की स्वीकार्य मान्य राशि, हालाँकि, निकट काल में कम किया जा सकता है यदि अग्रेनीत अवधि के दौरान भविष्य के करयोग्य आय के आकलन को कम किया जाता है।

(iv) **पारिभाषित लाभ योजना एवं क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति**

पारिभाषित लाभ योजना की लागत, क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति एवं पारिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य प्रायोजित यूनिट आकलन विधि का प्रयोग करता हुआ बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित है। बीमांकिक मूल्यांकन में विभिन्न पूर्वानुमान शामिल हैं जो भविष्य के वास्तविक विकास से भिन्न हो सकते हैं। इनमें छूट की दर, भविष्य में वेतन-वृद्धि एवं मृत्यु-दर शामिल है। मूल्यांकन में शामिल जटिलताओं एवं इनकी दीर्घकालिक प्रकृति के कारण, यह पारिभाषित लाभ दायित्व इन पूर्वानुमानों में परिवर्तन के प्रति अति संवेदनशील है। सभी पूर्वानुमानों को प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि तक समीक्षा की जाती है।

(v) **वित्तीय परिसंपत्ति पर अपेक्षित ऋण हानि**

वित्तीय परिसंपत्ति का क्षति प्रावधान, भुगतान नहीं करने के जोखिम के बारे में पूर्वानुमान एवं संग्रहण के समय पर आधारित है। कंपनी अपने अतीत के इतिहास, ग्राहकों की लेनदारी क्षमता, बाज़ार की वर्तमान स्थिति के साथ-साथ प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक भविष्य के आकलनों के आधार पर क्षति की गणना के लिए इन पूर्वानुमानों तथा इनपुट के चयन में निर्णय का उपयोग करती है।

घ. **उचित मूल्य का मापन**

वित्तीय एवं ग़ैर-वित्तीय परिसंपत्ति एवं देयता के लिए कंपनी की कुछेक लेखाविधि नीतियों तथा प्रकटीकरण हेतु उचित मूल्य का मापन आवश्यक होता है।

मूल्यांकन तकनीकों में उपयोग में लाई जाने वाली इनपुट के आधार पर उचित मूल्य के अनुक्रम में उचित मूल्य विभिन्न स्तरों पर वर्गीकृत किए गए हैं, जो निम्नलिखित हैं:

स्तर 1: समान परिसंपत्ति या देयता के लिए सक्रिय बाज़ारों में उद्धृत मूल्य (असमायोजित)।

स्तर 2: स्तर 1 में शामिल उद्धृत मूल्य को छोड़कर इनपुट जो परिसंपत्ति या देयता के लिए या तो प्रत्यक्ष (यानी मूल्य के रूप में) या अप्रत्यक्ष (यानी मूल्य से प्राप्त) के लिए प्रेक्षणीय है।

स्तर 3: परिसंपत्ति या देयता के लिए इनपुट जो प्रेक्षणीय बाज़ार के आँकड़े पर आधारित नहीं है (अप्रेक्षणीय इनपुट)

परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य के मापन में, जहाँ तक संभव हो, कंपनी प्रेक्षणीय बाज़ार के आँकड़े उपयोग करती है। यदि, परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य के मापन में प्रयुक्त इनपुट उचित मूल्य के अनुक्रम में विभिन्न स्तरों के तहत आती हैं, तब उचित मूल्य मापन पूरी तौर पर उचित मूल्य के अनुक्रम में समान स्तर में निम्नतम स्तर की इनपुट के तौर पर वर्गीकृत की जाती हैं जो पूरे मापन के लिए महत्वपूर्ण होती हैं।

3. महत्वपूर्ण लेखाविधि नीतियाँ

क. संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

(i) मान्यता एवं मापन

संचित मूल्यह्रास एवं संचित क्षति हानि, यदि कोई हो, को घटाकर संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के मदों की मापन किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के मद की लागत में व्यापार बट्टा और छूट की कटौती के बाद, आयात शुल्क एवं अप्रतिदेय क्रय कर सहित, इनके क्रय मूल्य, इसके अभिलक्षित उपयोग के लिए मद को कामकाजी स्थिति में लाने से संबंधित प्रत्यक्ष लागत तथा मद को अलग-अलग करने और हटाने के लिए एवं स्थान जहाँ यह स्थित है, को पुनः स्थापित करने के लिए आकलित लागत शामिल हैं।

यदि संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के महत्वपूर्ण अंगों का कोई अलग से उपयोगी जीवन है तो उन्हें संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के इतर मद (प्रमुख घटक) में गिना जाता है।

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के मद के निपटारे में किसी लाभ या हानि को लाभ तथा हानि लेखा में स्वीकार किया जाता है।

(ii) इण्ड ए.एस. में अंतरण

इण्ड ए.एस. में संक्रमण पर, कंपनी ने पिछली जी.ए.ए.पी. के अनुसार मापित, 1 अप्रैल, 2016 तक अपनी सभी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के वाहित मूल्य के साथ जारी रहने का निर्णय लिया है, और ऐसी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की विचारित लागत के वाहित मूल्य का उपयोग करेगी (नोट 5 देखें)।

(iii) परवर्ती व्यय

परवर्ती व्यय पूँजीकृत तभी किया जाता है जब ऐसी संभावना हो कि व्यय से संबंधित भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी के पास आयेंगे।

(iv) मूल्यह्रास

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार, सरल रेखा विधि का उपयोग करते हुए उनके आकलित उपयोगी जीवन के ऊपर मूल्यह्रास प्रभारित किया जाता है। ₹ 5000 से कम लागत वाली परिसंपत्ति का शेष मूल्य परिसंपत्ति की मूल लागत का 0% होता है और अन्य सभी परिसंपत्ति के लिए, परिसंपत्ति के शेष मूल्य परिसंपत्ति की मूल लागत के 1% होते हैं। 1% के शेष मूल्य को परिसंपत्ति के निकटतम पुनर्विक्रय मूल्य तक कम करने के लिए प्रतिफलित किया जाता है।

ख. अमूर्त परिसंपत्ति:

संचित परिशोधन एवं क्षति को घटाकर लागत पर अमूर्त परिसंपत्ति का उल्लेख किया जाता है। जबसे वे उपयोग के लिए उपलब्ध होते हैं तबसे सरल रेखा विधि का उपयोग करते हुए उनके संबंधित व्यक्तिगत आकलित उपयोगी जीवन के ऊपर अमूर्त परिसंपत्ति परिशोधित किए जाते हैं।

ग. राजस्व

(i) बिक्री :

राजस्व, सभी परोक्ष करों से निवल, तभी स्वीकार किए जाते हैं जब माल ग्राहक को अथवा उनके द्वारा निर्धारित/ठेके पर दी गई परियोजना को सौंपा जाता है। हालाँकि, यदि ग्राहक के अनुरोध पर सुपुर्दगी में विलम्ब होता है और ग्राहक जिम्मेदारी लेकर बिल स्वीकार कर लेता है तो राजस्व स्वीकार कर लिए जाते हैं। यद्यपि, भौतिक रूप से माल की सुपुर्दगी नहीं की गई, तथापि यह आशा की जाती है कि माल सुपुर्दगी के लिए चिह्नित एवं तैयार है और सुपुर्दगी कर दी जाएगी। और, यदि सुपुर्दगी संस्थापना/निरीक्षण किये जाने की शर्तों के निमित्त हो तो राजस्व को सामान्यतया स्वीकार नहीं किया जाता जब तक कि ग्राहक सुपुर्दगी स्वीकार न कर ले और संस्थापना/निरीक्षण पूरा न हो जाए।

(ii) सेवाएँ :

(अ) प्रमोचन, संस्थापन, अभिचालन और परीक्षण:

संविदा (ठेका) में सहमत लागत के संदर्भ के अनुरूप अंतिम लक्ष्य काम के क्रमवार पूरा होने के बाद ही राजस्व, सभी परोक्ष करों का निवल, शुल्क स्वीकार किए जाते हैं।

(ब) अभिगम शुल्क, अंतरिक्षखंड शुल्क, दूरमिति अनुवर्तन और आदेश, कक्षीय जाँच, आदि:

राजस्व, सभी परोक्ष करों का निवल, क सेवा के पूरा होने पर एकबारगी या आवर्ती सेवा प्रदान करने की संविदा (ठेका) के आधार पर समय-समय पर स्वीकार किए जाते हैं।

(स) परामर्शिता :

राजस्व, सेवा के पूर्ण होने पर एकबारगी या परामर्शिता संविदा की प्रकृति के आधार पर समय-समय पर स्वीकार किए जाते हैं।

(iii) सम्मिश्र ठेका :

सम्मिश्र ठेके की प्रत्येक मद के लिए राजस्व उपर्युक्त (i) से (ii)की मदों के प्रति उल्लिखित नीति के अनुसार स्वीकार किए जाते हैं।

(iv) अन्य आय :

(अ) ब्याज :

ब्याज से आय प्रोदमवन के आधार पर स्वीकार की गई है। जबकि, व्यापार प्राप्तियों पर ब्याज से प्राप्त आय प्राप्ति के आधार पर स्वीकार किया जाता है।

(ब) रॉयल्टी :

ग्राहकों से प्राप्त स्वीकृति पर आधारित रॉयल्टी की गणना प्रोद्भवन के आधार पर की जाती है।

(स) निवेश से प्राप्त लाभांश :

निवेश से प्राप्त लाभांश तब स्वीकार किया जाता है जब भुगतान पाने के लिए जब कम्पनी का अधिकार स्थापित हो जाता है।

(द) विदेशी मुद्रा-विनिमय में उतार-चढ़ाव :

प्रचालन से प्राप्त राजस्व के संबंधित मूल्य में विदेशी मुद्रा में होनेवाले अंतर को समाहृत किया गया है।

घ. विदेशी मुद्रा अंतरण

(i) प्रारंभिक स्वीकृति

अंतरण की तिथि तक विनिमय दर को लागू कर प्रकार्यात्मक मुद्रा में विदेशी मुद्रा अंतरण अभिलिखित किए जाते हैं।

विदेशी मुद्रा में अंकित मौद्रिक परिसंपत्ति एवं देयता रिपोर्टिंग तिथि तक विनिमय दर से प्रकार्यात्मक मुद्रा में परिवर्तित किए जाते हैं। ग़ैर-मौद्रिक परिसंपत्ति एवं देयता जिन्हें विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत के आधार पर मापन किया जाता है, उन्हें अंतरण की तिथि तक विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है। लाभ तथा हानि लेखा में विनिमय अंतर को स्वीकार किया जाता है।

ङ. वित्तीय संलेख

(i) स्वीकृति एवं आरंभिक मापन

व्यापार प्राप्तियाँ प्रारंभिक रूप से तभी स्वीकृत होते हैं जब वे उद्भूत होते हैं। बाकी सभी वित्तीय परिसंपत्ति एवं वित्तीय देयता प्रारंभिक रूप से तभी स्वीकृत होते हैं जब कंपनी संलेख के संविदात्मक प्रावधानों के भागीदार बनती है।

वित्तीय परिसंपत्ति एवं वित्तीय देयता प्रारंभिक रूप से उचित मूल्य प्लस पर मापित होते हैं, उन मदों के लिए जो उचित मूल्य पर नहीं हैं, लाभ तथा हानि (एफ.वी.टी.पी.एल.) के द्वारा, लेन-देन लागत जो सीधे तौर पर अधिग्रहण या निर्गमन से संबंधित हों।

(ii) वर्गीकरण एवं परवर्ती मापन

(अ) वित्तीय परिसंपत्ति:

प्रारंभिक स्वीकृति पर वित्तीय परिसंपत्ति को मापित कारूप में वर्गीकृत किया जाता है :

- परिशोधित लागत
- एफ.वी.टी.पी.एल (लाभ तथा हानि द्वारा उचित मूल्य)
- एफ.वी.ओ.सी.आई. (अन्य व्यापक आय द्वारा उचित मूल्य)

वित्तीय परिसंपत्ति अपनी प्रारंभिक स्वीकृति के बाद पुनर्वर्गीकृत नहीं की जाती सिवाय उस अवधि के दौरान जब कंपनी अपने वित्तीय परिसंपत्ति के प्रबंधन के लिए अपने व्यापार-प्रारूप को परिवर्तित करती है ।

वित्तीय परिसंपत्ति परिशोधित लागत पर मापित की जाती है यदि यह दोनों निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती है और एफ.वी.टी.पी.एल. के तौर पर निर्दिष्ट नहीं है :

- एक व्यापारिक प्रारूप के अंदर परिसंपत्ति रखी जाती है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकद प्रवाह को संग्रहित करने के लिए परिसंपत्ति को धारित रखना है।
- वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्त किसी विशिष्ट तिथि में नकद प्रवाह का सृजन करती है जो बचे हुए मूलधन पर मूलधन और ब्याज का पूर्णतः भुगतान होती है।

ऋण निवेश एफ.वी.ओ.सी.एल. पर मापित किया जाता है यह दोनों निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती है और एफ.वी.टी.पी.एल. के तौर पर निर्दिष्ट नहीं है :

- एक व्यापारिक प्रारूप के अंदर परिसंपत्ति रखी जाती है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकद प्रवाह को संग्रहित कर और वित्तीय परिसंपत्ति को बेचकर प्राप्त किया जाता है।
- वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्त किसी विशिष्ट तिथि में नकद प्रवाह का सृजन करती है जो बचे हुए मूलधन पर मूलधन और ब्याज का पूर्णतः भुगतान होती है।

इक्विटी निवेश की प्रारंभिक स्वीकृति जिसे व्यापार के लिए धारित नहीं किया गया है, कंपनी, ओ.सी.आई. में निवेश के उचित मूल्य में अप्रत्यादेय तौर पर परवर्ती परिवर्तन के लिए चयन कर सकती है (एफ.वी.ओ.सी.आई. के रूप में निर्दिष्ट-इक्विटी निवेश)। यह चयन निवेश-दर-निवेश आधार पर किया जाता है।

सभी वित्तीय परिसंपत्ति जो परिशोधित लागत या एफ.वी.ओ.सी.एल. पर मापित के रूप में वर्गीकृत नहीं की जाती हैं उन्हें एफ.वी.टी.पी.एल. पर मापित किया जाता है।

एफ.वी.टी.पी.एल. पर वित्तीय परिसंप्ति	ये परिसंपत्ति बाद में उचित मूल्य पर मापित किए जाते हैं। किसी ब्याज या लाभांश आय सहित शुद्ध लाभ और हानि को लाभ तथा हानि लेखा में स्वीकार किया जाता है।
एफ.वी.ओ.सी.आई. पर ऋण निवेश	ये परिसंपत्ति बाद में उचित मूल्य पर मापित किए जाते हैं। प्रभावी ब्याज विधि के तहत ब्याज से आय, विदेशी विनिमय से लाभ तथा हानि और क्षति लाभ तथा हानि लेखा में स्वीकार किए जाते हैं। अन्य शुद्ध लाभ तथा हानि ओ.सी.आई. में स्वीकार किए जाते हैं। अस्वीकृति की स्थिति में, ओ.सी.आई. में जमा लाभ तथा हानि लाभ या हानि के रूप में पुनर्वर्गीकृत किए जाते हैं।
एफ.वी.ओ.सी.आई. में इक्विटी निवेश	ये परिसंपत्ति बाद में उचित मूल्य पर मापित किए जाते हैं। निवेश की लागत के भाग के रूप में वापसी को इंगित करते हुए लाभांश को छोड़कर अन्य लाभांश को लाभ या हानि के रूप में स्वीकार किया जाता है।
परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्ति	प्रभावी ब्याज विधि के उपयोग से ये परिसंपत्ति बाद में परिशोधित लागत पर मापित किए जाते हैं। यह परिशोधित लागत क्षति हानि द्वारा कम किया जाता है। ब्याज से आय, विदेशी विनिमय से लाभ तथा हानि और क्षति लाभ तथा हानि में स्वीकार किए जाते हैं। अस्वीकृति की स्थिति में किसी लाभ या हानि को लाभ या हानि के रूप में स्वीकार किया जाता है।

(ब) वित्तीय देयता :

वित्तीय देयता परिशोधित लागत या एफ.वी.टी.पी.एल. पर मापित के रूप में वर्गीकृत की जाती हैं। किसी वित्तीय देयता को एफ.वी.टी.पी.एल. पर मापित तभी किया जाता है जब इसे व्यापार के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। एफ.वी.टी.पी.एल. पर वित्तीय देयता उचित मूल्य एवं किसी ब्याज व्यय सहित शुद्ध लाभ तथा हानि में मापित की जाती हैं और लाभ तथा हानि लेखा में स्वीकार की जाती हैं। प्रभावी ब्याज विधि के उपयोग से अन्य वित्तीय देयता बाद में परिशोधित लागत पर मापित की जाती हैं। ब्याज व्यय एवं विदेशी विनिमय लाभ तथा हानि, लाभ या हानि में स्वीकर किए जाते हैं। अस्वीकृति की स्थिति में किसी लाभ या हानि को लाभ या हानि के रूप में स्वीकार किया जाता है।

(iii) अस्वीकृति

(अ) वित्तीय परिसंपत्ति :

कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति को अस्वीकार करती है जब वित्तीय परिसंपत्ति से नकद प्रवाह का संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाता है या यह संविदात्मक नकद प्रवाह को प्राप्त करने के लिए अधिकार को लेन-देन में अंतरित कर देती है जिसमें वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के संपूर्ण जोखिम तथा पुरस्कार अंतरित होते हैं या जिसमें कंपनी स्वामित्व के संपूर्ण जोखिम तथा पुरस्कार को न तो अंतरित या मूल रूप से धारित करती है और वित्तीय परिसंपत्ति के नियंत्रण को धारित नहीं करती है।

(ब) वित्तीय देयता :

कंपनी वित्तीय देयता को अस्वीकार करती है जब इसका संविदात्मक दायित्व पूरा या निरस्त या समाप्त हो जाता है।

कंपनी वित्तीय देयता को तब भी अस्वीकार करती है जब इसकी शर्तें संशोधित की जाती हैं और संशोधित शर्तों के तहत नकद प्रवाह मूल रूप से अलग होते हैं। समाप्त हो चुकी वित्तीय देयता की वाहित राशि और संशोधित शर्तों के साथ नई वित्तीय देयता का अंतर लाभ तथा हानि लेखा में स्वीकार किया जाता है।

(च) क्षति

(i) वित्तीय संलेख की क्षति

कंपनी संभावित ऋण हानि के लिए इन पर हानि भत्ता को स्वीकार करती है:

- परिशोधन लागत पर मापित वित्तीय परिसंपत्ति

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि तक, कंपनी यह आकलन करती है कि क्या परिशोधित लागत पर वाहित वित्तीय परिसंपत्ति 'ऋण-क्षतिग्रस्त' है? वित्तीय परिसंपत्ति 'ऋण-क्षतिग्रस्त' तब होती है जब एक या अधिक अवसर जिसका वित्तीय परिसंपत्ति के भविष्य के आकलित नकद प्रवाह पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है।

वह प्रमाण कि वित्तीय परिसंपत्ति 'ऋण-क्षतिग्रस्त' है, में निम्नलिखित प्रेक्षणीय आँकड़े शामिल हैं :

- लेनदार या देनदार की महत्वपूर्ण वित्तीय कठिनाई
- करार भंग होना जैसे चूक या 365 दिनों या उससे अधिक के लिए बाकी
- उन शर्तों पर कि कंपनी द्वारा ऋण या अग्रिम की पुनर्रचना पर कंपनी विचार नहीं करेगी
- वित्तीय कठिनाइयों के कारण प्रतिभूति के लिए सक्रिय बाज़ार का ग़ायब होना

केंद्र/राज्य सरकार, केंद्र/राज्य सरकार के विभाग, केंद्र/राज्य सरकार की स्वायत्त संस्था एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पास बकाए, जिनके लिए प्रावधान/हानि भत्ता का मापन एक प्रकरण से दूसरे प्रकरण के आधार पर किया जाता है, को छोड़कर व्यापार प्राप्तियों के लिए हानि भत्ता का मापोन हमेशा अपेक्षित जीवनकाल के बराबर की राशि पर किया जाता है।

(ii) ग़ैर-वित्तीय परिसंपत्ति की क्षति

अन्य कर परिसंपत्ति को छोड़कर कंपनी की ग़ैर-वित्तीय परिसंपत्ति की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि तक समीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि क्या क्षति के कोई संकेत हैं? यदि इस तरह के कोई संकेत दिखते हैं तो परिसंपत्ति की वापस योग्य राशि का आकलन किया जाता है।

क्षति परीक्षण के लिए, परिसंपत्ति जो स्वतंत्र नकद अंतर्प्रवाह सृजित नहीं करती उन्हें नकद-सृजन इकाइयों (सी.जी.यू.) में वर्गित किया जाता है। प्रत्येक सी.जी.यू., परिसंपत्ति के छोटे समूह को सूचित करते हैं जो नकद अंतर्प्रवाह सृजित करते हैं और जो अन्य परिसंपत्ति के नकद अंतर्प्रवाह या सी.जी.यू. से प्रमुखतया स्वतंत्र होते हैं।

क्षति हानि तब स्वीकार की जाती है जब किसी परिसंपत्ति की वाहित राशि या सी.जी.यू., अपनी आकलित वापसी योग्य राशि को पार कर जाती है।

(छ) सेवानिवृत्ति एवं अन्य कर्मचारी लाभ

(i) उपदान

कंपनी अपने सभी कर्मचारियों को उपदान, एक पारिभाषित लाभ योजना, प्रदान करती है। योजना के तहत, कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय या रोज़गार समाप्त होने के बाद कंपनी में संबंधित कर्मचारियों के वेतन और उनके सेवाकाल के आधार पर एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाता है।

वर्ष के अंत में, बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान की राशि निर्धारित की जाती है।

निवल पारिभाषित लाभ देयता का पुनर्मूल्यांकन जिसमें बीमांकिक लाभ या हानि शामिल हैं, ओ.सी.आई. में स्वीकार किया जाता है। पारिभाषित लाभ योजना से संबंधित निवल ब्याज व्यय तथा अन्य व्यय, लाभ तथा हानि लेखा में स्वीकार किए जाते हैं।

(ii) राष्ट्रीय पेंशन योजना

पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पी.एफ.आर.डी.ए.) द्वारा संचालित राष्ट्रीय पेंशन योजना (कॉर्पोरेट योजना), जो एक पारिभाषित अंशदान योजना है, में कंपनी मूल वेतन तथा महँगाई भत्ता का 10% का योगदान देती है। अंशदान को प्रोद्भवन के आधार पर लेखित किया जाता है और लाभ तथा हानि लेखा में स्वीकार किया जाता है।

(iii) क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति

अल्पकालिक क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किया जाता है। दीर्घकालिक क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति जो एक अन्य दीर्घकालिक रोज़गार लाभ योजना है, एक स्वतंत्र बीमांकिक द्वारा कार्यान्वित तुलनपत्र की तिथि तक बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रोद्भूत होता है। बीमांकिक लाभ/हानि, लाभ तथा हानि लेखा में तुरंत स्वीकार किए जाते हैं।

(iv) डाक जीवन बीमा (पी.एल.आई.)

कंपनी, स्वीकृत नीति के अनुरूप कर्मचारियों के नाम पी.एल.आई. प्रीमियम के 50% का अंशदान देती है।

(ज) आयकर

आयकर में चालू तथा आस्थगित कर शामिल हैं। इसे लाभ या हानि में स्वीकार किया जाता है सिवाय इसके कि मद को सीधे इक्विटी में या अन्य व्यापक आय में स्वीकार किया गया है।

(i) चालू कर

चालू कर में, करयोग्य आय में देय या प्राप्य अपेक्षित कर या वर्ष के लिए हानि और पिछले वर्ष के लिए देय या प्राप्य कर का समायोजन शामिल है। आयकर से जुड़ी अनिश्चितता, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद देय या प्राप्य अपेक्षित कर राशि का आकलन चालू कर की राशि से परिलक्षित होती है। इसे रिपोर्टिंग तिथि तक, अधिनियमित या विशेष रूप से अधिनियमित कर दर (और कर नियम) के उपयोग से मापित किया जाता है।

चालू कर परिसंपत्ति और चालू कर देयता केवल क्षति की पूर्ति है यदि स्वीकृत राशि को अंकित करने के लिए विधिवत् कार्यान्वित करने योग्य अधिकार हो, और यह निवल आधार पर या समकाल में परिसंपत्ति को प्राप्त करने और देयता को स्थापित करने के लिए अभिलक्षित हो।

(ii) आस्थगित कर

वित्तीय रिपोर्टिंग के उद्देश्य हेतु परिसंपत्ति एवं देयता की वाहित राशियों और कर-निर्धारण के उद्देश्य हेतु संबंधित राशियों के बीच अस्थाई अंतर के सापेक्ष आस्थगित कर स्वीकृत किया जाता है। आस्थगित कर, अग्रेनीत कर हानि और कर जमा के सापेक्ष भी स्वीकृत किया जाता है। आस्थगित कर इन कारणों से नहीं स्वीकार किए जाते हैं :

- किसी अंतरण में, परिसंपत्ति या देयता की प्रारंभिक स्वीकृति से उभरने वाले अस्थाई अंतर जो व्यापार-योग नहीं है और जो अंतरण के समय न तो लेखाविधि और न ही करयोग्य लाभ या हानि को प्रभावित करता हो
- साख की प्रारंभिक स्वीकृति से उभरने वाले करयोग्य अस्थाई अंतर

आस्थगित कर परिसंपत्ति उस सीमा तक स्वीकार की जाती है जब ऐसा संभव हो कि भविष्य के करयोग्य लाभ उपलब्ध रहेंगे जिनके विरुद्ध वे उपयोग में लाए जा सकते हैं। आस्थगित कर परिसंपत्ति -अस्वीकृत या स्वीकृत की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि तक समीक्षा की जाती है और उस सीमा तक स्वीकृत /कम की जाती है जब ऐसा क्रमशः संभव /असंभव हो कि संबंधित कर लाभ स्वीकृत होंगे।

आस्थगित कर, कर दरों पर मापित किए जाते हैं जो उस अवधि के लिए लागू होने के लिए अपेक्षित होते हैं जब रिपोर्टिंग तिथि तक अधिनियमित/विशेष रूप से अधिनियमित नियम पर आधारित परिसंपत्ति स्वीकृत होती है या देयता स्थापित होती है।

आस्थगित कर का मापन, रिपोर्टिंग तिथि तक, अपनी परिसंपत्ति या देयता की वाहित राशि को वापस लेने या स्थापित करने के लिए कंपनी की अपेक्षाओं के अनुरूप अनुसरण करने वाला कर परिणाम परिलक्षित करता है।

आस्थगित कर परिसंपत्ति और देयता केवल क्षति की पूर्ति है यदि चालू कर देयता एवं परिसंपत्ति को अंकित करने के लिए विधिवत् कार्यान्वित करने योग्य अधिकार हो, और वे समान समान कर प्राधिकरण द्वारा लगाए गए आयकर से संबंधित हों या वे विभिन्न कर अस्तित्व पर, निवल आधार पर चालू कर देयता एवं परिसंपत्ति को स्थापित करने के लिए अभिलक्षित हों या उनकी कर परिसंपत्ति एवं देयता बाद में स्वीकृत की जायेंगी।

(झ) प्रति शेयर आय

वर्ष के लिए इक्विटी शेयर धारक से संबंधित शुद्ध लाभ या हानि को वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर के बची हुई भारित औसत संख्या से विभाजित कर प्रति शेयर प्रारंभिक आय की गणना की जाती है। वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर के बची हुई भारित औसत संख्या को बोनस शेयर जारी करने के अवसर (यदि कोई हो) हेतु समायोजित किया जाता है।

प्रति शेयर मिश्रित आय की गणना के उद्देश्य से, वर्ष के लिए इक्विटी शेयर धारक से संबंधित शुद्ध लाभ या हानि और वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर के बची हुई भारित औसत संख्या को सभी मिश्रित प्रमुख इक्विटी शेयर के प्रवभावों के लिए समायोजित किया जाता है।

(ञ) प्रावधान और आकस्मिकता

प्रावधान स्वीकृत तब किया जाता है जब किसी प्रतिष्ठान के पास पिछली घटनाओं के कारण वर्तमान दायित्व होता है; यह संभव है कि संसाधन का बहिर्प्रवाह दायित्व को स्थापित करने के लिए आवश्यक होगा । इन्हें प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि तक एवं वर्तमान उत्तम आकलनों को परिलक्षित करने के लिए समायोजित किया जाता है ।

कष्टसाध्य संविदाओं के लिए प्रावधान, यानी संविदा जहाँ इसके तहत दायित्व को पूर्ण करने के लिए अपेक्षित अपरिहार्य लागत इसके तहत प्राप्त होने वाले अपेक्षित आर्थिक लाभ को पार कर जाता है, तभी स्वीकार किए जाते हैं जब ऐसा लगता है कि आर्थिक लाभ को समाविष्ट करता संसाधन का बहिर्गमन, ऐसे दायित्व के उत्तम आकलन पर आधारित दायित्व से जुड़े अवसर वर्तमान दायित्व को स्थापित करने के लिए आवश्यक होगा ।

जहाँ कोई भरोसेमंद आकलन नहीं किया जा सकता, वहाँ आकस्मिक देयता के तौर पर प्रकटीकरण किया जाता है। आकस्मिक देयता के लिए प्रकटीकरण तब भी किया जाता है जब संभावित दायित्व या वर्तमान दायित्व हो, जो हो सकता है, परन्तु संभवत: नहीं भी हो, संसाधन के बहिर्प्रवाह की आवश्यकता पड़ती है ।

(ट) नकद एवं नकद समतुल्य

नकद एवं नकद समतुल्य में तीन महीने या कम की वास्तविक परिपक्वता वाले नकद, बैंक में जमा एवं अल्पकालिक निवेश शामिल हैं जो नकद में तुरंत परिवर्तनीय हैं और मूल्य में परिवर्तन के निरर्थक जोखिम के तहत हैं ।

(ठ) पिछले वर्ष के आय/व्यय से संबंधित समायोजन जो प्रत्येक अंतरण में ₹ 2 लाख से अधिक नहीं होते इन्हें चालू वर्ष के आय/व्यय की तरह माना जाता है ।

(ड) सरकारी अनुदान

अंतरिक्ष विभाग को प्रदत्त पट्टा भूमि किराए के उचित मूल्य और पट्टा भूमि किराए के वास्तविक मूल्य के अंतर को आर्थिक सरकारी अनुदान माना गया है । लाभ तथा हानि लेखा के आय एवं व्यय भाग में उन दोनों को वैचारिक रूप से संपूर्ण कर लेखाविधित किया गया है ।

(ढ) अब तक स्वीकार नहीं किए गए ने लेखाविधि मानक

1 अप्रैल, 2015 के बाद से प्रारंभ होने वाले वार्षिक अवधि के लिए लेखाविधि मानक में कुछ संशोधन अब तक प्रभावी नहीं हो पाए हैं और इन वित्तीय विवरणियों को तैयार करने में उनका उपयोग नहीं हो पाया है । मानक में ये संशोधन जिनका कंपनी की वित्तीय विवरणी पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है, हैं:

मार्च 2017 में, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने कंपनी (भारतीय लेखाविधि मानक) (संशोधन) नियम 2017 के माध्यम से इण्ड ए.एस. 7, 'नकद प्रवाह विवरणी' में संशोधन की अधिसूचना जारी की । इण्ड ए.एस. 7, 'नकद प्रवाह विवरणी' में जनवरी 2016 में किए गए ये संशोधन, अस्तित्व से प्रकटीकरण प्रदान करने की अपेक्षा जो वित्तीय क्रियाकलापों से उभरने वाले देयता में परिवर्तन के मूल्यांकन के लिए वित्तीय विवरणी के प्रयोक्ताओं को सहायता प्रदान करने के लिए, नकद प्रवाह और गैर-नकद प्रवाह दोनों से उभरने वाले परिवर्तन, वित्तीय क्रियाकलापों से उभरने वाले देयता के लिए तुलनपत्र में अथ तथा अग्रेनीत शेष के बीच समझौता को शामिल करने सहित, प्रकटीकरण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेखाविधि मानक बोर्ड (आई.ए.एस.बी.) द्वारा किए गए संशोधन के अनुरूप हैं । कंपनी के लिए ये संशोधन 1 अप्रैल, 2017 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि हेतु लागू हैं । कंपनी, संशोधन की प्रकटीकरण आवश्यकताओं और वित्तीय विवरणी पर पड़ने वाले इसके प्रभाव का आकलन कर रही है ।

4 इण्ड ए.एस. में अंतरण की व्याख्या

जैसा कि नोट 2 में उल्लिखित है, यह कंपनी का पहला वित्तीय विवरणी है जो इण्ड ए.एस. के अनुरूप तैयार की गई है। 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 133 के तहत अधिसूचित (लेखा मानक) नियम एवं अधिनियम के अन्य संबंधित प्रावधान 'पिछला जी.ए.ए.पी.' के अनुरूप वित्तीय विवरणी तैयार की है ।

31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए तुलनात्मक सूचना और 1 अप्रैल, 2015 यानी संक्रमण की तिथि तक आरंभिक इण्ड ए.एस. तुलनपत्र सहित 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इन वित्तीय विवरणियों की तैयारी में नोट 3 में विहित लेखा नीतियों को लागू किया गया है ।

1 अप्रैल 2015 तक इण्ड ए.एस. तुलनपत्र की तैयारी और 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए तुलनात्मक सूचना की प्रस्तुति में, कंपनी ने पिछले जी.ए.ए.पी. के अनुरूप तैयार वित्तीय विवरणी में पहले वर्णित राशि को समायोजित किया है । यह नोट, पिछले

जी.ए.ए.पी. के अनुरूप तैयार की गई वित्तीय विवरणी के पुन: उल्लेख में कंपनी द्वारा किए गए मुख्य समायोजन की व्याख्या करता है और किस तरह पिछले जी.ए.ए.पी. से इण्ड ए.एस. में, संक्रमण ने कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकद प्रवाह को प्रभावित किया है ।

वैकल्पिक छूट और अनिवार्य अपवाद

वित्तीय विवरणी तैयार करने में, कंपनी ने अधोलिखित वैकल्पिक छूट और अनिवार्य अपवाद लागू किया है:

क. वैकल्पिक छूट प्राप्त

1. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्ति

(i) संक्रमण की तिथि को संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की एक सामग्री को उसके उचित मूल्य पर मापना और उस तिथि को उस उचित मूल्य को उसके अनुमान्य लागत के रूप में प्रयोग में लाना ।

(ii) संक्रमण की तिथि से पहले तक पुनर्मूल्यांकन की तिथि तक अनुमानित लागत के तौर पर संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के मूल्यांकन के लिए पिछले जी.ए.ए.पी. का प्रयोग करें, बशर्ते पुनर्मूल्यांकन की तिथि तक हुए पुनर्मूल्यांकन व्यापक तौर पर तुलनीय हों

- उचित मूल्य
- या लागत या इण्ड ए.एस. के तहत, उदाहरण के तौर पर, सामान्य या विशिष्ट मूल्य सूचकांक में परिवर्तन को समायोजित करने में प्रतिबिंबित।

उपर्युक्त (i) एवं (ii) के तहत चयन अमूर्त परिसंपत्ति के लिए भी लागू हैं जो इण्ड ए.एस. 38, अमूर्त परिसंपत्ति के मानदंड (मूल लागत के विश्वसनीय मापन सहित) तथा इण्ड ए.एस. 38, पुनर्मूल्यांकन के मानदंड (एक क्रियाशील बाज़ार सहित) का मान्यता को पूर्ण करते हैं।

(iii) इण्ड ए.एस. के लिए संक्रमण की तिथि तक संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्ति के वाहित मान का प्रयोग करें (जो पिछले जी.ए.ए.पी. के अनुरूप मापित हैं और इण्ड ए.एस. 101 के तह्त वर्णित गैर-स्थापन से संबंधित समायोजन करने के बाद यदि संक्रमण की तिथि तक कर्यात्मक मुद्रा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ हो।

जैसा कि इण्ड ए.एस. 101 द्वारा अनुमति दी गई है, कंपनी ने सभी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के लिए पिछले जी.ए.ए.पी. के तहत वाहित मान के साथ जारी रखने का चुनाव किया है । अमूर्त परिसंपत्ति के संबंध में भी समान चुनाव किया गया है ।

ख. अनिवार्य अपवाद

1. **आकलन**

इण्ड ए.एस. 101 के अनुसार, इण्ड ए.एस. के अनुरूप अस्तित्व का आकलन इण्ड ए.एस. में संक्रमण के समय इण्ड ए.एस. के अस्तित्व के प्रथम वित्तीय विवरणी के तुलनात्मक अवधि के अंत में प्रस्तुति, जैसी भी स्थिति हो, पिछले जी.ए.ए.पी. के समान तिथि के लिए तैयार किए गए आकलन के समनुरूप होना चाहिए अन्यथा कोई वास्तविक प्रमाण हो कि वे आकलन भूल थीं। हालाँकि, लेखा नीतियों में किसी प्रकार के अंतर को परिलक्षित करने के लिए आकलन का समायोजन होना चाहिए।

इण्ड ए.एस. 101 के अनुसार, जहाँ इण्ड ए.एस. का प्रयोग कुछ आकलन करने के लिए अस्तित्व के रूप में आवश्यक है, जो पिछले जी.ए.ए.पी. के तहत आवश्यक नहीं था, उन आकलनों को संक्रमण की तिथि तक विद्यमान (अथ इण्ड ए.एस. तुलनपत्र तैयार करने के लिए) या तुलनात्मक अवधि के अंत में (इण्ड ए.एस. के अनुरूप तुलनात्मक सूचना प्रस्तुत करने के लिए) स्थितियों को परिलक्षित करने के लिए होना चाहिए।

इण्ड ए.एस. के तहत, कंपनी का आकलन उपर्युक्त आवश्यकताओं के साथ समनुरूप है। वित्तीय विवरणी को तैयार करने के लिए उपयोग में लाए गए प्रमुख आकलन जो पिछले जी.ए.ए.पी. के तहत आवश्यक नहीं थे, नीचे वर्णित हैं :

- एफवीटीपीएल और/या एफवीओसीआई तक वाहित वित्तीय संलेख का उचित मूल्य।
- अपेक्षित ऋण हानि प्रारूप पर आधारित वित्तीय परिसंपत्ति की क्षति।
- परिशोधित लागत तक वाहित वित्तीय संलेख के लिए छूट दिए गए मूल्य का निर्धारण।

सी. 1) पिछले जी.ए.ए.पी. के तहत रिपोर्ट की गई इक्विटी का इण्ड ए.एस. के साथ सामंजस्य

राशि ₹ लाख में

		दिनांक 1 अप्रैल 2015 तक परिवर्तन			दिनांक 31 मार्च 2016 तक परिवर्तन		
विवरण	**नोट**	**पिछला जी.ए.ए.पी.**	**इण्ड ए.एस. में परिवर्तन पर समायोजन**	**इण्ड ए.एस.**	**पिछला जी.ए.ए.पी.**	**इण्ड ए.एस. में परिवर्तन पर समायोजन**	**इण्ड ए.एस.**
परिसंपत्ति							
दीर्घकालीन परिसंपत्ति							
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण		1,523.22	-	1,523.22	1,430.33	-	1,430.33
अन्य अमूर्त परिसंपत्ति		4.21	-	4.21	2.32	-	2.32
वित्तीय परिसंपत्ति							
(क) ऋण		0.38	-	0.38	0.64	-	0.64
(ख) अन्य वित्तीय संपत्ति		5,013.99	-	5,013.99	5,013.99	-	5,013.99
अन्य दीर्घकालीन संपत्ति		48,244.23	-	48,244.23	52,941.02	-	52,941.02
अन्य कर संपत्ति		15,482.78	-	15,482.78	11,289.65	-	11,289.65
कुल दीर्घकालीन संपत्ति		**70,268.81**	**-**	**70,268.81**	**70,677.95**	**-**	**70,677.95**
चालू संपत्ति							
वित्तीय संपत्ति							
(क) व्यापार प्राप्य	ए एवं बी	47,001.21	300.91	47,302.11	50,086.18	(751.12)	49,335.07
(ख) नकद एवं नकद समतुल्य		1,34,328.95	-	1,34,328.95	1,51,890.35	-	1,51,890.35
(ग) ऋण		-	-	-	-	-	-
(घ) अन्य वित्तीय संपत्ति	बी	7,509.79	(64.83)	7,444.95	6,925.83	(14.53)	6,911.29
अन्य चालू संपत्ति		20,020.26	-	20,020.26	11,655.52	-	11,655.52
कुल चालू संपत्ति		**2,08,860.20**	**236.07**	**2,09,096.27**	**2,20,557.88**	**(765.65)**	**2,19,792.23**
कुल संपत्ति		**2,79,129.01**	**236.07**	**2,79,365.08**	**2,91,235.83**	**(765.65)**	**2,90,470.18**

		दिनांक 1 अप्रैल 2015 तक परिवर्तन			दिनांक 31 मार्च 2016 तक परिवर्तन		
विवरण	नोट	पिछला जी.ए.ए.पी.	इण्ड ए.एस. में परिवर्तन पर समायोजन	इण्ड ए.एस.	पिछला जी.ए.ए.पी.	इण्ड ए.एस. में परिवर्तन पर समायोजन	इण्ड ए.एस.
इक्विटी एवं देयता							
इक्विटी							
इक्विटी शेयर पूँजी		400.00	-	400.00	400.00	-	400.00
अन्य इक्विटी		-	-		-	-	
रिज़र्व एवं अधिशेष		1,24,170.73	4,910.37	1,29,081.10	1,37,501.54	4,763.39	1,42,264.93
अन्य रिज़र्व	सी	-	(2.85)	(2.85)	-	(5.59)	(5.59)
	एच	**1,24,570.73**	**4,907.52**	**1,29,478.25**	**1,37,901.54**	**4,757.80**	**1,42,659.34**
देयता							
दीर्घकालीन देयता							

राशि ₹ लाख में

वित्तीय देयता							
(क) अन्य वित्तीय देयता	डी	11,399.37	(640.29)	10,759.08	14,372.74	(503.01)	13,869.74
अन्य दीर्घकालीन देयता	डी	63,432.44	365.26	63,797.70	46,428.05	215.71	46,643.76
प्रावधान		29.99	-	29.99	49.19	-	49.19
आस्थगित कर देयता (निवल)	ई	1,152.35	263.31	1,415.66	1,085.92	(218.60)	867.33
कुल दीर्घकालीन देयता		**76,014.16**	**(11.72)**	**76,002.43**	**61,935.90**	**(505.90)**	**61,430.02**
चालू देयता							
वित्तीय देयता							
(क) व्यापार देय	बी	56,197.37	115.76	56,313.13	71,007.01	(40.67)	70,966.33
(ख) अन्य वित्तीय देयता		15,739.09	-	15,739.09	12,236.86	-	12,236.86
अन्य चालू देयता	डी	1,656.69	173.64	1,830.33	2,977.15	198.50	3,175.65
प्रावधान	एफ	4,950.98	(4,949.12)	1.85	5,177.36	(5,175.38)	1.98
कुल चालू देयता		**78,544.13**	**(4,659.73)**	**73,884.40**	**91,398.38**	**(5,017.55)**	**86,380.82**
कुल इक्विटी एवं देयता		**2,79,129.01**	**236.07**	**2,79,365.08**	**2,91,235.82**	**(765.65)**	**2,90,470.18**

सी.2) 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पिछले जी.ए.ए.पी. के तहत रिपोर्ट की गई लाभ तथा हानि का इण्ड ए.एस. के साथ सामंजस्य

		31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष में		
	नोट	**पिछला जी.ए.ए.पी.**	**इण्ड ए.एस. में परिवर्तन पर समायोजन**	**इण्ड ए.एस.**
प्रचालनों से राजस्व	बी	1,79,508.33	(15.58)	1,79,492.74
अन्य आय	बी.डी. एवं जी.	12,855.02	207.87	13,062.89
कुल आय		**1,92,363.35**	**192.28**	**1,92,555.63**
व्यय				
प्रचालनों से राजस्व की लागत	बी	1,57,923.48	(40.67)	1,57,882.79
कर्मचारी लाभ	सी	403.95	(4.19)	399.76
वित्त लागत	डी	32.74	197.77	230.52
मूल्यह्रास एवं परिशोधन		115.35	-	115.35
अन्य व्यय	ए. एवं जी.	1,596.23	1,402.56	2,998.80
कुल व्यय		**1,60,071.75**	**1,555.46**	**1,61,627.22**
पूर्वावधि मद	बी	**(509.49)**	**509.49**	**-**
आयकर से पूर्व लाभ		**31,782.11**	**(853.69)**	**30,928.41**
व्यय कर:				
वर्तमान आयकर				
क) वर्तमान वर्ष		11,100.00	-	11,100.00
ख) पिछला वर्ष		(164.81)	-	(164.81)
आस्थगित कर	ई	(66.43)	(480.45)	(546.88)
वर्ष के लिए कर पश्चात् लाभ		**20,913.34**	**(373.24)**	**20,540.10**
अन्य व्यापक आय				

राशि ₹ लाख में

क) (i) लाभ तथा हानि लेखा की विवरणी के परिणामस्वरूप पुनर्वर्गीकृत नहीं होने वाले मद	सी	-	(4.19)	(4.19)
क) (ii) लाभ तथा हानि लेखा की विवरणी के परिणामस्वरूप पुनर्वर्गीकृत नहीं होने वाले मद से संबंधित आयकर	सी	-	1.45	1.45
ख) (i) लाभ तथा हानि लेखा की विवरणी के परिणामस्वरूप पुनर्वर्गीकृत होने वाले मद		-	-	-
ख) (ii) लाभ तथा हानि लेखा की विवरणी के परिणामस्वरूप पुनर्वर्गीकृत नहीं होने वाले मद से संबंधित आयकर		-	-	-
कुल अन्य व्यापक आय		**-**	**(2.74)**	**(2.74)**
अवधि के लिए कुल व्यापक आय		**20,913.34**	**(375.98)**	**20,537.36**

सामंजस्य हेतु नोट

क **अपेक्षित ऋण हानि:** पिछले जी.ए.ए.पी. के तहत, व्यापार प्राप्तियों के लिए हानि प्रावधान ऋण जोखिम आकलन के आधार पर तैयार किया गया था । इण्ड ए.एस. के तहत, ये प्रावधान बकाया के जोखिम के आकलन एवं संग्रहण के समय पर आधारित है ।

ख **पूर्वावधि भूल:** पिछले जी.ए.ए.पी. के तहत, मान्यता वाले वर्ष में, पूर्वावधि भूल को लाभ तथा हानि लेखा में अलग से दिखाया गया है । इण्ड ए.एस. के तहत, पूर्वावधि भूल की पहचान को पूर्वावधि के लिए प्रस्तुत तुलनात्मक राशि जिसमें भूल हुई, को पुनः उल्लिखित कर शोधित किया जाता है; या यदि भूल सबसे पहले की पूर्वावधि प्रस्तुति से पहले हुई हो तो सबसे पहले की पूर्वावधि प्रस्तुति के लिए परिसंपत्ति के अथ शेष, देयता एवं इक्विटी को पुनः उल्लिखित कर शोधित किया जाता है ।

ग **कर्मचारी लाभ:** पिछले जी.ए.ए.पी. के तहत, पारिभाषित लाभ दायित्व पर बीमांकिक लाभ और हानि को लाभ तथा हानि लेखा में मान्यता दी गई थी । इण्ड ए.एस. के तहत, इन्हें अन्य व्यापक आय के तहत मान्यता दी गई है । 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इस अंतर से निवल आय में वृद्धि हुई है । हालाँकि, इक्विटी या कुल व्यापक आय में इस अंतर का समान प्रभाव नहीं पड़ा है ।

घ **जमानती जमा:** इण्ड ए.एस. के तहत, एफ.वी.टी.पी.एल. में अभिहित वित्तीय देयता को छोड़कर सभी परिशोधन लागत पर मापित हुए हैं । पिछले जी.ए.ए.पी. के तहत, उन्हें लागत पर मान्यता दी गई है । प्रभावोत्पादक ब्याज पद्धति को अपनाकर परिशोधन लागत पर जमानती जमा आगे लाया जाता है ।

ङ **आस्थगित कर:** कर समायोजन में, पिछले जी.ए.ए.पी. एवं इण्ड ए.एस. के अंतर के लेखा पर आस्थगित कर के पड़ने वाले प्रभाव शामिल हैं ।

34.608 % के कर दर के आधार पर, उपर्युक्त परिवर्तन ने आस्थगित कर देयता को निम्न प्रकार से (घटाया)/बढ़ाया है :

विवरण	1 अप्रैल 2015	31 मार्च 2016
जमानती जमा में छूट	35.09	30.73
अपेक्षित ऋण हानि प्रावधान	228.22	(249.33)
आस्थगित कर देयता में (कमी)/वृद्धि	263.31	(218.60)

च **प्रस्तावित लाभांश:** पिछले जी.ए.ए.पी. के तहत, लाभांश वितरण कर सहित लाभांश देय को उस अवधि के लिए देयता के रूप में दिखाया गया था जिससे यह संबंधित है | इण्ड ए.एस. के तहत, उस अवधि में जब भुगतान का दायित्व स्थापित किया जाता है (वार्षिक सामान्य बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के बाद), इक्विटी संलेख के धारकों के लाभांश को देयता के रूप में मान्यता दी गई है |

छ **सरकारी अनुदान:** पिछले जी.ए.ए.पी. के तहत, कार्यालय परिसर की भूमि के लिए किराए के रूप में प्रदत्त अभिहित मूल्य को सरकारी अनुदान के रूप में नहीं माना गया था | इण्ड ए.एस. के तहत, उसे मौद्रिक सरकारी अनुदान माना गया है जिसे सरकारी अनुदान की मान्यता दी गई है और समतुल्य राशि को किराया व्यय के रूप में बढ़ाया गया है | हालाँकि, इक्विटी या कुल व्यापक आय में इस अंतर का समान प्रभाव नहीं पड़ा है ।

राशि ₹ लाख में

ज प्रतिधारित आय

कुल इक्विटी में उपर्युक्त परिवर्तन (कमी)/वृद्धि इस प्रकार हैं:

विवरण	1 अप्रैल 2015	31 मार्च 2016
जमानती जमा में छूट	101.40	88.80
अपेक्षित ऋण हानि प्रावधान	659.44	(720.43)
पूर्वावधि मद का पुन: उल्लेख	(539.12)	(4.54)
प्रस्तावित लाभांश के लिए प्रावधान की वापसी	4,949.12	5,175.38
उपर्युक्त पर कर प्रभाव	(263.31)	218.60
कुल इक्विटी में वृद्धि	4,907.53	4,757.81

झ नकद प्रवाह विवरणी

पिछले जी.ए.ए.पी. के तहत और इण्ड ए.एस. के तहत तैयार नकद प्रवाह के बीच कोई उल्लेखनीय आमेलन मद नहीं हैं ।

विवरणियों के लिए नोट

राशि ₹ लाख में

5 संपत्ति संयंत्र एवं उपकरण

विवरण	भवन-आर.सी.सी. निर्मित ढाँचा	भवन-वातानुकूलन प्रणाली	भवन-विद्युत संबंधी प्रणाली	भवन-उत्थापक	भवन-जल-प्रणाली	भवन-काष्ठ फर्श प्रणाली	भवन-(चहारदीवारी-अहाता फाटक	भवन अस्थाई संरचना (लकडी -विभाजित) छोटे कमरे)	फर्नीचर एवं अन्य सामान	कम्प्यूटर	कार्यालय उपकरण	संचारजाल उपकरण	कुल
सकल वाहित मान													
1 अप्रैल 2015 तक	1,296.55	-	-	-	-	-	1.12	0.19	189.13	14.82	20.28	1.12	1,523.21
अंगभूत मान अंतरण प्रवेश	(462.33)	85.36	263.98	33.27	57.79	21.92	-	-					
योग/समायोजन	4.39	-	-	-	-	5.61	-	-	7.95	1.16	0.81	-	19.92
निबटारा/समायोजन	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.50
31 मार्च 2016 तक	**837.12**	**85.36**	**263.98**	**33.27**	**57.79**	**27.53**	**1.12**	**0.19**	**197.08**	**15.98**	**21.09**	**1.12**	**1,541.63**
1 अप्रैल 2016 तक	837.12	85.36	263.98	33.27	57.79	27.53	1.12	0.19	197.08	15.98	21.09	1.12	1,541.63
योग/समायोजन									12.22	9.70	46.97		68.89
निबटारा/समायोजन										(0.05)	0.05		-
31 मार्च 2017 तक	**837.12**	**85.36**	**263.98**	**33.27**	**57.79**	**27.53**	**1.12**	**0.19**	**209.30**	**25.73**	**68.01**	**1.12**	**1,610.52**
संचित मूल्यह्रास													
1 अप्रैल 2015 तक	-								-	-	-	-	-
मूल्यह्रास व्यय	14.47	6.92	36.25	2.70	4.68	3.57	0.41	0.15	25.99	8.46	7.37	0.34	111.31
निबटारा/समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2016 तक	**14.47**	**6.92**	**36.25**	**2.70**	**4.68**	**3.57**	**0.41**	**0.15**	**25.99**	**8.46**	**7.37**	**0.34**	**111.31**
1 अप्रैल 2016 तक	**14.47**	**6.92**	**36.25**	**2.70**	**4.68**	**3.57**	**0.41**	**0.15**	**25.99**	**8.46**	**7.37**	**0.34**	**111.31**
मूल्यह्रास व्यय	14.47	6.92	36.25	2.70	4.68	3.57	0.40	-	26.79	6.74	13.12	0.34	115.97
निबटारा/समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2017 तक	**28.94**	**13.84**	**72.51**	**5.39**	**9.37**	**7.13**	**0.81**	**0.15**	**52.78**	**15.20**	**20.49**	**0.68**	**227.28**
निवल वाहित मान													
1 अप्रैल 2015 तक	**1,296.55**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.12**	**0.19**	**189.13**	**14.82**	**20.28**	**1.12**	**1,523.22**
31 मार्च 2016 तक	**822.65**	**78.44**	**227.72**	**30.58**	**53.10**	**23.97**	**0.72**	**0.04**	**171.09**	**7.52**	**13.72**	**0.78**	**1,430.33**
31 मार्च 2017 तक	**808.18**	**71.52**	**191.47**	**27.88**	**48.42**	**20.40**	**0.31**	**0.04**	**156.52**	**10.53**	**47.52**	**0.44**	**1,383.24**

6 अन्य अमूर्त परिसंपत्ति

राशि ₹ लाख में

विवरण	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर
सकल वाहित मान	
1 अप्रैल 2015 तक	**4.21**
योग/समायोजन	2.15
निबटारा/समायोजन	-
31 मार्च 2016 तक	**6.36**
1 अप्रैल 2016 तक	**6.36**
योग/समायोजन	72.36
निबटारा/समायोजन	
31 मार्च 2017 तक	**78.72**
संचित परिशोधन	
1 अप्रैल 2015 तक	-
वित्त वर्ष 2015-16 के लिए मूल्यह्रास	4.04
निबटारा/समायोजन	-
31 मार्च 2016 तक	**4.04**
1 अप्रैल 2016 तक	**4.04**
वित्त वर्ष 2016-17 के लिए मूल्यह्रास	6.58
निबटारा/समायोजन	
31 मार्च 2017 तक	10.62
निवल वाहित मान	
1 अप्रैल 2015 तक	**4.21**
31 मार्च 2016 तक	**2.32**
31 मार्च 2017 तक	**68.10**

7 ऋण

विवरण	31 मार्च 2017 तक	31 मार्च 2016 तक	1 अप्रैल 2015 तक
कार्मिकों को अग्रिम	0.01	0.59	0.25
कार्मिकों की अग्रिम पर जमा ब्याज	0.05	0.05	0.13
कुल	**0.06**	**0.64**	**0.38**

8 अन्य वित्तीय विवरणी

विवरण	31 मार्च 2017 तक	31 मार्च 2016 तक	1 अप्रैल 2015 तक
प्रतिभूति जमा	5,018.98	5,013.99	5,013.99
कुल	**5,018.98**	**5,013.99**	**5,013.99**

9 अन्य दीर्घकालीन परिसंपत्ति

विवरण	31 मार्च 2017 तक	31 मार्च 2016 तक	1 अप्रैल 2015 तक
परियोजना व्यय के लिए अग्रिम	1.23	1.23	1.11
वाणिज्य लेनदारों के लिए अग्रिम	38,451.84	39,274.14	39,392.72
व्यय के लिए अग्रिम	5.11	5.21	5.31
विरोध के अंतर्गत प्रदत्त कर	17,148.72	13,660.44	8,845.09
कुल	**55,606.90**	**52,941.02**	**48,244.23**

राशि ₹ लाख में

10 निवेश

विवरण	31 मार्च 2017 तक	31 मार्च 2016 तक	1 अप्रैल 2015 तक
म्युचुअल फंड में निवेश (अनुद्धत)	-	-	-
बैंक ऑफ इंडिया ए.एक्स.ए., लिक्विड फंड-प्रत्यक्ष योजना-दैनिक लाभांश-पुनर्निवेश (₹ 1002.6483 की दर से 6,24,450.862 यूनिटों में निवेशित : वर्ष के अंत में 1002.6483 की दर से एन.ए.वी. ₹ 62,61,04,595 है))	6,261.05		
केनरा रोबेको लिक्विड - प्रत्यक्ष दैनिक लाभांश (₹ 1000.50 की दर से 89,510.484 यूनिटों में निवेशित : वर्ष के अंत में 1000.50 की दर से एन.ए.वी. ₹ 9,00,02,792 है)	900.03	-	-
आई.डी.बी. आई. लिक्विड फंड-प्रत्यक्ष योजना-दैनिक लाभांश-पुनर्निवेश (₹ 1002.3548 की दर से 89,344.008 यूनिटों में निवेशित : वर्ष के अंत में 1002.3548 की दर से एन.ए.वी. ₹8,95,54,395 है)	895.54	-	-
एल.आई.सी.एम.एफ. लिक्विड फंड लाभांश योजना (₹ 1098.00 की दर से 563,306.696 यूनिटों में निवेशित : वर्ष के अंत में 1098.00 की दर से एन.ए.वी. ₹ 61,85,10,752 है)	6,185.11	-	-
एल.डी.72 एस.डी. एस.बी.आई लिक्विड फंड-प्रत्यक्ष योजना-दैनिक लाभांश (₹ 1003.25 की दर से 86,605.939 यूनिटों में निवेशित : वर्ष के अंत में 1003.25 की दर से एन.ए.वी. ₹ 8,68,87,408 है)	868.87	-	-
एल.डी.आर.डी. यूनियन लिक्विड फंड-प्रत्यक्ष योजना-दैनिक लाभांश-पुनर्निवेश (₹ 1000.6506 की दर से 88,797.956 यूनिटों में निवेशित : वर्ष के अंत में 1000.6506 की दर से एन.ए.वी. ₹ 8,88,55,728 है)	888.56	-	-
यू.टी.आई. लिक्विड नकद योजना - संस्थागत प्रत्यक्ष योजना-दैनिक लाभांश-पुनर्निवेश (₹ 1019.4457 की दर से 515,330.860 यूनिटों में निवेशित : वर्ष के अंत में 1019.4457 की दर से एन.ए.वी. ₹ 52,53,51,829 है)	5,253.52	-	-
अनुद्धृत निवेश की कुल राशि	**21,252.68**	-	-
अनुद्धृत निवेश की कुल राशि	**21,252.68**	-	-

11 व्यापार प्राप्तियाँ

विवरण	31 मार्च 2017 तक	31 मार्च 2016 तक	1 अप्रैल 2015 तक
सुरक्षित-खरे माने गए	12,260.47	9,148.90	10,386.72
असुरक्षित-खरे माने गए	49,412.68	40,186.17	36,915.40
संदिग्ध	7,467.35	5,562.34	3,966.11
कुल	**69,140.50**	**54,897.41**	**51,268.23**
हानि भत्ता			
संदिग्ध	(7,467.35)	(5,562.34)	(3,966.11)
कुल	**(7,467.35)**	**(5,562.34)**	**(3,966.11)**
निवल व्यापार प्राप्तियाँ	**61,673.15**	**49,335.07**	**47,302.12**

कंपनी की व्यापार प्राप्तियों से संबंधित ऋण एवं मौद्रिक जोखिम हानि भत्ता नोट 33 में प्रकट किए गए हैं ।

12 नकद एवं नकद समतुल्य

विवरण	31 मार्च 2017 तक	31 मार्च 2016 तक	1 अप्रैल 2015 तक
बैंक में शेष	5,713.06	8,795.99	9,843.73
नकद	0.12	0.17	0.13

राशि ₹ लाख में

कार्मिकों के पास अग्रदाय नकद	0.04	0.09	0.09
अन्य बैंक शेष			
12 महीने या उससे कम की वास्तविक परिपक्वता वाली बैंक में जमा राशि	66,490.00	84,200.00	1,17,000.00
जारी प्रत्याभूति के विरुद्ध प्रतिभूति एवं प्रतिभूति जमा के बदले में बैंक में रखी गई जमा राशि	2,972.27	2,812.52	3,589.16
प्रवर्तन निदेशालय कुर्की आदेश हेतु प्रतिभूति के तौर पर रखी गई जमा राशि	5,499.99	-	-
12 महीने से अधिक की वास्तविक परिपक्वता वाली बैंक में जमा राशि बैंक में जमा राशि	39,100.00	55,670.00	3,700.00
बैंक में निर्दिष्ट निधि सी.एस.आर. एवं एस.ए. के लिए	1,166.80	411.58	195.84
नकद प्रवाह विवरणी में नकद एवं नकद समतुल्य	**1,20,942.28**	**1,51,890.35**	**1,34,328.94**

13 अन्य वित्तीय परिसंपत्ति

विवरण	31 मार्च 2017 तक	31 मार्च 2016 तक	1 अप्रैल 2015 तक
अन्य प्राप्तियाँ	53.65	38.49	57.39
बैंक में जमा राशि के लिए प्रोद्भूत ब्याज	5,416.07	6,872.80	7,387.56
कुल	**5,469.72**	**6,911.29**	**7,444.95**

14 अन्य चालू परिसंपत्ति

विवरण	31 मार्च 2017 तक	31 मार्च 2016 तक	1 अप्रैल 2015 तक
व्यय के लिए अग्रिम	265.49	81.41	58.49
परियोजना व्यय के लिए अग्रिम	6,286.91	8,863.48	16,284.59
निविष्ट सेवा कर	8,180.25	2,710.63	3,677.18
कुल	**14,732.65**	**11,655.52**	**20,020.26**

15 इक्विटी शेयर पूँजी

विवरण	31 मार्च 2017 तक	31 मार्च 2016 तक	1 अप्रैल 2015 तक
अधिकृत: ₹ 100 प्रत्येक के 1,00,00,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2016 तक : 1,00,00,000)	10,000.00	10,000.00	10,000.00
कुल	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**
निर्गत, अभिदत्त, एवं प्रदत्त पूँजी 4,00,000 (31 मार्च, 2016 तक 4,00,000) ₹ 100 के इक्विटी शेयर प्रत्येक पूर्णत: प्रदत्त	400.00	400.00	400.00
कुल	**400.00**	**400.00**	**400.00**

15 क) अवधि के आरंभ एवं अंत में बाकी बचे शेयर का सामंजस्य:

विवरण	31 मार्च 2017 तक		31 मार्च 2016 तक		1 अप्रैल 2015 तक	
	शेयर की संख्या	राशि	शेयर की संख्या	राशि	शेयर की संख्या	राशि
वर्ष के आरंभ में बाकी बचे शेयर	4,00,000	400.00	4,00,000	400.00	4,00,000	400.00

जोड़िए: वर्ष के दौरान आबंटित बोनस शेयर	-	-	-	-		-
वर्ष के अंत में बाकी बचे शेयर	**4,00,000**	**400.00**	**4,00,000**	**400.00**	**4,00,000**	**400.00**

15 ख) शेयर से जुड़े अधिकार, अधिमान एवं प्रतिबंध:

कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के आधार पर, समस्त अधिकार (धारित प्रति इक्विटी शेयर पर एक मत के अधिकार सहित), समस्त अधिमान एवं प्रतिबंध (इक्विटी शेयर के हस्तानांतरण प्रतिबंध सहित) निदेशकमंडल के पास निहित है। बोर्ड द्वारा प्रस्तावित लाभांश वार्षिक सामान्य बैठक पर आधारित होता है। सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार कर पश्चात् लाभ का कम-से-कम 30 % या कुल पूँजी का 5%, जो भी अधिक हो, भारत सरकार को लाभांश के रूप में दिया जाएगा और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप पूँजी का पुनर्भुगतान होगा।

15 ग) कंपनी में कुल शेयर के 5% से अधिक शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों के विवरण:

₹ 100 प्रत्येक के प्रदत्त इक्विटी शेयर के समस्त 4,00,000 शेयर के 100% राष्ट्रपति एवं उनके द्वारा मनोनीत सदस्यों के नाम केंद्र सरकार (भारत सरकार) के पास है।

15 घ) विकल्प के तौर पर जारी किए जाने वाले कोई भी शेयर आरक्षित नहीं हैं।

15 ङ) तुलनपत्र की तिथि से ठीक पहले पाँच वर्षों के दौरान संविदाधारकों से बिना नकद भुगतान के कोई भी पूर्ण प्रदत्त शेयर आबंटित नहीं किए गए हैं।

15 च) तुलनपत्र की तिथि तक कोई भी प्रतिभूति इक्विटी शेयर में परिवर्तन के लिए बाकी नहीं है।

अन्य इक्विटी

16 रिज़र्व एवं अधिशेष

विवरण	नोट	31 मार्च 2017 तक	31 मार्च 2016 तक	1 अप्रैल 2015 तक
सामान्य रिज़र्व	i.	1,36,295.00	1,36,295.00	1,23,395.00
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं दीर्घकालिक क्रियाकलाप हेतु निधि	ii.	1,271.55	1,138.92	725.10
प्रतिधारित	iii	21,324.36	4,831.02	4,961.00
		1,58,890.91	**1,42,264.94**	**1,29,081.10**

i. सामान्य रिज़र्व

विवरण	31 मार्च 2017 तक	31 मार्च 2016 तक	1 अप्रैल 2015 तक
अथ शेष	1,36,295.00	1,23,395.00	1,08,595.00
जोड़िए: चालूवर्ष के लाभ से स्थानांतरित	-	12,900.00	15,100.00
घटाइए: जारी बोनस शेयरसे संबंधित शेयर पूँजी में स्थानांतरित	-	-	(300.00)
कुल	**1,36,295.00**	**1,36,295.00**	**1,23,395.00**

ii. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं दीर्घकालिक क्रियाकलाप हेतु निधि

विवरण	31 मार्च 2017 तक	31 मार्च 2016 तक	1 अप्रैल 2015 तक
अथ शेष	1,138.92	725.10	275.00
जोड़िए: चालूवर्ष के लाभ से आबंटित	626.40	584.00	530.10
घटाइए: वर्ष के दौरान भुगतान	(493.77)	(170.18)	(80.00)
कुल	**1,271.55**	**1,138.92**	**725.10**

iii. प्रतिधारित आय

राशि ₹ लाख में

विवरण	31 मार्च 2017 तक	31 मार्च 2016 तक	1 अप्रैल 2015 तक
अथ शेष	4,831.01	4,961.00	1.23
जोड़िए: चालू वर्ष का लाभ	21,801.36	20,540.10	20,509.87
जोड़िए: कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व क्रियाकलाप हेतु व्यय	493.77	170.18	80.00
घटाइए: सामान्य रिज़र्व में स्थानांतरित	-	(12,900.00)	(15,100.00)
घटाइए: कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं दीर्घकालिक क्रियाकलाप की रिज़र्व में स्थानांतरित (सी.एस.आर. एवं दीर्घकालिक क्रियाकलाप हेतु बजटीय आबंटन	(626.40)	(584.00)	(530.10)
घटाइए: अंतरिम लाभांश प्रदत्त	-	(2,000.00)	-
घटाइए: वितरित लाभ (अंतरिम) प्रदत्त पर कर	-	(407.15)	-
घटाइए: प्रस्तावित अंतिम लाभांश प्रदत्त	(4,300.00)	(4,112.00)	-
घटाइए: वितरित लाभ पर कर का प्रावधान	(875.38)	(837.12)	-
कुल	**21,324.36**	**4,831.01**	**4,961.00**

17 अन्य रिज़र्व

विवरण	31 मार्च 2017 तक	31 मार्च 2016 तक	1 अप्रैल 2015 तक
अन्य व्यापक आय			
नियोजन उपरांत लाभ की बाध्यता का पुनर्मापन, कर का निवल	(9.10)	(5.59)	(2.85)
कुल	**(9.10)**	**(5.59)**	**(2.85)**
कुल - अन्य इक्विटी (नोट 16 + नोट 17)	**1,58,881.81**	**1,42,259.34**	**1,29,078.25**

i. रोज़गार के बाद के लाभ-दायित्व का पुनर्मापन

विवरण	31 मार्च 2017 तक	31 मार्च 2016 तक	1 अप्रैल 2015 तक
अथ शेष	(5.59)	(2.85)	-
नियोजन उपरांत लाभ की बाध्यता का पुनर्मापन	(3.51)	(2.74)	(2.85)
अग्रेनीत शेष	**(9.10)**	**(5.59)**	**(2.85)**

18 अन्य वित्तीय देयता

विवरण	31 मार्च 2017 तक	31 मार्च 2016 तक	1 अप्रैल 2015 तक
अन्य व्यापार देय	14.90	14.90	14.90
अन्य-प्रतिभूति एवं ग्राहकों से अन्य संविदा जमा	17,501.61	13,854.84	10,744.18
कुल	**17,516.51**	**13,869.74**	**10,759.08**

19 अन्य दीर्घकालीन देयता

विवरण	31 मार्च 2017 तक	31 मार्च 2016 तक	1 अप्रैल 2015 तक
ग्राहकों से अग्रिम	36,884.00	46,428.05	63,432.44
आस्थगित आय	29.23	215.71	365.26
कुल	**36,913.23**	**46,643.76**	**63,797.70**

राशि ₹ लाख में

20 प्रावधान

विवरण	31 मार्च 2017 तक	31 मार्च 2016 तक	1 अप्रैल 2015 तक
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान			
उपदान*	32.23	20.98	12.63
अवकाश नकदीकरण	46.56	28.21	17.36
कुल	**78.79**	**49.19**	**29.99**

* इण्ड ए.एस. 19 के अनुसार उपदान योजना के विवरण हेतु नोट 37 का संदर्भ लें

21 व्यापार देय

विवरण	31 मार्च 2017 तक	31 मार्च 2016 तक	1 अप्रैल 2015 तक
सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों के बाकी बची बकाया राशि*	-	-	-
सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों को छोड़कर लेनदारों के पास बाकी बची बकाया राशि	68,774.68	70,966.33	56,313.13
कुल	**68,774.68**	**70,966.33**	**56,313.13**

* सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के प्रावधानों की शर्तों के आधार पर किसी भी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम को किसी भी राशि का भुगतान बाकी नहीं है।

22 अन्य वित्तीय देयता

विवरण	31 मार्च 2017 तक	31 मार्च 2016 तक	1 अप्रैल 2015 तक
ग्राहकों से अग्रिम	8,737.98	8,709.04	11,506.32
व्यय के लिए लेनदार	538.30	567.94	1,163.61
देयता के लिए लेनदार	144.05	508.12	1,094.55
अन्य-प्रतिभूति एवं अन्य संविदा जमा	3,968.61	2,451.76	1,974.61
कुल	**13,388.94**	**12,236.86**	**15,739.09**

23 अन्य चालू देयता

विवरण	31 मार्च 2017 तक	31 मार्च 2016 तक	1 अप्रैल 2015 तक
सांविधिक देयता	715.44	2,977.15	861.64
आयकर (आकलित) देय	-	-	737.37
आरथगित आय	186.48	198.50	173.64
अन्य देयता के लिए लेनदार	-	-	57.68
कुल	**901.92**	**3,175.65**	**1,830.33**

24 प्रावधान

विवरण	31 मार्च 2017 तक	31 मार्च 2016 तक	1 अप्रैल 2015 तक
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान			
उपदान*	0.56	0.48	0.35
अवकाश नकदीकरण	0.64	1.50	1.50
कुल	**1.20**	**1.98**	**1.85**

* इण्ड ए.एस. 19 के अनुसार उपदान योजना के विवरण हेतु नोट 37 का संदर्भ लें

राशि ₹ लाख में

25 प्रचालनों से राजस्व

विवरण	31 मार्च 2017 तक समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2016 तक समाप्त हुए वर्ष के लिए
राजस्व		
उत्पादों की बिक्री		
निर्यात	76.51	910.37
घरेलू	6,433.30	16,785.30
कुल (क)	**6,509.81**	**17,695.67**
सेवाओं की बिक्री		
निर्यात		
अभिगम शुल्क एवं रॉयल्टी प्राप्तिया	1,039.46	1,627.89
आतिथेय प्राप्तियाँ	21,925.11	23,313.64
परामर्शिता सेवा प्राप्तियाँ	39.77	12.97
घरेलू		
अंतरिक्ष खण्ड क्षमता प्रभार	1,49,510.74	1,36,031.29
परामर्शिता सेवा प्राप्तियाँ	5,788.18	811.28
आतिथेय प्राप्तियाँ	2,480.26	-
कुल (ख)	**1,80,783.52**	**1,61,797.07**
कुल (क) + (ख)	**1,87,293.33**	**1,79,492.74**

26 अन्य आय

विवरण	31 मार्च 2017 तक समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2016 तक समाप्त हुए वर्ष के लिए
ब्याज से प्राप्त आय		
बैंक में जमा राशि पर	9,901.67	11,247.86
कर्मचारियों को अग्रिम पर	-	0.01
व्यापार प्राप्तियों पर	522.03	130.00
करों के पूर्व भुगतान पर	336.26	439.65
ब्याज वापसी प्राप्तियाँ	5.55	-
जमानती जमा अग्रिम से प्राप्त आय	198.50	185.18
लाभांश से आय	832.67	635.84
विदेशी मुद्रा परिवर्तन लाभ (शुद्ध)	-	67.33
पुनर्लिखित संदिग्धपूर्ण प्राप्तियाँ के लिए प्रावधान	-	139.03
सरकारी अनुदान से आय	22.69	22.69
पुनर्लिखित देयता	0.01	194.56
निर्यात प्रोत्साहन	-	0.39
विविध आय	0.02	0.35
कुल	**11,819.40**	**13,062.89**

27 प्रचालनों से राजस्व की लागत

विवरण	31 मार्च 2017 तक समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2016 तक समाप्त हुए वर्ष के लिए
व्यय की लागत		
निर्यात	45.97	673.12
घरेलू	5,790.45	14,260.34
कुल (क)	**5,836.42**	**14,933.46**

राशि ₹ लाख में

सेवा की लागत		
निर्यात		
परामर्शिता प्रभार	23.81	7.90
आतिथेय प्राप्तियाँ	17,205.22	19,188.25
अभिगम शुल्क एवं रॉयल्टी प्राप्तियाँ	624.04	958.70
घरेलू		
अंतरिक्ष खण्ड प्रभार	1,32,733.76	1,22,041.00
परामर्शिता प्रभार	1,469.65	753.48
आतिथेय प्राप्तियों की लागत- अंतर्देशीय	1,950.00	-
कुल (ख)	**1,54,006.48**	**1,42,949.33**
कुल (क) + (ख)	**1,59,842.90**	**1,57,882.79**

28 **कर्मचारी लाभ व्यय**

विवरण	31 मार्च 2017 तक समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2016 तक समाप्त हुए वर्ष के लिए
सी.एम.डी. को पारिश्रमिक	18.87	20.24
ई.डी. को पारिश्रमिक	13.14	18.07
निदेशकों के लिए बैठक-शुल्क	0.86	2.23
वेतन	75.79	48.78
कर्मचारी कल्याण	20.83	14.99
अवकाश यात्रा रियायत	8.21	2.77
अवकाश नकदीकरण का भुगतान	0.31	0.20
अवकाश नकदीकरण का प्रावधान	17.48	10.85
उपदान प्रावधान	5.96	4.29
स्थापना व्यय	381.26	276.59
कार्मिक प्रशिक्षण व्यय	2.35	0.75
कुल	**545.06**	**399.76**

* इण्ड ए.एस. 19 के अनुसार उपदान योजना के विवरण हेतु नोट 37 का संदर्भ लें

29 **वित्त लागत**

विवरण	31 मार्च 2017 तक समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2016 तक समाप्त हुए वर्ष के लिए
जमानती जमा पर ब्याज व्यय	230.05	197.77
कुल	**230.05**	**197.77**

30 **अन्य व्यय**

विवरण	31 मार्च 2017 तक समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2016 तक समाप्त हुए वर्ष के लिए
यात्रा व्यय	46.48	43.51
सवारी और टैक्सी भाड़ा	34.29	30.83
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	8.95	8.05
संचार संबंधी व्यय	28.19	27.03
कानूनी शुल्क एवं व्यय	1,101.76	604.96
व्यावसायिक शुल्क	59.32	39.89
महसूल एवं कर	802.01	0.35
स्वच्छ भारत उपकर	0.79	149.95
विज्ञापन एवं प्रचार	14.97	7.14
सदस्यता एवं अभिदान	6.78	3.32
संगोष्ठी, सम्मेलन एवं बैठक संबंधी व्यय	4.25	4.78

राशि ₹ लाख में

बहिष्कृत स्थाई परिसंपत्ति	-	1.50
भूमि पट्टे का किराया	0.10	0.10
भूमि पट्टे का किराया के लिए सरकारी अनुदान	22.69	22.69
करों के विलंबित भुगतान पर ब्याज	4.09	72.37
बैंक प्रभार	9.40	19.33
मरम्मत एवं अनुरक्षण-भवन	6.36	-
मरम्मत एवं अनुरक्षण-अन्य	32.20	32.81
लेखापरीक्षकों को भुगतान (नीचे के नोट (i) का संदर्भ लें)	5.19	4.00
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व क्रियाकलापों पर व्यय (नीचे के नोट (ii) का संदर्भ लें)	493.77	170.18
विविध व्यय	29.11	20.75
संदिग्धपूर्ण ऋण हेतु प्रावधान	1,905.01	1,735.27
बैंक गारंटी कमीशन	13.56	32.74
सी.एम.डी. आवास हेतु भाड़ा	3.13	-
विदेशी मुद्रा परिवर्तन हानि (निवल)	282.38	-
प्रदर्शिनी एवं व्यापार मेला	62.98	-
कुल	**4,977.76**	**3,031.55**

नोट - (i) लेखापरीक्षकों को भुगतान

विवरण	31 मार्च 2017 तक समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2016 तक समाप्त हुए वर्ष के लिए
लेखापरीक्षक के तौर पर		
सांविधिक लेखापरीक्षक	4.69	3.20
सेवाकर एवं व्यय का भुगतान	0.50	0.80
	5.19	4.00

नोट - (ii) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर व्यय के विवरण

विवरण	31 मार्च 2017 तक समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2016 तक समाप्त हुए वर्ष के लिए
(क) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा व्यय की जाने वाली अपेक्षित राशि	626.40	584.00
(ख) वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि (नकद)		
(i) किसी परिसंपत्ति का निर्माण	-	-
(ii) उपयुक्त (i) को छोड़कर अन्य उद्देश्यों पर	493.77	170.18

इण्ड.ए.एस. 24 के अनुसार सी.एस.आर. व्यय से संबंधित संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन के विवरण, संबंधित पक्षों के प्रकटीकरण (31 मार्च 2016 - शून्य)

31 **कर व्यय**

क. लाभ तथा हानि लेखा में मान्य राशि

	31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
चालू कर (क)		
चालू अवधि	11,132.00	11,100.00
पिछला वर्ष	(84.63)	(164.81)
आस्थगित कर (ख)		
से संबंधित -		
स्थाई मतांतर का उद्भव एवं उत्क्रम	545.68	(546.88)
वर्ष के लिए कर व्यय (क) + (ख)	**11,593.05**	**10,388.31**

राशि ₹ लाख में

ख. अन्य व्यापक आय में मान्य राशि

	31 मार्च 2017		
	कर पूर्व	कर (व्यय) लाभ	कर का निवल
पारिभाषित लाभ योजना का पुनर्मापन	(5.37)	1.86	(3.51)

	31 मार्च 2016		
	कर पूर्व	कर (व्यय) लाभ	कर का निवल
पारिभाषित लाभ योजना का पुनर्मापन	(4.19)	1.45	(2.74)

ग. आयकर से पूर्व आय के लिए सांविधिक आयकर दर को लागू करते हुए संगणित राशि का आयकर प्रावधान से आमेलन नीचे संक्षेप में वर्णित है:

	31 मार्च 2017		31 मार्च 2016	
कर पूर्व लाभ		**33,394.41**		**30,928.41**
कंपनी के घरेलू कर दर का उपयोग करते हुए कर	34.608%	11,557.14	34.608%	10,703.70
के प्रभाव: करमुक्त आय				
लाभांश आय		(288.17)		(220.05)
गैर-कटौती व्यय				
लाभांश आय के सापेक्ष 14 ए. के तहत अस्वीकृत व्यय		66.29		-
सी.एस.आर. व्यय		170.88		48.51
अमान्य विदेशी मुद्रा स्थानांतरण		163.20		16.46
पिछले वर्ष के कर व्यय का उत्क्रम		(84.63)		(164.81)
पूर्व वर्ष के व्यय का पुन: उल्लेख		-		(8.68)
पिछले वर्ष में अस्वीकृत ब्याज वापसी प्राप्ति		(1.92)		-
बहिष्कृत परिसंपत्ति		-		0.52
अन्य		10.26		12.65
आयकर व्यय		**11,593.05**		**10,388.31**

घ. मान्य आस्थगित कर परिसंपत्ति एवं देयता

निम्नानुसार आस्थगित कर परिसंपत्ति एवं देयता

	आस्थगित कर (परिसंपत्ति)	आस्थगित कर देयता	निवल आस्थगित कर (परिसंपत्ति) एवं देयता
	31 मार्च 2017	31 मार्च 2017	31 मार्च 2017
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (अमूर्त परिसंपत्ति सहित)	-	50.67	50.67
विरोध के तहत सेवा कर प्रदत		3,952.77	3,952.77
जमानती जमा में छूट	-	19.81	19.81
अपेक्षित ऋण हानि प्रावधान	(2,584.43)	-	(2,584.43)
प्रावधान-कर्मचारी लाभ	(27.68)	-	(27.68)
निवल आस्थगित कर (परिसंपत्ति) एवं देयता	**(2,612.11)**	**4,023.25**	**1,411.15**

	आस्थगित कर (परिसंपत्ति)	आस्थगित कर देयता	निवल आस्थगित कर (परिसंपत्ति) एवं देयता
	31 मार्च 2016	31 मार्च 2016	31 मार्च 2016
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (अमूर्त परिसंपत्ति सहित)	-	33.94	33.94
विरोध के तहत सेवा कर प्रदत्त		2,745.48	2,745.48

राशि ₹ लाख में

जमानती जमा में छूट	-	30.73	30.73
अपेक्षित ऋण हानि प्रावधान	(1,925.11)	-	(1,925.11)
प्रावधान-कर्मचारी लाभ	(17.71)	-	(17.71)
निवल आस्थगित कर (परिसंपत्ति) एवं देयता	**(1,942.82)**	**2,810.15**	**867.33**

	आस्थगित कर (परिसंपत्ति)	आस्थगित कर देयता	निवल आस्थगित कर (परिसंपत्ति) एवं देयता
	01 अप्रैल 2015	01 अप्रैल 2015	01 अप्रैल 2015
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (अमूर्त परिसंपत्ति सहित)	-	18.80	18.80
विरोध के तहत सेवा कर प्रदत्त		2,745.48	2,745.48
जमानती जमा में छूट	-	35.09	35.09
अपेक्षित ऋण हानि प्रावधान	(1,372.68)	-	(1,372.68)
प्रावधान-कर्मचारी लाभ	(11.02)	-	(11.02)
निवल आस्थगित कर (परिसंपत्ति) एवं देयता	**(1,383.70)**	**2,799.37**	**1,415.66**

ङ. अस्थाई अंतर में परिचालन

	01 अप्रैल 2016 तक शेष	2016-17 के दौरान लाभ तथा हानि में मान्य	2016-17 के दौरान ओ.सी.आई. में मान्य	31 मार्च 2017 तक शेष
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (अमूर्त परिसंपत्ति सहित)	33.94	16.73	-	50.67
विरोध के तहत सेवा कर प्रदत्त	2,745.48	1,207.29	-	3,952.77
जमानती जमा में छूट	30.73	(10.92)	-	19.81
अपेक्षित ऋण हानि प्रावधान	(1,925.11)	(659.31)	-	(2,584.43)
प्रावधान-कर्मचारी लाभ	(17.71)	(8.11)	(1.86)	(27.68)
कुल	**867.33**	**545.68**	**(1.86)**	**1,411.15**

	1 अप्रैल, 2015 तक शेष	2015-16 के दौरान लाभ या हानि में मान्य	2015-16 के दौरान ओ.सी.आई. में मान्य	31 मार्च 2016 तक शेष
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (अमूर्त परिसंपत्ति सहित)	18.80	15.14	-	33.94
विरोध के तहत सेवा कर प्रदत्त	2,745.48	-	-	2,745.48
जमानती जमा में छूट	35.09	(4.36)	-	30.73
अपेक्षित ऋण हानि प्रावधान	(1,372.68)	(552.43)	-	(1,925.11)
प्रावधान-कर्मचारी लाभ	(11.02)	(5.24)	(1.45)	(17.71)
कुल	**1,415.66**	**(546.89)**	**(1.45)**	**867.33**

च. अन्य कर परिसंपत्ति

विवरण	31 मार्च 2017 तक	31 मार्च 2016 तक	1 अप्रैल, 2015 तक
कर वापसी बाकी	12,120.47	11,289.65	15,482.78
कुल	**12,120.47**	**11,289.65**	**15,482.78**

पारिभाषित लाभ योजना के बीमांकक लाभ/हानि पर आस्थगित कर अन्य व्यापक आय में मान्य होता है और इक्विटी के भीतर प्रस्तुत किया जाता है। इन्हें छोड़कर आस्थगित कर परिसंपत्ति तथा देयता मूलतः लाभ तथा हानि लेखा में अभिलेखित होते हैं।

राशि ₹ लाख में

आस्थगित कर परिसंपत्ति के प्रापण के आकलन में कंपनी उस सीमा तक विचार करती है जहाँ तक यह संभव हो कि आस्थगित कर परिसंपत्ति प्राप्त की जा सकती है | आस्थगित कर परिसंपत्ति का अंतिम प्रापण अवधि के दौरान भविष्य में करयोग्य लाभ के सृजन पर निर्भर है जिसमें वे अस्थाई अंतर और आगे लाई गई कर हानि कटौती योग्य है | कंपनी, इस विवरणी को तैयार करने में आस्थगित कर देयता के अपेक्षित उत्क्रम, भविष्य की प्रस्तावित करयोग्य आय एवं कर नियोजन रणनीति पर विचार करती है । इस के आधार पर, कंपनी मानती है कि ऐसी संभावना है कि कंपनी इन कटौती योग्य अंतर के लाभ को प्राप्त करेगी । आस्थगित कर परिसंपत्ति की राशि प्राप्ति योग्य मानी गई, हालाँकि, इसे निकट की शर्त तक कम किया जा सकता है यदि अग्रसारित अवधि के दौरान भविष्य की करयोग्य आय के आकलन को कम किया जाता है।

32 **प्रति शेयर आय (ई.पी.एस.)**

मौलिक ई.पी.एस. राशि की गणना कंपनी के इक्विटी धारक से संबंधित वर्ष के लाभ और वर्ष के दौरान बाकी बचे इक्विटी शेयर की प्रश्रय दी गई औसत संख्या से विभाजित कर की जाती है।

मिश्रित ई.पी.एस. राशि की गणना, सभी मिले-जुले प्रमुख शेयर के प्रभाव के समायोजन के बाद, कंपनी के इक्विटी धारक से संबंधित वर्ष के लाभ और वर्ष के दौरान बाकी बचे इक्विटी शेयर की प्रश्रय दी गई औसत संख्या से विभाजित कर की जाती है।:

i. **प्रारंभिक इक्विटी धारक से संबंधित लाभ**

	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
कर पश्चात् लाभ	21,801.36	20,540.10
प्रारंभिक आय के लिए कंपनी के इक्विटी धारक से संबंधित लाभ	**21,801.36**	**20,540.10**
अन्य	-	-
मिले-जुले प्रभाव को समायोजित करने के बाद कंपनी के इक्विटी धारक से संबंधित लाभ	**21,801.36**	**20,540.10**

ii. **प्रश्रय दी गई इक्विटी शेयर की औसत संख्या लाखों में**

	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
प्रारंभिक तिथि तक निर्गत सामान्य शेयर	4.00	4.00
परिचालन	-	-
मौलिक ई.पी.एस. के लिए 31 मार्च तक प्रश्रय दी गई इक्विटी शेयर की औसत संख्या	**4.00**	**4.00**
अवमिश्रण का प्रभाव (यदि कोई हो)	-	-
	4.00	**4.00**
मौलिक और मिली-जुली प्रति शेयर आय	**5,450.34**	**5,135.02**

33 **वितीय संलेख-उचित मूल्य एवं जोखिम प्रबंधन**

i. लेखा वर्गीकरण एवं उचित मूल्य

31 मार्च 2017

	वाहित मूल्य				**उचित मूल्य**			
	एफवीटीपीएल	**एफवीटीओसीआई**	**परिशोधित लागत**	**कुल**	**स्तर 1**	**स्तर 2**	**स्तर 3**	**कुल**
उचित मूल्य में मापित वित्तीय परिसंपत्ति चालू निवेश								
म्यूचुअल निधि में निवेश	21,252.68	-	-	21,252.68	-	21,252.68	-	21,252.68
	21,252.68	**-**	**-**	**21,252.68**	**-**	**21,252.68**	**-**	**21,252.68**
उचित मूल्य में अमापित वित्तीय परिसंपत्ति दीर्घकालीन ऋण								

राशि ₹ लाख में

दीर्घकालीन वित्तीय परिसंपत्ति								
कर्मचारियों को अग्रिम	-	-	0.06	0.06	-	-	-	-
प्रतिभूति जमा	-	-	5,018.98	5,018.98				
दीर्घकालीन वित्तीय परिसंपत्ति					-	-	-	-
व्यापार प्राप्तियाँ	-	-	61,673.15	61,673.15	-	-	-	-
नकद एवं नकद समतुल्य	-	-	1,20,942.27	1,20,942.27	-	-	-	-
अन्य वसूली योग्य	-	-	53.65	53.65	-	-	-	-
बैंक में जमा पर प्रोद्भूत ब्याज	-	-	5,416.07	5,416.07	-	-	-	-
	-	-	**1,93,104.19**	**1,93,104.19**	-	-	-	-
उचित मूल्य में अमापित वित्तीय देयता								
दीर्घकालीन वित्तीय देयता								
अन्य - प्रतिभूति एवं अन्य संविदा जमा	-	-	17,501.61	17,501.61	-	-	-	-
अन्य व्यापार देय	-	-	14.90	14.90	-	-	-	-
चालू वित्तीय देयता								
व्यापार देय	-	-	68,774.68	68,774.68	-	-	-	-
ग्राहकों से अग्रिम	-	-	8,737.98	8,737.98	-	-	-	-
व्यय के लिए लेनदार	-	-	538.30	538.30	-	-	-	-
अन्य देयता के लिए लेनदार	-	-	144.05	144.05	-	-	-	-
अन्य - प्रतिभूति एवं अन्य संविदा जमा	-	-	3,968.61	3,968.61	-	-	-	-
	-	-	**99,680.12**	**99,680.12**	-	-	-	-

31 मार्च 2016

	वाहित मूल्य				उचित मूल्य			
	एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	परिशोधित लागत	कुल	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
उचित मूल्य में अमापित वित्तीय परिसंपत्ति								

राशि ₹ लाख में

दीर्घकालीन वित्तीय परिसंपत्ति								
कर्मचारियों को अग्रिम	-	-	0.64	0.64	-	-	-	-
प्रतिभूति जमा	-	-	5,013.99	5,013.99	-	-	-	-
चालू वित्तीय परिसंपत्ति					-	-	-	-
व्यापार प्राप्तियाँ	-	-	49,335.07	49,335.07	-	-	-	-
नकद एवं नकद सामतुल्य	-	-	1,51,890.35	1,51,890.35	-	-	-	-
अन्य प्राप्तिया	-	-	38.49	38.49	-	-	-	-
बैंक में जमा पर प्रोद्भूत ब्याज	-	-	6,872.81	6,872.81	-	-	-	-
	-	**-**	**2,13,151.34**	**2,13,151.34**	**-**	**-**	**-**	**-**
उचित मूल्य में अमापित वित्तीय देयता								
दीर्घकालीन वित्तीय देयता								
अन्य - प्रतिभूति एवं अन्य संविदा जमा	-	-	13,854.84	13,854.84	-	-	-	-
अन्य व्यापार देय	-	-	14.90	14.90	-	-	-	-
चालू वित्तीय देयता								
व्यापार देय	-	-	70,966.33	70,966.33	-	-	-	-
ग्राहकों से अग्रिम	-	-	8,709.04	8,709.04	-	-	-	-
व्यय के लिए लेनदार	-	-	567.94	567.94	-	-	-	-
अन्य देयता के लिए लेनदार	-	-	508.12	508.12	-	-	-	-
अन्य - प्रतिभूति एवं अन्य संविदा जमा	-	-	2,451.76	2,451.76	-	-	-	-
	-	**-**	**97,072.92**	**97,072.92**	**-**	**-**	**-**	**-**

1 अप्रैल 2015

	वाहित मूल्य				उचित मूल्य			
	एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	परिशोधित लागत	कुल	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
उचित मूल्य में अमापित वित्तीय परिसंपत्ति								

दीर्घकालीन वित्तीय परिसंपत्ति								
कर्मचारियों को अग्रिम	-	-	0.38	0.38	-	-	-	-
प्रतिभूति जमा	-	-	5,013.99	5,013.99	-	-	-	-
चालू वित्तीय परिसंपत्ति								
व्यापार प्राप्तियाँ	-	-	47,302.11	47,302.11	-	-	-	-
नकद एवं नकद समतुल्य	-	-	1,34,328.95	1,34,328.95	-	-	-	-
अन्य प्राप्तियाँ	-	-	57.39	57.39	-	-	-	-
बैंक में जमा पर प्रोद्भूत ब्याज	-	-	7,387.56	7,387.56	-	-	-	-
	-	**-**	**1,94,090.38**	**1,94,090.38**	**-**	**-**	**-**	**-**
उचित मूल्य में अमापित वित्तीय देयता								
दीर्घकालीन वित्तीय देयता								
अन्य - प्रतिभूति एवं अन्य संविदा जमा	-	-	10,744.18	10,744.18	-	-	-	-
अन्य व्यापार देय	-	-	14.90	14.90	-	-	-	-
चालू वित्तीय देयता								
व्यापार देय	-	-	56,313.13	56,313.13	-	-	-	-
ग्राहकों से अग्रिम	-	-	11,506.32	11,506.32	-	-	-	-
व्यय के लिए लेनदार	-	-	1,163.61	1,163.61	-	-	-	-
अन्य देयता के लिए लेनदार	-	-	1,094.55	1,094.55	-	-	-	-
अन्य - प्रतिभूति एवं अन्य संविदा जमा	-	-	1,974.61	1,974.61	-	-	-	-
	-	**-**	**82,811.29**	**82,811.29**	**-**	**-**	**-**	**-**

उचित मूल्य क्रम

स्तर 1 - समान परिसंपत्ति या देयता के लिए सक्रिय बाज़ार में उद्धृत दाम (असमायोजित)

स्तर 2 - स्तर 1 के तहत शामिल उद्धृत मूल्य को छोडकर इनपुट परिसंपत्ति या देयता के लिए या तो प्रत्यक्ष रूप से (यानी मूल्य के तौर पर) या परोक्ष रूप से (यानी, मूल्य से उद्भूत) प्रेक्षणीय है ।

स्तर 3 - परिसंपत्ति या देयता के लिए इनपुट जो बाज़ार के प्रेक्षणीय आँकड़ा (अप्रेक्षणीय इनपुट) पर आधारित नहीं है ।

अवधि के दैरान, स्तर 1, स्तर 2, स्तर 3, के बीच कोई अंतरण नहीं हुआ है ।

ख. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

वित्तीय संलेख से उत्पन्न होने वाले निम्नलिखित जोखिमों से कंपनी अवगत है :

- ऋण जोखिम;
- तरलता जोखिम; और
- बाज़ार जोखिम

i. जोखिम प्रबंधन खाका

कंपनी की मुख्य वित्तीय देयताओं में व्यापार देय तथा ग्राहकों से जमा शामिल हैं । इन वित्तीय देयताओं का मुख्य उद्देश्य कंपनी के व्यापार के लिए आर्थिक व्यवस्था करना है। कंपनी की मुख्य वित्तीय परिसंपत्ति में व्यापार प्राप्तियाँ, नकद, जमा तथा इसके व्यापार से प्रत्यक्ष रूप से उद्‌भूत निवेश शामिल हैं।

कंपनी के क्रियाकलाप इसे कई तरह के वित्तीय जोखिमों में डालते हैं : बाज़ार जोखिम, ऋण जोखिम और तरलता जोखिम । कंपनी का मुख्य ध्यान वित्तीय बाज़ार की अनिश्चितता और अपनी वित्तीय निष्पादकता पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव पर केंद्रित होता है । कंपनी का मुख्य जोखिम विदेशी मुद्रा जोखिम होता है । ग्राहक की व्यक्तिगत विशेषता से पड़ने वाले विशेष प्रभाव के कारण ही कंपनी को ऋण जोखिम का सामना करना पड़ता है ।

ii. ऋण जोखिम

ऋण जोखिम कंपनी के लिए वित्तीय हानि का जोखिम है यदि वित्तीय संलेख के लिए एक ग्राहक या प्रतिरूपक अपने संविदा दायित्व को पूर्ण करने से चूक जाता है, और मुख्यत: कंपनी को ग्राहकों से मिलने वाली प्राप्तियों एवं ऋण प्रतिभूति में निवेश से उत्पन्न होता है ।

निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्ति की वाहित राशि अधिकतम ऋण अनावरण का वर्णन करती है :

व्यापार प्राप्तियाँ

ग्राहक की व्यक्तिगत विशेषता से पड़ने वाले विशेष प्रभाव के कारण ही कंपनी को ऋण जोखिम का सामना करना पड़ता है । हालाँकि, प्रबंधन केंद्र/राज्य सरकारों, केंद्र/राज्य सरकारों के विभागों, केंद्र/राज्य सरकारों की स्वायत्त संस्थाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जिनके लिए प्रावधान/हानि भत्ता की माप प्रकरण से प्रकरण पर आधारित होती है और अपेक्षित ऋण हानि हेतु विचार नहीं किया जाता है ।

कंपनी ने क्षति के लिए एक भत्ता की स्थापना की है जो व्यापार प्राप्तियों के संबंध में इसके आकलन का वर्णन करता है ।

व्यापार प्राप्तियों एवं व्यक्तिगत ग्राहकों से ऋण के लिए ऋण जोखिम एवं अपेक्षित ऋण हानि के अनावरण के बारे में सूचना निम्न लिखित सारणी से मिलती है :

राशि ₹ लाख में

31 मार्च 2017

	सकल वाहित राशि	**प्रभावशाली औसत हानि दर**	**भत्ता हानि**	**क्या ऋण क्षति हुई ?**
1 - 90 दिनों के बाद बकाया	11,267.38	13%	1,499.12	जी नहीं
91 - 180 दिनों के बाद बकाया	1,620.22	70%	1,138.66	जी नहीं
181 - 365 दिनों के बाद बकाया	1,398.78	90%	1,262.44	जी नहीं
365 से अधिक दिनों के बाद बकाया	3,589.86	99%	3,567.13	जी हाँ
	17,876.24	-	**7,467.35**	

31 मार्च 2016

	सकल वाहित राशि	**प्रभावशाली औसत हानि दर**	**भत्ता हानि**	**क्या ऋण क्षति हुई ?**
1 - 90 दिनों के बाद बकाया	8,499.30	14%	1,181.13	जी नहीं
91 - 180 दिनों के बाद बकाया	1,250.98	75%	933.68	जी नहीं
181 - 365 दिनों के बाद बकाया	1,376.26	91%	1,250.02	जी नहीं
365 से अधिक दिनों के बाद बकाया	2,197.50	100%	2,197.50	जी हाँ
	13,324.04		**5,562.34**	

राशि ₹ लाख में

1 अप्रैल 2015

	सकल वाहित राशि	प्रभावशाली औसत हानि दर	भत्ता हानि	क्या ऋण क्षति हुई ?
1 - 90 दिनों के बाद बकाया	7,094.67	11%	748.00	जी नहीं
91 - 180 दिनों के बाद बकाया	695.17	76%	528.85	जी नहीं
181 - 365 दिनों के बाद बकाया	754.15	92%	691.31	जी नहीं
365 से अधिक दिनों के बाद बकाया	1,997.96	100%	1,997.96	जी हाँ
	10,541.95		**3,966.11**	

वर्ष के दौरान व्यापार तथा अन्य प्राप्तियों से संबंधित क्षति के लिए भत्ता में परिचालन इस प्रकार था:

	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
1 अप्रैल तक शेष	5,562.34	3,966.11
पहचान की गई क्षति हानि	1,905.01	1,735.27
पुनर्लिखित राशि	-	(139.03)
31 मार्च तक शेष	**7,467.35**	**5,562.34**

नकद एवं नकद समतुल्य

कंपनी के पास 31 मार्च 2017 तक ₹ 1,20,942.28 (31 मार्च 2016 तक ₹ 1,50,890.35) का नकद और नकद समतुल्य था। नकद और नकद समतुल्य को बैंक एवं सी.आर.आई.एस.आई.एल. द्वारा ए 1+ मूल्यांकित वित्तीय संस्थानों में जमा किया गया है ।

iii. **तरलता जोखिम**

तरलता जोखिम वह जोखिम है जिससे कंपनी को अपनी वित्तीय देयता से संबंधित दायित्वों को पूर्ण करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और जिसे नकद भुगतान या अन्य वित्तीय परिसंपत्ति से व्यवस्थित किया जाता है । तरलता के प्रबंधन के लिए कंपनी की पहल यह सुनिश्चित करना है कि जहाँ तक संभव हो, सामान्य और कठिन परिस्थियों में, बिना किसी अस्वीकार्य हानि या कंपनी की साख को नुकसान पहुँचाए, अपनी देयता, जब वे देय हों, को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त तरलता हो ।

कंपनी की तरलता प्रमुख स्रोत नकद और नकद समतुल्य हैं और वे नकद प्रवाह जिन्हें व्यापार से सृजित किया जाता है । कंपनी के पास बैंक से कोई उधार नहीं है । कंपनी को विश्वास है कि उसकी कार्यकारी पूँजी उसकी वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त है । इस प्रकार, किसी तरलता जोखिम का कोई अंदेशा नहीं है ।

तरलता जोखिम के लिए अनावरण

रिपोर्टिंग तिथि तक वित्तीय देयता की बाकी बची संविदात्मक परिपक्वता निम्नलिखित हैं । राशि सकल और बिना छूट की हैं, और इसमें अनुमानित ब्याज के भुगतान शामिल हैं तथा निवल समझौतों के प्रभाव शामिल नहीं हैं।

		संविदात्मक नकद प्रवाह			
31 मार्च 2017	**वाहित राशि**	**1 वर्ष से कम**	**1-2 वर्ष**	**2-4 वर्ष**	**4-7 वर्ष**
मुखर वित्तीय देयता					
असामान्य					
अन्य व्यापार देय	14.90	-	-	14.90	-
अन्य - प्रतिभूति एवं अन्य संविदा जमा	17,501.61	-	82.38	17,419.23	-
चालू	-				
व्यापार देय	68,774.68	68,774.68	-	-	-
अन्य चालू वित्तीय देयता	-				
ग्राहकों से अग्रिम	8,737.98	8,737.98	-	-	-
व्यय के लिए लेनदार	538.30	538.30	-	-	-
अन्य देयता के लिए लेनदार	144.05	144.05	-	-	-
अन्य - प्रतिभूति एवं अन्य संविदा जमा	3,968.61	3,968.61	-	-	-
	99,680.13	**82,163.62**	**82.38**	**17,434.13**	**-**

राशि ₹ लाख में

		संविदात्मक नकद प्रवाह			
31 मार्च 2016	वाहित राशि	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-4 वर्ष	4-7 वर्ष
मुखर वित्तीय देयता					
दीर्घकालीन			-	-	-
अन्य व्यापार देय	14.90		-	14.90	-
अन्य - प्रतिभूति एवं अन्य संविदा जमा	13,854.84		-	13,854.84	-
चालू	-				
व्यापार देय	70,966.33	70,966.33	-	-	-
अन्य चालू वित्तीय देयता	-				
ग्राहकों से अग्रिम	8,709.04	8,709.04	-	-	-
व्यय के लिए लेनदार	567.94	567.94	-	-	-
अन्य देयता के लिए लेनदार	508.12	508.12	-	-	-
अन्य - प्रतिभूति एवं अन्य संविदा जमा	2,451.76	2,451.76	-	-	-
	97,072.93	**83,203.19**	**-**	**13,869.75**	**-**

iv. बाज़ार जोखिम

बाज़ार जोखिम वह जोखिम है जो बाज़ार मूल्य में बदलता है - जैसे विदेशी मुद्रा विनिमय दर तथा ब्याज दर - कंपनी की आय या वित्तीय संलेख की धारिता के मूल्य को प्रभावित करेगा । बाज़ार जोखिम, सभी बाज़ार जोखिम संवेदी वित्तीय संलेख से प्रभावित है जिसमें विदेशी मुद्रा प्राप्तियाँ एवं देय तथा दीर्घकालिक ऋण शामिल हैं । कंपनी मुख्यत: ब्याज दर जोखिम एवं निवेश के बाज़ार मूल्य से संबंधित बाज़ार जोखिम से अनावृत्त है । इस प्रकार, बाज़ार जोखिम के प्रति अनावरण निवेश एवं ऋण क्रियाकलापों का कार्य-संपादन है । बाज़ार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य विदेशी मुद्रा में विशेष अनावरण से बचना है।

मुद्रा जोखिम

कंपनी, विदेशी मुद्रा में उत्पाद एवं सेवाओं के निर्यात के कारण मुद्रा जोखिम के लिए अनावृत्त है । कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा भारतीय रुपया है ।

कंपनी की मुद्रा जोखिम के प्रति अनावरण के बारे में परिमाणात्मक आँकड़ा सारांश निम्नलिखित है:

31 मार्च 2017 तक

मुद्रा	विदेशी मुद्रा की राशि लाख में				राशि ₹ लाख में			
	वित्तीय परिसंपत्ति	दीर्घकालीन देयता	चालू देयता	निवल प्राप्तियाँ/देय	वित्तीय परिसंपत्ति	दीर्घकालीन देयता	चालू देयता	निवल प्राप्तियाँ/देय
यूरो (ई.यू.आर)	96.45	-	0.97	95.49	6,786.53		68.06	6,718.47
अमेरिकी डॉलर (यू.एस.डी.)	10.38	1.39	109.92	(100.93)	681.08	91.10	7,210.67	(6,620.69)

31 मार्च 2016 तक

मुद्रा	विदेशी मुद्रा की राशि लाख में				राशि ₹ लाख में			
	वित्तीय परिसंपत्ति	दीर्घकालीन देयता	चालू देयता	निवल प्राप्तियाँ/देय	वित्तीय परिसंपत्ति	दीर्घकालीन देयता	चालू देयता	निवल प्राप्तियाँ/देय
यूरो (ई.यू.आर)	10.99	-	0.97	10.02	832.67		73.31	759.37
अमेरिकी डॉलर (यू.एस.डी.)	8.56	0.79	237.32	(229.55)	570.54	52.44	15,822.09	(15,303.99)

1 अप्रैल 2015

मुद्रा	विदेशी मुद्रा की राशि लाख में				राशि ₹ लाख में			
	वित्तीय परिसंपत्ति	दीर्घकालीन देयता	चालू देयता	निवल प्राप्तियाँ/देय	वित्तीय परिसंपत्ति	दीर्घकालीन देयता	चालू देयता	निवल प्राप्तियाँ/देय
यूरो (ई.यू.आर)	5.84	0.79	0.97	4.09	399.52	53.81	66.19	279.52
अमेरिकी डॉलर (यू.एस.डी.)	12.28	-	120.81	(108.53)	774.59	-	7,618.39	(6,843.80)

राशि ₹ लाख में

सूक्ष्मग्राही विश्लेषण

वर्ष के अंत में भारतीय रुपए, अमेरिकी डॉलर, यूरो एवं अन्य मुद्राओं में तथ्यात्मक स्थिरता (अस्थिरता) की संभावनाएँ विदेशी मुद्रा में वित्तीय संलेख के प्रारूपों को प्रभावित किया होगा और इक्विटी तथा नीचे दी गई राशि द्वारा लाभ या हानि को प्रभावित किया । इस विश्लेषण से पता चलता है कि अन्य सभी परिवर्तनांक, एक विशेष ब्याज दर में, स्थिर रहता है और क्रय एवं विक्रय की भविष्यवाणी से पड़ने वाले किसी भी प्रभाव को अनदेखा कर देता है ।

	लाभ या हानि		इक्विटी, कर का निवल	
	स्थिर	अस्थिर	स्थिर	अस्थिर
31 मार्च 2017				
अमेरिकी डॉलर (1 % परिचालन)	(66.21)	66.21	(43.29)	43.29
यूरो (1 % परिचालन)	67.18	(67.18)	43.93	(43.93)
31 मार्च 2016				
अमेरिकी डॉलर (1 % परिचालन)	(153.04)	153.04	(100.08)	100.08
यूरो (1 % परिचालन)	7.59	(7.59)	4.97	(4.97)
1 अप्रैल 2015				
अमेरिकी डॉलर (1 % परिचालन)	(68.44)	68.44	(44.75)	44.75
यूरो (1 % परिचालन)	2.80	(2.80)	1.83	(1.83)

निम्नलिखित उल्लेखनीय विनिमय दर लागू किए गए हैं ।

	वर्ष के अंत में दर		
	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
अमेरिकी डॉलर	65.60	66.67	63.06
यूरो	70.36	75.78	68.42

34 पूँजी प्रबंधन

एक मज़बूत पूँजीगत आधार सुरक्षित रखना कंपनी की नीति है ताकि निवेशक, लेनदार एवं बाज़ार में विश्वास बना रहे और व्यापार का विकासोन्मुखी भविष्य सुरक्षित रहे। प्रबंधन, पूँजी से लाभ के साथ-साथ सामान्य शेयर धारकों को मिलने वाले लाभांश के स्तर पर निगरानी रखते हैं।

कंपनी, 'समायोजित निवल ऋण' एवं 'समायोजित इक्विटी' के अनुपात का उपयोग कर पूँजी की निगरानी रखती है। इसके लिए, कुल देयता से नकद एवं नकद समतुल्य को घटाकर समायोजित निवल ऋण सुनिश्चित किया जाता है। समायोजित इक्विटी में सुरक्षा रिज़र्व में जमा राशि को छोड़कर इक्विटी के सारे घटक शामिल हैं।

अनुपात को 2.00 से कम रखना कंपनी की नीति है। कंपनी की 31 मार्च 2017 तक समायोजित निवल ऋण एवं इक्विटी अनुपात निम्नलिखित थे :

	31 मार्च 2017 तक	31 मार्च 2016 तक
कुल देयता	1,38,986.42	1,47,810.84
घटाइए :नकद एवं नकद समतुल्य	1,20,942.28	1,51,890.35
समायोजित निवल ऋण	18,044.14	(4,079.51)
कुल इक्विटी	1,59,281.81	1,42,659.34
घटाइए : बचाव रिज़र्व	-	-
समायोजित इक्विटी	1,59,281.81	1,42,659.34
समायोजित निवल ऋण एवं समायोजित इक्विटी का अनुपात	0.11	-

35 खण्ड सूचना

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के अंतर्गत, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार ने अपनी अधिसूचना एफ सं.1/19/2013-सी.एल.V भाग दिनांक 04.09.2015 के अनुसार प्रत्येक वर्ग के माल एवं उनसे संबंधित मूल्यों की अतिरिक्त सूचनाओं के प्रकटीकरण से छूट दे रखी है और उत्पादों की संवेदी प्रकृति तथा व्यापार के क्षेत्र के मद्देनज़र, भारतीय लेखा मानक 108 - प्रचालन खण्ड के तहत चालू एवं पिछले वित्तीय वर्ष की अपेक्षित सूचना प्रदान नहीं की गई है ।

राशि ₹ लाख में

36 संबंधित पक्ष

क. प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों सूची

संबंधित पक्ष का नाम	संबंध
श्री राकेश शशिभूषण	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (1 जून 2016 से)
डॉ. वि. एस. हेगड़े	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (31 मई 2016 तक)
श्री वी. रघु वेंकटरामन	कार्यकारी निदेशक (12 सितम्बर 2016 तक)

ख. प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के साथ संबंधित पक्ष का अंतरण

विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
वेतन	32.79	38.31
अल्प काल कर्मचारी लाभ	5.88	4.00
कार्य-समापन लाभ	-	-
कुल क्षतिपूर्ति	38.67	42.32

नोट 1. डॉ. वि. एस. हेगड़े एवं श्री वी. रघु वेंकटरामन के कार्योपरान्त लाभ एवं समापन लाभ अंतरिक्ष विभाग द्वारा वहन किए गए हैं क्योंकि एन्ट्रिक्स के लिए उनकी सेवाएँ कार्य प्रबंधन के आधार पर ली गई हैं। वर्तमान सी.एम.डी. (श्री राकेश एस.) से संबंधित एन्ट्रिक्स की देयता एन्ट्रिक्स में उनकी नियुक्ति की तिथि यानी 14.12.2016 से ही लागू होगी ।

2. श्री राकेश शशिभूषण, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के समापन लाभ में, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली अभिदान में कंपनी का योगदान एवं डाक जीवन बीमा प्रीमियम शामिल हैं । वेतन-व्यय एन्ट्रिक्स द्वारा वहन किए जाते हैं ।

37 कर्मचारी लाभ से संबंधित परिसंपत्ति एवं देयता

नोट 3 में लेखा नीति देखें

i. **उपदान**

विवरण	नोट	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
निवल पारिभाषित लाभ परिसंपत्ति		-	-
कुल कर्मचारी लाभ परिसंपत्ति		-	-
निवल पारिभाषित लाभ देयता		(32.79)	(21.46)
कुल कर्मचारी लाभ देयता		(32.79)	(21.46)
दीर्घकालीन		32.23	20.98
चालू		0.56	0.48

निवल पारिभाषित लाभ देयता का समाधान

पारिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य का समाधान

	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
वर्ष के आरंभ में शेष	21.46	12.98
लाभ प्रदत्त		
चालू सेवा लागत	4.24	3.27
ब्याज लागत	1.72	1.02
विगत सेवा लाभ		
अन्य व्यापक आय में मान्य बीमांकिक (लाभ) / हानि		
- जनसांख्यिक मान्यताओं में परिवर्तन		
- वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन	2.98	(0.16)
- अनुभव समायोजन	2.39	4.36
वर्ष के अंत में शेष	**32.79**	**21.47**

नियोजित परिसंपत्ति के वर्तमान मूल्य का समाधान

	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
वर्ष के आरंभ में शेष	-	-
नियोजन में प्रदत्त योगदान	-	-
लाभ प्रदत्त	-	-

राशि ₹ लाख में

ब्याज से आय	-	-
अन्य व्यापक आय में मान्य नियोजित परिसंपत्ति पर वापसी	-	-
वर्ष के अंत में शेष	-	-
निवल पारिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)	-	-

पारिभाषित लाभ दायित्व

1. **बीमांकिक मान्यताएँ**

रिपोर्टिंग तिथि तक निम्नलिखित मुख्य बीमांकिक मान्यताएँ थीं (भारित औसत के तौर पर अभिव्यक्त)

	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
छूट दर	7.40%	8%
वेतन वृद्धि दर	11% प्रथम चार वर्ष के लिए और तदोपरांत 7%	11% प्रथम चार वर्ष के लिए और तदोपरांत 7%
महँगाई भत्ता की दर में वृद्धि (प्रति वर्ष)	5.92%	6.40%

2. **लोकतांत्रिक मान्यताएँ**

	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
मृत्यु-दर (आई.ए.एल.एम.06-08 का %)	100%	100%
आहरण दर, वय-आधारित (प्रति वर्ष)		
30 वर्ष तक	5.00%	5.00%
31-40 वर्ष	3.00%	3.00%
40 वर्ष से ऊपर	2.00%	2.00%

भविष्य की नश्वरता से संबंधित मान्यताएँ प्रकाशित सांख्यिकी और नश्वरता-सारणी पर आधारित हैं

3. **सूक्ष्मग्राहिता विश्लेषण**

रिपोर्टिंग तिथि तक अन्य मान्यता स्थिरांक धारित बीमांकिक मान्यताओं में एक संबंधित मान्यता के लिए तर्कसंगत संभावित परिवर्तन नीचे दिखाई गई राशि द्वारा पारिभाषित लाभ दायित्व प्रभावित हुआ होगा।

	31 मार्च 2017		31 मार्च 2016	
	कमी	वृद्धि	कमी	वृद्धि
छूट दर (1 % परिचालन)	36.46	29.56	24.66	18.77
(सूक्ष्मग्राहिता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन)	11.20%	-9.90%	14.90%	-12.50%
भविष्य की वेतन वृद्धि (1 % परिचालन)	28.72	37.58	18.58	25.02
(सूक्ष्मग्राहिता के कारण आधार की तुलना में % परिचालन)	-12.40%	14.60%	-13.40%	16.60%
क्षयण दर (50 % परिचालन)	33.15	32.44	21.62	21.33
(सूक्ष्मग्राहिता के कारण आधार की तुलना में % परिचालन)	1.10%	-1.10%	0.70%	-0.60%
क्षयण दर (10 % परिचालन)	32.51	33.07	21.32	21.61
(सूक्ष्मग्राहिता के कारण आधार की तुलना में % परिचालन)	-0.80%	0.90%	-0.60%	0.70%

ii. **अवकाश मूल्यांकन**

1. परिसंपत्ति एवं देयता (तुलनपत्र की स्थिति)

	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
दायित्व का वर्तमान मूल्य	47.20	29.72
नियोजित परिसंपत्ति का उचित मूल्य	-	-
अधिशेष/ (घाटा)	(47.20)	(29.72)
परिसंपत्ति सीमा का प्रभाव, यदि कोई हो	-	-
निवल परिसंपत्ति / (देयता)	**(47.20)**	**(29.72)**

राशि ₹ लाख में

2. कंपनी अधिनियम, 2013 की संशोधित अनुसूची III के अनुसार वर्ष के अंत में वर्तमान का द्विभागीकरण

	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
चालू देयता (अल्पावधि)	0.64	1.50
दीर्घकालीन देयता (दीर्घावधि)	46.56	28.21
अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**47.20**	**29.71**

38 प्रचालनीय पट्टे

क. पट्टेदार के तौर पर पट्टे

कंपनी के पास 60 वर्षों के लिए कार्यालय परिसर हेतु भूमि का प्रचालनीय पट्टा है जिसे प्रारंभिक शर्त के समाप्त होने के 60 दिन पहले सूचित कर दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति से तय किए गए किराए पर अगले 10 वर्षों तक आवधिक आधार पर पुन: नवीनीकृत किया जा सकता है। इसके लिए कोई उप पट्टा नहीं है।

i. भविष्य की न्यूनतम पट्टा भुगतान

31 मार्च तक, रद्द नहीं किए जाने वाले प्रचालनीय पट्टे को भविष्य में न्यूनतम पट्टा भुगतान की राशि निम्नवत् हैं।

	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
एक वर्ष से कम समय में देय	0.10	0.10
एक से पाँच वर्ष के बीच देय	0.40	0.40
पाँच वर्ष से अधिक समय में देय	4.70	4.80
	5.20	5.30

ii. लाभ तथा हानि लेखा में मान्य राशि

	31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष में	31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष में
पट्टा व्यय	0.10	0.10

39 विशिष्ट बैंक नोट (एस.बी.एन.) धारित एवं अंतरित:

08/11/2016 से 30/12/2016 के दौरान धारित एवं अंतरित विशिष्ट बैंक नोट (एस.बी.एन.) के विवरण नीचे की सारणी में दिए गए है:-

विवरण	एस.बी.एन.	अन्य मूल्यवर्ग	कुल
08.11.2016 तक हस्तगत समापन नकद	0.07	0.01	0.08
(+) अनुज्ञप्त प्राप्तियाँ	-	1.97	1.97
(-) अनुज्ञप्त भुगतान	-	1.86	1.86
(-) बैंक में जमा राशि	0.07	0.01	0.08
30.12.2016 तक हस्तगत समापन नकद	**-**	**0.11**	**0.11**

व्याख्या : इस प्रकटीकरण के उद्देश्य से, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामलों के विभाग की अधिसूचना सं. एस.ओ. 3407, (ई) दिनांक 08 नवम्बर, 2016 में उल्लिखित 'विशिष्ट बैंक नोट' पदावली का अर्थ समान होगा।

(₹ लाख में)

		31.03.2017 की वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि तक के आँकड़े	31.03.2016 की विगत रिपोर्टिंग अवधि तक के आँकड़े
40	**आकस्मिक देयताएँ एवं प्रतिबद्धताएँ:** *(जहाँ तक कि प्रावधान न किया गया हो)* I) आकस्मिक देयताएँ: *(क) निम्नांकित कारणों से कम्पनी के प्रति दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया :-*		
	(i) माँग की तिथि तक ब्याज एवं शास्ति सहित कर्नाटक मूल्य आधारित कर एवं केंद्रीय बिक्री कर। *इन माँगों के प्रति (चालू एवं पिछली रिपोर्टिंग अवधि दोनों के लिए लागू), विरोध के तहत ₹912.47 लाख का भुगतान किया गया और भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 12.03.2010 के अंतरिम आदेश के निर्देशानुसार ₹5,000.00 लाख की राशि जमा की गई।*	1,444,40.44	1,444,40.44
	(ii) माँग की तिथि तक ब्याज एवं शास्ति सहित सेवा कर। इन माँगों के प्रति, विरोध के तहत ₹4,798.96 लाख (पिछली रिपोर्टिंग अवधि-शून्य) का भुगतान किया गया।	4,798.96	4,798.96
	(iii) मेसर्स देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रति भारत सरकार द्वारा करार के रद्द किए जाने के कारण, वर्ष के दौरान, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल द्वारा ₹2,189 लाख (562.50 मिलियन अमरीकी डॉलर, समझौते के अनुसार ₹43.78 की विदेशी मुद्रा विनिमय दर से लागू) के परिनिर्धारित नुकसान की भरपाई तथा 25.02.2011 से निर्णय सुनाने की तिथि (14.09.2015) तक 3-महीने की छूट देते हुए 4% की दर से ब्याज तथा निर्णय की तिथि से पूर्ण भुगतान होने की तिथि तक 18% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देने का निर्णय सुनाया है।	2,46,262.50	2,46,262.50
	कुल	**3,95,501.90**	**3,95,501.90**
	(ख) गारंटी:	कंपनी द्वारा तीसरे पक्ष के एवज में अन्य व्यक्ति को ऐसी कोई गारंटी नहीं जारी की गई है जो आकस्मिक देयता में परिणत हो।	कंपनी द्वारा ऐसी कोई गारंटी नहीं जारी की गई है जो आकस्मिक देयता में परिणत हो।
	(ग) अन्य राशि जिसके लिए कम्पनी आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है: 1. कारण बताओ नोटिस के प्रति: (i) सेवा केर		
	(इसके प्रति, विरोध के तहत ₹ 5,989.58 लाख की राशि (पिछल वर्ष ₹ 2,612.13 लाख) का भुगतान किया गया)	6,558.57	2,908.03
	(ii) विरोध के तहत विवादित सेवा कर के भुगतान की तिथि तक सेवा कर पर ब्याज एवं शास्ति	18,343.51	18,343.51

(₹ लाख में)

	iii) **प्रतिबद्धताएँ** : (क) संविदा की बची हुई अनुमानित राशि जिसे पूँजीगत लेखा पर निष्पादित किया जाना है तथा जिसके लिए प्रावधान न किया गया है; (ख) अन्य प्रतिबद्धताएँ (बिक्री एवं सेवा के लिए संविदात्मक प्रतिबद्धताएँ)	शून्य 81,337.38	शून्य 1,12,064.58
41	(i) उक्त अवधि के लिए इक्विटी शेयरधारकों को वितरित किए जाने वाले प्रस्तावित लाभांश की राशि (पिछले वर्ष के ला भांश में, 2015-16 के दौरान ₹2,000 लाख का अंतरिम लाभांश शामिल है)	18,000.00	6,300.00
	(ii) प्रति शेयर संबंधित राशि :	0.05	0.01
42	बोर्ड की राय में, सामान्य व्यापारिक प्रक्रिया में, जब उल्लिखित राशि मूल राशि के लगभग बराबर हो तब स्थायी परिसंपत्ति एवं दीर्घकालीन निवेश के अलावा अन्य किसी परिसंपति का कोई प्रापण मूल्य नहीं होता।	बोर्ड की राय है कि ऐसी परिसम्पत्ति का मूल्य कम-से-कम लेखा में उल्लिखित राशि के समान होगा जो सामान्य व्यापारिक प्रक्रिया के क्रम में प्राप्य होगा।	बोर्ड की राय है कि ऐसी परिसम्पत्ति का मूल्य कम-से-कम लेखा में उल्लिखित राशि के समान होगा जो सामान्य व्यापार के प्रकिया के क्रम में प्राप्य होगा।
43	क) भण्डार व कल-पुर्जों का उपभोग i) आयातित ii) स्वदेशी प्रापण	दिनांक 04.09.2015 को कॉर्पोरेट मामले से संबंधित मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश सं.एफ. 1/19/2013-सी.एल.-V द्वारा प्रकटन से छूट दी गई है।	दिनांक 04.09.2015 को कॉर्पोरेट मामले से संबंधित मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश सं.एफ. 1/19/2013-सी.एल.-V द्वारा प्रकटन से छूट दी गई है।
	ख) वित्त वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा सी.आइ.एफ. आधार पर निम्नांकित के संबंध में आयात के मूल्य का परिकलन किया जाता है:- I. कच्चा माल; II. घटक एवं कलपुर्जे; III. पूँजीगत माल;	-वही-	-वही-
	ग) वित्त वर्ष के दौरान रॉयल्टी, जानकारी, व्यावसायिक एवं परामर्शिता शुल्क, ब्याज तथा अन्य मामले की मद में विदेशी मुद्रा में व्यय;	-वही-	-वही-
	घ) वित्त वर्ष के दौरान उपभोग किये गये सभी आयातित कच्चा माल, कलपुर्जे एवं घटक तथा इसी तरह उपभोग किये गये सभी स्वदेशी कच्चा माल, कलपुर्जे एवं घटक का कुल मूल्य तथा कुल उपभोग में प्रत्येक का प्रतिशत।	-वही-	-वही-
	ङ) वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा में प्रेषित लाभांश की राशि जिसमें प्रवासी शेयरधारकों की कुल संख्या विशेष तौर से उल्लिखित हो, उनके द्वारा धारित शेयरों की कुल संख्या जिन पर लाभांश बाकी हो और वर्ष, जिससे लाभांश संबंधित हो।	-लागू नहीं-	-लागू नहीं-
	च) निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत विदेशी मुद्रा में अर्जित आय का निम्नवत वर्गीकरण:- i. एफ.ओ.बी. के आधार पर माल के निर्यात का परिकलन;	दिनांक 04.09.2015 को कॉर्पोरेट मामले से संबंधित मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश सं.एफ. 1/19/2013-सी.एल.-V द्वारा प्रकटन से छूट दी गई है।	दिनांक 04.09.2015 का कॉर्पोरेट मामले से संबंधित मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश सं.एफ. 1/19/2013-सी.एल.-V द्वारा प्रकटन से छूट दी गई है।
	ii. रॉयल्टी, जानकारी, व्यावसायिक एवं परामर्शिता शुल्क;	-वही-	-वही-
	iii. ब्याज एवं लाभांश;	-शून्य-	-शून्य-
	iv. प्रकृति के अनुसार इंगित करते हुए, अन्य आय	-शून्य-	-शून्य-

44. विवादों के विवरण: (₹ लाख में)

क्र. सं.	विवाद की प्रकृति	फोरम / प्राधिकरण जहां मामला / विवाद लंबित है	31.03.2016 तक विवाद में शामिल राशि (₹ लाख में)	विवाद की स्थिति
i)	01.04.2005 से 31.07.2008 की अवधि के लिए के.वी.ए.टी. एवं सी.एस.टी. मांग	भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय	20,595.56	माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सिविल अपील कार्यवाही जारी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने "मूल्यांकन अधिकारी को मूल्यांकन कार्यवाही को लेकर आगे बढ़ सकने और अगले आदेश तक वसूली नहीं करने" का आदेश दिया है। मूल्यांकन अधिकारी द्वारा इस अवधि के लिए जारी मूल्यांकन आदेश के विरुद्ध कंपनी ने कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय में समादेश याचिका दायर की है। 20 सितम्बर, 2016 को माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने आदेश पारित कर एन्ट्रिक्स को अगस्त 2008 से मार्च 2014 तक की अवधि के लिए 3 महीने के भीतर माँगे गए कर के 50% जमा करने का निर्देश दिया। कर के शेष, ब्याज और शास्ति को शोधक्षम प्रतिभूति प्रस्तुत करने तक रोक लगा दी गई है। माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के समक्ष कंपनी द्वारा दायर समादेश अपील को भी दिनांक 14.12.2016 के आदेश द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। कंपनी ने भारत के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विशेष अवकाश याचिका दायर की जिसे स्वीकार कर लिया गया है और सिविल अपील के तौर पर लंबित है तथा 2010 के मूल अपील सं.2349-2352 के साथ सुनवाई का आदेश दिया गया है।
ii)	01.08.2008 से 31.03.2010 की अवधि के लिए के.वी.ए.टी. एवं सी.एस.टी (वर्ष 2009-10 के लिए, के.वी.ए.टी. पुनःआकलित और इसलिए अलग से दिखाया गया)	कर्नाटक के माननीय उच्च यायालय/ भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय	7,109.80	
iii)	आदेश सं. 221736837/ 05.01.16 द्वारा वित्त वर्ष 2009-10 के लिए के.वी.ए.टी.	कर्नाटक के माननीय उच्च यायालय/ भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय	20,320.02	
iv)	आदेश सं. 259709721 / 24.02.16 द्वारा वित्त वर्ष 2010-11 के लिए के.वी.ए.टी.	कर्नाटक के माननीय उच्च यायालय/ भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय	20,577.15	
v)	आदेश सं. 251709773 / 24.02.16 द्वारा वित्त वर्ष 2011-12 के लिए के.वी.ए.टी.	कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय / भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय	23,325.87	
vi)	आदेश सं. 275709811 / 24.02.16 द्वारा वित्त वर्ष 2012-13 के लिए के.वी.ए.टी.	कर्नाटक के माननीय उच्च यायालय/ भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय	26,183.62	
vii)	आदेश सं. 232709848 / 24.02.16 द्वारा वित्त वर्ष 2013-14 के लिए के.वी.ए.टी.	कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय / भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय	26,328.42	
viii)	"आपूर्ति एवं स्थापना सेवाओं" के तहत टेली-एजुकेशन एवं वीसैट की स्थापना एवं आपूर्ति के लिए सेवाकर की मांग सी.ई.एस.टी.ए.टी.,	सी.ई.एस.टी.ए..टी. बेंगलूरु (केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण)	53.00	सी.ई.एस.टी.ए.टी., बेंगलूरु में अपील लंबित है। फिर भी, ब्याज और शास्ति को छोड़कर माँग किए गए सेवा कर का विरोध के अंतर्गत भुगतान कर दिया गया है।
ix)	01.10.2003 से 15.05.2008 की अवधि के लिए भारतीय ग्राहकों को विदेशी उपग्रहों को पट्टे पर देने के लिए सेवाकर की मांग	सी.ई.एस.टी.ए.टी., बेंगलूरु (केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण)	3,058.00	सी.ई.एस.टी.ए.टी., बेंगलूरु में अपील लंबित है। फिर भी, ब्याज और शास्ति को छोड़कर माँग किए गए सेवा कर का विरोध के अंतर्गत भुगतान कर दिया गया है।

(₹ लाख में)

x)	18/04/2006 से 31/05/2007 तक "टेलिग्राफ सेवाओं" के अंतर्गत 01/06/2007 से 15/05/2008 तक "दूरसंचार सेवाओं" के अंतर्गत शुल्क वापसी प्रक्रिया के अंतर्गत विदेशी उपग्रह सेवा प्रदाता को अंतरिक्ष खंड क्षमता शुल्क पर सेवाकर की मांग	सी.ई.एस.टी.ए.टी., बेंगलूरु (केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण)	1,687.95	सी.ई.एस.टी.ए.टी., बेंगलूरु में अपील लंबित है । फिर भी, ब्याज और शास्ति को छोड़कर माँग किए गए सेवा कर का विरोध के अंतर्गत भुगतान कर दिया गया है ।
xi)	अपनी संप्रभु क्षमता के तहत केंद्र सरकार द्वारा लिए नीतिगत निर्णय के अनुरूप कंपनी द्वारा करार रद्द किए जाने और वाणिज्यिक क्रियाकलापों के लिए कंपनी को एस. बैंड में कक्षीय स्लॉट नहीं प्रदान करने के कारण मेसर्स देवास मल्टी-मीडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल (आई.सी.सी.) के समक्ष क्षति के लिए उठाया गया।	अतिरिक्त नगर सिविल न्यायाधीश, बेंगलूर / दिल्ली उच्च न्यायालय / पेरिस का अपीलीय न्यायालय	40 (i) (क) (iii) में उल्लिखित ₹ 2,46,262.50 (562.50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समतुल्य) संविदा विदेशी मुद्रा विनिमय दर ₹43.78 की दर से ₹2,189 लाख की परिनिर्धारित क्षति युक्त	आई.सी.सी. न्यायाधिकरण ने कंपनी के विरुद्ध दिनांक 14.09.2015 के निर्णय में देवास को 562.50 मिलियन अमरीकी डॉलर के नुकसान की भरपाई तथा 25.02.2011 से निर्णय सुनाने की तिथि तक 3-महीने की छूट देते हुए 4% की दर से ब्याज तथा निर्णय की तिथि से पूर्ण भुगतान होने की तिथि तक 18% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देने का निर्णय सुनाया है। आई.सी.सी. के निर्णय की प्राप्ति के बाद देवास ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष मध्यस्थत एवं समझौता अधिनियम, 1996 की धारा 9 के अंतर्गत याचिका दायर किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, विवाचन न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 14.09.2015 को दिए गए निर्णय के अनुरूप अर्जित राशि को प्रतिभूत करने के लिए कंपनी को निर्देश जारी करने के लिए अनुरोध किया गया है। पूरी तरह भुगतान होने की तिथि तक बैंक गारंटी प्रस्तुति या कंपनी के सभी बैंक खाताओं, प्राप्यों, अन्य सभी चल संपत्ति एवं सभी अचल संपत्ति को संलग्न कर प्रतिभूति की भी मांग की गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 28 फरवरी, 2017 के अपने आदेश द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायक्षेत्र पर एन्ट्रिक्स की प्राथमिक आपत्तियों को अस्वीकार कर दिया और एन्ट्रिक्स को आदेश दिया कि विगत तीन वर्षों के लेखापरीक्षित तुलन-पत्र एवं लाभ तथा हानि लेखा पर शपथ-पत्र दाखिल करे । कंपनी ने इस बारे में एक शपथ-पत्र दाखिल किया । इस मामले की सुनवाई 10 अगस्त, 2017 को होनी है ।

				कंपनी ने, दिनांक 07 मार्च, 2017 को दिल्ली उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक अपील संभाग के समक्ष दिल्ली उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के दिनांक 28 फरवरी, 2017 के आदेश के विरुद्ध एक अपील दायर की है। इस मामले की सुनवाई दिनांक 09 मई, 2017 को हुई। उस दिन, न्यायालय ने पाया कि पक्षकारों के बीच न्यायिक विवाद है और सुझाव दिया कि एन्ट्रिक्स लंबित चुनौती याचिका को नगर सिविल न्यायालय, बेंगलूरु में स्थानांतरित करने पर विचार करे और दिल्ली उच्च न्यायालय के पास न्यायाधिकरण के गठन से संबंधित आपत्ति सहित अन्य सभी आपत्तियों को रहने दिया जाए। कंपनी के सलाहकारों ने न्यायालय को सूचित किया कि वे मुवक्किल से अनुदेश प्राप्त करेंगे और फिर बतायेंगे। मामले की सुनवाई के लिए दिनांक 10 जुलाई, 2017 का दिन तय किया गया है। यहाँ तक कि आई.सी.सी. मध्यस्थता से पहले, कंपनी ने, अतिरिक्त नगर सिविल न्यायाधीश,बेंगलूरु के समक्ष मध्यस्थता आवेदन एवं मुकदमा दायर किया था जिसमें प्रार्थना की गई थी कि देवास द्वारा आई. सी.सी. कार्यवाही पर रोक लगाई जाए तथा देवास द्वारा मध्यस्थता की प्रार्थना करार के अनुरूप नहीं होने के कारण अधिनिर्णय सुनाया जाए। कंपनी ने, (मध्यस्थता एवं समझौता अधिनियम, 1996 की धारा 9 के अंतर्गत) मध्यस्थता आवेदन और अतिरिक्त नगर सिविल न्यायाधीश, बेंगलूरु के समक्ष दायर सिविल मुकदमा में अपनी दलील पूरी कर ली है। दिनांक 14.09.2015 को आई.सी.सी. अधिनिर्णय मिलने के बाद, कंपनी ने, आई.सी.सी. न्यायाधिकरण द्वारा जारी अधिनिर्णय और इसे चुनौती देने के अपने प्रस्ताव के बारे में न्यायालय को सूचित करते हुए संशोधन आवेदन प्रस्तुत किया। दिनांक 24 अगस्त, 2016 को देवास ने धारा 9 के आवेदन को अस्वीकार करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। एन्ट्रिक्स ने सी.बी.आई. एवं प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई जाँच को दर्शाते हुए अंतरिम आवेदन भी प्रस्तुत किया। दिनांक 29 जून, 2017 को दिल्ली उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक अपील संभाग के दिनांक 09. 05.2017 के आदेश का हवाला देते हुए देवास ने मामले पर स्थगन की माँग की। मामले की सुनवाई के लिए दिनांक 23 अक्तूबर, 2017 का दिन तय किया गया है।

				कंपनी ने, अतिरिक्त नगर सिविल न्यायाधीश, बेंगलूरु के न्यायालय के समक्ष आई.सी.सी. अधिनिर्णय को अलग रखने के लिए मध्यस्थता मुकदमा दायर किया है। देवास ने बेंगलूरु नगर सिविल न्यायालय के न्याय-क्षेत्र पर प्रश्न उठाते हुए अंतरिम आवेदन प्रस्तुत किया है। 05 जनवरी, 2017 को हुई सुनवाई में, देवास ने दो सप्ताह के लिए स्थगन की माँग की क्योंकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने न्याय-क्षेत्र के तब के अपने फ़ैसले को सुरक्षित रखा था और विलंबन के मामले में तर्क प्रस्तुत किया था। न्यायालय, देवास के अनुरोध से सहमत हुआ और दिनांक 07.01.2017 के आदेश के अनुसार मामले की अगली सुनवाई को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा लंबित मामलों के निपटारे तक स्थगित किया। दिनांक 30 जून, 2017 को जब मामले की सुनवाई होनी थी तो दिल्ली उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक अपील संभाग के दिनांक 09. 05.2017 के आदेश का हवाला देते हुए देवास ने मामले पर स्थगन की माँग की। मामले की सुनवाई के लिए दिनांक 24 अक्तूबर, 2017 को निर्धारित किया गया है। कंपनी ने, दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा लंबित मामलों के निपटारे तक आई.सी.सी. अधिनिर्णय को दी गई धारा 34 की अपनी चुनौती पर अगली सुनवाई को स्थगित किए जाने के लिए नगर सिविल न्यायालय, बेंगलूरु के दिनांक 07.01.2017 के आदेश के विरुद्ध समादेश आवेदन प्रस्तुत किया। इस मामले की सुनवाई 07 फरवरी, 2017 को हुई और देवास को अपनी आपत्तियाँ प्रस्तुत करने के लिए 27 फरवरी, 2017 तक का समय देकर सुनवाई स्थगित की गई। तब से मामला लंबित है। दिनांक 13 नवम्बर, 2015 की एक अधिसूचना के द्वारा देवास ने फ्रांस में पंचाट परिनिर्णय को फ़ैसले में परिवर्तित करवा लिया था। कंपनी ने पेरिस के अपील न्यायालय में इस अधिसूचना के विरुद्ध दिनांक 08 फरवरी, 2016 की अपील के साथ-साथ 06 जुलाई, 2016 को एक विस्तृत अपील दाखिल किया। देवास ने 04 नवम्बर, 2016 को अपना उत्तर दाखिल किया। पेरिस के अपील न्यायालय ने 05 अक्तूबर, 2017 को लिखित दलील की अंतिम तिथि और 15 फरवरी, 2018 को सुनवाई की तिथि निर्धारित किया।

45. वर्षांत की मुद्रा विनिमय-दर का ब्योरा इस प्रकार है :

विवरण	विवरण वर्षांत की मुद्रा विनिमय दर (लाखों में)	नामे/जमा	लाभ और हानि लेखा
बैंक ईईएफसी चालू खाते, परिसंपत्ति एवं देयताएँ	471.57	नामे	विविध आय में नामे किया गया
	(47.57)	नामे	(विविध आय में नामे किया गया)

पिछले वर्ष के आँकड़े कोष्ठक में दर्शाये गये हैं।

46. 12 महीने से अधिक की परिपक्वता वाली बैंक जमा राशि में, केनरा बैंक में, ₹ 0.44 लाख (पिछले वर्ष में ₹ 0.40 लाख) की सावधि जमा शामिल है जो प्रतिभूति जमा के एवज में "सहायक वाणिज्यिक कर आयुक्त, जिला-"V"सर्कल, बेंगलूरु के ग्रहणाधिकार के तहत" है।

47. 4,45,500 यूरो, एवं 31,00,000 अमेरिकी डॉलर के कुल समतुल्य ₹ 2,290.53 लाख (पिछले वर्ष 4,45,500 यूरो एवं 90,000 अमेरिकी डॉलर के कुल समतुल्य ₹ 389.71 लाख) की राशि के लिए कम्पनी की ओर से भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी की गई बैंक गारंटी के एवज में कम्पनी ने ₹ 2,972.27 लाख (पिछले वर्ष ₹ 2,812.52 लाख) सावधि जमा के रूप में बैंक में अमानत के तौर पर जमा किए। हालाँकि कम्पनी, उक्त सावधि जमा पर कार्ड दर के आधार पर ब्याज अर्जित कर रही है। अभी इण्ड ए.एस.-37 में दी गई परिभाषा के आधार पर "प्रावधान" की ऐसी कोई घटना नहीं घटी है।

48. कॉर्पोरेट मामले के मंत्रालय, भारत सरकार, ने अपनी अधिसूचना एफ सं.1/19/2013-सी.एल.- V-भाग दिनांक 04.09.2015 के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के अंतर्गत माल के प्रत्येक वर्ग के परिमाण तथा संबंधित मूल्य की अतिरिक्त सूचना के प्रकटीकरण से मुक्त कर रखा है और उत्पाद की संवेदनशील प्रकृति और प्रचालन के क्षेत्र के मद्देनज़र, भारतीय लेखा मानक (इण्ड ए.एस.)-108 खण्ड रिपोर्टिंग के अंतर्गत वर्तमान एवं विगत वर्षों के लिए अपेक्षित सूचना प्रदान नहीं की गई है।

49. वित्त वर्ष के दौरान लेखा-संबंधी मानक भारतीय लेखा मानक (इण्ड ए.एस.)-36 के अनुसार परिसम्पत्ति के अपसामान्यन की कोई घटना नहीं हुई है।

50. अन्य प्रतिबद्धता- अन्य नोट सं.1 (II) (ख), ₹ 1,99,012.27 लाख, (विगत वर्ष ₹ 2,22,574.06 लाख) की आपूर्ति एवं सेवा के लिए क्रियावित राशि के प्रति ₹ 81,337.38 लाख (विगत वर्ष ₹ 1,12,064.58 लाख) की निवल प्रतिबद्धता है और इन निविदाओं के एवज में ग्राहक से प्राप्त अग्रिम ₹ 1,22,674.94 लाख (विगत वर्ष ₹ 33,081.76 लाख) है।

51. कम्पनी ने 31 मार्च, 2017 तक सभी ग्राहकों से शेष-राशि की पुष्टि माँगी है सिवाय उनके जिनके साथ करार बंद हो चुका है; और केवल कुछ ग्राहकों से ही उत्तर या पुष्टि प्राप्त हुई थी। ग्राहकों के लेखे में पाए गए अंतर के लिए सामंजस्य प्रगति पर है।

52. कंपनी ने अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार से 31 मार्च, 2017 तक शेष की पुष्टि के लिए अनुरोध किया है। कंपनी को अब तक पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है। प्रबंधन की दृष्टि में ऐसी अपुष्टि से वर्ष के लाभ पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ने वाला है।

53. ₹ 3,467.18 लाख के सेवाकर / बकाया की प्राप्ति में विलंब के कारण लगाए जाने वाले दंड ब्याज से संभावित आकस्मिक परिसंपत्ति को लेखाविधि मानक ऐसे नामे की अनिश्चितता के मद्देनजर और विशिष्ट लेखाविधि नीति-नोट.2 सी (iv) (क) के मद्देनजर लेखा में राजस्व के रूप में मान्यता नहीं दी गई है।

54. 01.04.2005 से 31.03.2014 तक वाणिज्यिक कर विभाग, कर्नाटक सरकार द्वारा मांगे गए के.वी.ए.टी. एवं सी.एस.टी. से संबंधित ₹ 1,44,440.44 लाख की आकस्मिक देयता जो नोट -सं.40(i)(क)(i) द्वारा दर्शाया गया है, में मांग की तारीख से तुलन-पत्र की तारीख तक ब्याज और शास्ति शामिल नहीं है।

55. सरकारी विभागों/ संगठनों यथा-मानव संसाधन मंत्रालय, डी.ई.ए.एल. (रक्षा मंत्रालय), दूरदर्शन, आकाशवाणी एवं भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) से ₹ 40,048.78 लाख के लंबित बकाया के संदर्भ में अंतरिक्ष विभाग (डी.ओ.एस.) / इसरो मुख्यालय, जो इन करारों में एक पक्षकार है, द्वारा बकाये की वसूली के लिए परिचर्चा प्रगति पर है। परिचर्चाओं के परिणाम और अं.वि./ इसरो मु. की सलाह पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

56. अन्य कर परिसम्पत्ति के तहत विभिन्न आकलन वर्षों के लिए आयकर वापसी बकाये की स्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:-

वित्त वर्ष	लेखा के अनुसार आयकर की वापसी (₹ लाख में)	स्थिति
2007-08	3,014.69	आयकर अधिनियम,1961 की धारा 154 के अंतर्गत दायर किया गया परिशोधन आवेदन तथा धारा 119 (2) (बी) के अंतर्गत दायर याचिका सी.बी.डी.टी. के समक्ष लंबित है।
2012-13	692.69	आयकर अधिनियम,1961 की धारा 154 के अंतर्गत दायर किया गया
2014-15	3,650.90	आई.टी. संवीक्षा आकलन लंबित है।
2015-16	1,142.21	आई.टी. संवीक्षा आकलन लंबित है।
2016-17	3,412.87	आई.टी. विवरणी भरना है।
कुल	**11,913.36**	

टी.डी.एस. प्रमाणपत्र और ग्राहकों से प्राप्त भुगतान पत्रक/सूचना एवं आयकर विवरणी (आइ.टी.आर.) में किए गए टी.डी.एस. दावे के प्रति लेखाओं में बचे शेष के आधार पर बकाया आयकर वापसी की गणना की जाती है। आकलन अधिकारी के समक्ष आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 154 के तहत संशोधन आवेदन-पत्र दाखिल किया जा चुका है तथा लेखा के अनुसार एवं आयकर विभाग द्वारा स्वीकृत राशि के अनुसार, बकाया राशि, जैसा कि उपर्युक्त टेबुल में अन्य द्वारा किए गए टी.डी.एस. का ब्योरा दिया गया है, के बीच सामंजस्य प्रगति पर है। सामंजस्य के पूरे होने के बाद तथा धारा 154 के आवेदन-पत्र के प्रति आदेश की प्राप्ति के बाद लेखा-पुस्तिकाओं में उपयुक्त लेखा-विधि व्यवस्था की जाएगी। प्रबंधन का विचार है कि सामंजस्य के लंबित होने के कारण लाभ तथा हानि लेखा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है।

57. वर्तमान वर्ष की प्रस्तुति को समनुरूप बनाने के लिए रूपए को निकटतम लाख के रूप में पूर्णांकित किया गया है और जहाँ भी जरूरत पड़ी, विगत वर्ष के अंकों को पुनवर्गीकृत/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

हमारी समतिथीय संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते बी.वी. राव एवं कं एल.एल.पी.
चार्टरित लेखाकार
प्रतिष्ठान पंजीकरण सं: 003118एस/एस200049

निदेशक-मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

हस्ता/-
(बी. विनय कुमार)
(सदस्यता सं.223723)
भागीदार

हस्ता/-
(राकेश शशिभूषण)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

हस्ता/-
(डॉ. वाई.वी.एन.कृष्णमूर्ति)
निदेशक

बेंगलूरु
जुलाई 24, 2017

बेंगलूरु
जुलाई 24, 2017

एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

अंतरिक्ष भवन, न्यू बी.ई.एल. रोड, बेंगलूरु-560 094
दूरभाष: + 91 80 2217 8302/31/11, फैक्स : + 91 80 2217 8337
वेबसाइट : www.antrix.co.in